अंक २

संख्या २६

मंगलवार,
२३ मार्च, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या २६ से संख्या ५० तक हैं)

भाग १--प्रश्नोत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १५८५—१६२४]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली ।

(मूल्य ४ आने)

784 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, २३ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चमड़े और खालों का निर्यात

*१२१६. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या निर्यातकों द्वारा मिलावटी चमड़े और खालों के निर्यात को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात से पूर्व बकरी की खालों और पूर्वी भारत के कमाये हुये चमड़े के अनिवार्य रूप से वर्गीकरण के लिये कृषि उत्पाद (वर्गीकरण तथा चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ की उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार की गई योजनाओं को लागू करने का विचार है ।

बीमा कम्पनियों के लिये न्यायाधिकरण

*१२१७. **सेठ गोविन्द दास :**
श्री तिम्मय्या :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार है कि बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों के झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक न्यायाधिकरण बनाया जाये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने सरकार से यह अभ्यावेद किया है कि बीमा उद्योग के सम्बन्ध में सामान्य न्याय-निर्णय होना चाहिये यह प्रश्न विचाराधीन है ।

पेराम्बूर स्थित डिब्बों का कारखाना

*१०१८. **श्री दाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पेराम्बूर स्थित इन्टेगरल कोच बिल्डिंग फैक्टरी के कब तक चालू होने की सम्भावना है ;

(ग) इस कारखाने की कुल अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस कारखाने से प्रति वर्ष कितने डिब्बे बन कर निकलने की आशा है

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५५ में ।

(ख) ७.४७ करोड़ रुपये ।

(ग) पूरा उत्पादन होने पर ३५० बी० जी० बोगी डिब्बे ।

पेन्नार पर पुल

*१२१९. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में विल्लूपुरम् के निकट पेन्नार नदी पर एक पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग योजना में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अन्तर्गत बड़े बड़े पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या निति है ?

रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अन्तर्गत बड़े बड़े पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में यह निति है कि ऐसे स्थानों में इस प्रकार के पुल बनाये जायें जहां मौनसून और बाढ़ के समय नदियों के आर-पार का यातायात बार बार और बहुत समय के लिये रुक जाता है । इस के अतिरिक्त अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी, जिन्हें कि देश के प्रधान मार्गों की श्रेणी में रखा गया है, पुल बनाने के लिये कम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के पुलों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ।

पंजाब को "अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें

*१२२०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब राज्य को "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत १ अप्रैल १९५३ के बाद से कितनी राशि ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी गई है ; और

(ख) इस में से कितनी राशि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत सिंचाई के कुओं तथा तालाबों जैसी निजी परियोजनाओं की सहायता के लिये दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १४४.५८ लाख रुपये ऋण के रूप में और १०.३२ लाख रुपये अनुदान के रूप में ।

(ख) ऋण में से २५.०० लाख रुपये और अनुदान में से ५.०० लाख रुपये ।

सूरत का पत्तन

*१२२१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेत के बैठने के कारण आगामी कुछ वर्षों में सूरत के पत्तन के बिल्कुल बन्द हो जाने का भय है ;

(ख) यदि हां, तो पत्तन से रेत हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; तथा

(ग) क्या किसी और पत्तन के भी इस प्रकार बन्द हो जाने का भय है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है कि यह पत्तन रेत के बैठने के कारण धीरे धीरे बन्द होता जा रहा है। किन्तु इस तक पहुंचने की धारा और पत्तन भाटे के समय लगभग सूखे रहते हैं और ज्वार-भाटे की सभी अवस्थाओं में इस धारा को जहाजों के चलने योग्य बनाने के लिये बड़े परिमाण में रेत काटने की आवश्यकता होगी।

(ख) यह छोटा सा पत्तन बम्बई के प्रशासनात्मक नियंत्रण में है और इसे सुधारने के लिये कार्यवाही करना उसी का उत्तरदायित्व है।

(ग) सरकार के पास इस बात के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है, किन्तु जहां तक उन्हें विदित है और किसी अधिक महत्वपूर्ण छोटे पत्तन को इस प्रकार का भय नहीं है।

हैदराबाद में नई रेलवे लाइन

*१२२२. **श्री कृष्णचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद सरकार ने रामगुण्डम् से निज़ामाबाद तक एक नई रेलवे लाइन खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

नगर पालिकानिगम

*१२२३. **श्री गिडवानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के लिये नगरपालिका निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करना स्थगित कर दिया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार दिल्ली के लिये निगम स्थापित किये जाने के विरुद्ध है। दिल्ली एक छोटा सा नगर राज्य है, और दो प्राधिकार बना देने से दोनों के ही अधिकार आपस में टकरायेंगे और इससे जनता पर अधिक आर्थिक भार पड़ेगा। इसलिये यह निश्चित किया गया है कि निगम स्थापित करने के प्रश्न पर राज्य पुनर्संगठन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद नये सिरे से विचार किया जाये।

गोसेदन

*१२२४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन जगहों पर गोसदन स्थापित हैं;

(ख) क्या उन स्थानों में पशुओं के चरने के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं ;

(ग) क्या गोसदनों में जो पशु मर जाते हैं उनकी हड्डियों तथा खालों का प्रयोग करने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं;

(घ) यदि ऐसा है, तो वे प्रबन्ध क्या हैं ; तथा

(ङ) गोसदन किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८**]

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) मृत पशुओं की खालों को खुरच कर साफ करने तथा सुखाने के लिये तथा हड्डियों को इकट्ठा करने के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था है ।

(ङ) सन्तोषजनक रूप से ।

प्रकाश स्तम्भ

***१२२५. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पश्चिमी तट पर प्रकाश स्तम्भों में बचाव की व्यवस्था करने के लिये उपकरण लगाने की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी पूरी बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब पूरी होगी ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जी हाँ। एक प्रयोगात्मक योजना बनाई गई है जिस के अनुसार कुछ प्रकाश स्तम्भों पर जीवन रक्षक नावें रखी जायेंगी। इन नावों में जीवन रक्षा के साधन होंग जिन में संचार सम्बन्धी सुविधायें भी सम्मिलित होंगी । ऐसा विचार है कि आरम्भ में ऐसी दो नावें रखी जायें, एक वेंगुर्ला के वेंगुर्ला रॉक्स प्रकाश स्तम्भ पर तथा दूसरी नाव करवार के आयस्टर रॉक्स प्रकाश स्तम्भ पर । ये नावें शीघ्र ही काम करने लगेंगी ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

***१२२६. श्री वी० पी० नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड बंगलोर के प्रबन्धकों ने संघ द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा फैक्टरी के आहाते में चन्दा इकट्ठा करने के लिये कर्मचारी संघ द्वारा मांगी गई अनुमति का अस्वीकार कर दिया है तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके कारण क्या हैं?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) फैक्टरियों के सभी कर्मचारी श्रमिक संघ के सदस्य नहीं हैं और यह समझा गया था कि फैक्टरी के आहाते में चन्दा इकट्ठा करने से कर्मचारियों के काम में बाधा पड़ सकती है और जो कर्मचारी संघ के सदस्य नहीं हैं वे इसे अच्छा नहीं समझेंगे ।

क्षतिपूर्ति फार्म (प्रपत्र)

***१२२७. श्री वल्लायरास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे से माल छुड़ाने के समय क्षतिपूर्ति फार्म भरने के लिये अपेक्षित नियमों में परिवर्तन करने का है; तथा

(ख) किस कारण से यह परिवर्तन करना आवश्यक हुआ है ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). रेलवे रसीद खो जाने पर अनधिकृत व्यक्ति को माल छुड़ाने से रोकने के विचार से सरकार कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

वस्तुओं का भाड़ा

*१२२८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि स्टीमर कम्पनियों ने कलकत्ता तथा आसाम के बीच कुछ वस्तुओं का भाड़ा कम कर दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वे कौन सी वस्तुएं हैं ; तथा

(ग) पहिले की तथा वर्तमान घटाई गई दरें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). हाल ही में स्टीमर कम्पनियों ने उर्वरक तथा कुछ अन्य वस्तुओं का भाड़ा घटा दिया है । पश्चिमी बंगाल से विस्तृत सूचना मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

समाख्याली की कांडला डीसा लाइन से मिलाना

*१२२९. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कच्छ में कांडला डीसा लाइन पर समाख्याली को सौराष्ट्र में मलिया से मिलाने के लिये एक नई रेलवे लाइन सर्वेक्षण शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा; तथा

(ख) इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

भूमि गवेषणा तथा संरक्षण

*१२३०. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि गवेषणा तथा संरक्षण के सम्बन्ध में (१) वन गवेषणा संस्था, देहरादून, (२) मरुस्थल वनीकरण गवेषणा केन्द्र, जोधपुर, तथा (३) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्, किस प्रकार का काम कर रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १. १९५३ के आरम्भ में वन गवेषणा संस्था को भूमि संरक्षण में गवेषणा कार्य का संगठन तथा संचालन करने का, आरम्भिक कार्यों का प्रदर्शन का प्रबन्ध, करने, प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने तथा भूमि सम्बन्धी वर्तमान साहित्य के सावधानी पूर्वक तय्यार किये गये अभिलेखों द्वारा एकत्रित की गई सूचना को प्रसारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था । इस कार्य के लिये स्थापित विशेष विभाग भी केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, जो कि दिसम्बर १९५३ में स्थापित किया गया था, के नियंत्रण के अन्तर्गत आ गया है।

२. मरुस्थल वनीकरण गवेषणा केन्द्र, जोधपुर जिन बातों के कारण राजपूताना मरुस्थल में विस्तार हो रहा है उनका अध्ययन करने, मरुस्थल को सीमित करने के उपायों का पता लगाने और उनका प्रदर्शन करने के लिये स्थापित किया गया था । देशी तथा दूसरे देशों के मरुस्थल की वनस्पति का अध्ययन करने के अतिरिक्त, इस केन्द्र में प्रयोगात्मक पौदगृह हैं, यह वितरण के लिये बहुत अधिक पौदे उत्पन्न करता है, वहां बीजों का बड़ा गोदाम है तथा राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर पांच मील

चौड़ी पट्टी को मिला कर चुने हुए क्षेत्रों का बनीकरण करने के लिये यह कार्य करता है। यह केन्द्र भी केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड के नियंत्रण में कर दिया गया है।

३. भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् राज्यों की योजनाओं को आर्थिक सहायता देती है तथा केन्द्रीय गवेषणा संस्थायें भूमि गवेषणा तथा संरक्षण, विशेष कर भूमि उर्वरता, का संरक्षण तथा सुधार करने, भूमि की किस्मों का मूल अध्ययन, नमी का संरक्षण और दलदल वाले तथा क्षारीय क्षत्रों के सुधार के लिये आर्थिक सहायता देती हैं।

हल्दी तथा तिलहन सम्बन्धी प्रयोग केन्द्र

*१२३१. **श्री रघुरामय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने हल्दी के लिये गुन्टूर जिले में डुग्गी राला में तथा तिलहन के लिये अनन्तपुर में प्रयोग केन्द्र खोलने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कार्य के कब आरम्भ होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने हल्दी में सुधार के लिये आन्ध्र राज्य के गुन्टूर जिले में एक गवेषणा योजना को मंजूर कर लिया है। इसके निश्चित स्थान के विषय में आन्ध्र सरकार ने सूचना नहीं भेजी है।

अनन्तपुर में एक तिलहन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

(ख) हल्दी गवेषणा केन्द्र में कार्य १९५४-५५ में आरम्भ हो जायेगा।

डाक तथा तार विभाग में नियुक्तियां

*१२३२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग में नौकरी के लिये बंगालियों, मियोओं, मनीपुर वासियों तथा आसामी भाषा न बोलने वाले अन्य वर्गों के आवेदन पत्रों पर केवल कचार डिवीजन की रिक्तियों के लिये ही विचार किया जाता है ; तथा

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसा करने से महत्वपूर्ण भाषा भाषी वर्गों तथा आदिम जातियों को आसाम के विभिन्न भागों में नौकरी नहीं मिल सकेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार के अधीन की जाने वाली भरती में आवास कोई शर्त नहीं है। डाक तथा तार विभाग में अधीनस्थ सेवाओं में भरती के लिये स्थानीय प्रादेशिक भाषा या हिन्दी या संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्षय रोग के अस्पताल

*१२३३. **श्री मुरारका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्षय रोग संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत को विभिन्न क्षय रोग संस्थाओं को १२,४२,१९७ रुपये तक का अनुदान दिया गया है।

डाक और तार विभाग में रक्षित प्रतिशतक

*१२३४. **श्री बी० एन० कुरील** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक और तार विभाग की सेवाओं में कुछ सम्प्रदायों के लिए

रक्षित प्रतिशतक की पूर्ति कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न सर्कलों में प्रतिशतक क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण जिस में १९५२ के दौरान में भर्ती की स्थिति दिखलाई गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९**] ११५३ के लिए आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और तैयार हो जाने पर सदन पटल पर रख दिये जायेंगे ।

रेलवेज पर बिना लाइसेंस के पोर्टर

*१२३५. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को विदित है कि बहुत से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पोर्टर लाइसेंस प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि लाइसेंस प्राप्त पोर्टर इस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करते रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कोई पग उठाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सब स्टेशनों पर पोर्टर लाइसेंस प्राप्त होते हैं किन्तु कुछ स्टेशनों पर कम आयु के और बेकार व्यक्ति यात्रियों का सामान उठाने के लिए कभी कभी अनधिकृत रूप से स्टेशन प्लैटफार्मों पर आ जाते हैं । उन का पता लगने पर उन्हें निकाल दिया जाता है ।

(ख) इस बात के विरुद्ध लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) अधिनकृत पोर्टरों के काम को रोकने के लिए रेलवे द्वारा पग उठाये जा रहे हैं ।

अंडे

*१२३६. **श्री गणपति राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अंडे किसी देश को निर्यात किये जाते हैं या किसी देश से आयात किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को और किन देशों से और कितने ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०**]

ग्रामों को पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण

*१२३७. **श्री ए म० डी० जोशी** : (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने राज्यों को ग्रामों को पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का और बम्बई के लिए कितनी ?

(ग) क्या बम्बई सरकार ने सारी राशि का उपयोग किया है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). ग्राम सड़क विकास सहकारी योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को ग्रामों को पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क रक्षित निधि (साधारण) में से कुल ५६ लाख रुपये के अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है ।

बम्बई को ३ लाख रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) अनुदान का उपयोग करने के लिए बम्बई सरकार से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए और उस ने अभी तक अपने अनुदान का कोई अंश नहीं लिया ।

समुद्रपार संचार सेवा

*१२३८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) समुद्रपार संचार सेवाओं द्वारा चलाई जाने वाली तारों के स्वामी कौन हैं ;

(ख) प्रतिवर्ष कितना किराया दिया जाता है और किस को ; और

(ग) इन तारों तथा बेतार के तारों से सामान्यतया किस अनुपात से संदेश भारत से बाहर भेजे जाते हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केबल एंड वायर लेस लिमिटेड, जो ब्रिटिश सरकार की एक कम्पनी है ।

(ख) कोई किराया नहीं दिया जाता सम्पूर्ण राष्ट्रीमंडलीय दूर संचार व्यवस्था जिसमें कि राष्ट्रीमंडल के देशों के, जो कि राष्ट्रमंडलीय दूर संचार योजना के भागीदार हैं, बाहर की तार, टेलीफोन और रेडियोफोटों सेवाओं को चलाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले रेडियो स्टेशन और समुद्र के अन्दर बिछी हुई तारें भी सम्मिलित हैं, एक साझे प्रयोक्ताओं की व्यवस्था मानी जाती है और इस का व्यय इकट्ठा कर के उपरोक्त सेवाओं से प्राप्त होने वाले शुद्ध राजस्व के अनुपात से सदस्य सरकारों में बांट दिया जाता है ।

(ग) तारों और बेतारों के तार से भेजे गये संदेशों का अनुपात मोटे तौर से २१ : ७९ है ।

अंश-दान स्वास्थ्य सेवा योजना

*१२३९. **श्री कंडास्वामी :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या उन चिकित्सकों को भी जो भी एलोपैथी से भिन्न चिकित्सा-प्रणालियों का व्यवसाय करते हैं, अंशों दान स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन नियुक्त किया जायेगा ?

(ख) क्या यह योजना स्वेच्छापूर्ण है या अनिवार्य ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) यह योजना अनिवार्य है ।

कोयले के डिब्बे

*१२४०. **श्री झूलन सिन्हा :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कोयले के कुछ डिब्बे जो कि मुकट पुर पटसन मिल के लिए थे हाल में रेलवे ने प्रयोग कर लिए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). रेलवे के कोयले के संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए, उत्तर पूर्वी रेलवे ने फरवरी

१९५४ में, कोयले के १० ब्राड गेज डिब्बों का जो कि मुकटपुर पटसन मिल को भेजे गये थे, उपयोग कर लिया था रेलवे का कोयले का संग्रह बहुत कम हो गया था और इसका एक कारण यह था कि उत्तर पूर्वी रेलवे को कोयला नहीं पहुंच रहा था। कोयला इस लिये नहीं पहुंच रहा था, कि गंगा नदी के मार्ग बदलने के कारण मोकामह और भागलपुर घाटों पर यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और कुम्भ मेला के सम्बन्ध में असाधारण भीड़ के कारण प्रतिबन्ध लगाने पड़े थे।

अभ्रक के श्रमिकों की छंटनी

*१२४१. **श्री केशवैयंगर** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि मध्य प्रदेश की अभ्रक की खानों में लगभग ३,००० श्रमिकों को निकाल दिया गया है;

(ख) क्या छंटनी में लाये गये श्रमिकों को सहायता देने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या पग उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख)। जी नहीं।

(ग) उत्पन्न नही होता।

कपड़े की मिलें

*१२४२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कपड़े की कितनी मिलें बन्द हुईं;

(ख) इन के बन्द होने के फल-स्वरूप कितने मजदूर बेकार हुए; और

(ग) इस काल में पारियां (शिफटें) कम होने के कारण कितने मजदूर काम पर से हटाये गये ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग)। जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे के वायरलैस चालक

*१२४३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन लाइसेंसों में जो कि डाक और तार विभाग ने रेलवे को जारी किये है यह शर्त रखी गई है कि रेलवे के वायरलैस यातायात प्रणाली को डाक और तार विभाग के द्वितीय श्रेणी की योग्यता के प्रमाणपत्र प्राप्त था इसी के बराबर कोई अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्तियों को चलाना चाहिये;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है, तो क्या वर्तमान कर्मचारियों के पास इस प्रकार के प्रमाण पत्र हैं ?

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या डाक और तार विभाग से कोई छूट ले ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार अभिसमय के अनुरूप है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नही होता।

(ग) तथा (घ) । डाक और तार विभाग में रेलवे के वायरलैस चालकों के लिए इस अर्हता प्राप्ति की परीक्षा को अनावश्यक समझा परन्तु कार्य कुशलता का एक ऐसा मान दंड निर्धारित कर दिया जो कि सामान्यतया डाक और तार की द्वितीय श्रेणी की परीक्षा के अनुरूप है और अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार अभिसमय के भी अनुरूप है ।

पंजाब में छोटी छोटी सिंचाई योजनायें

* १२४४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५३–५४ के लिये पंजाब राज्य की छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं की सूची प्रस्तुत कर दी है ; तथा

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नई योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा विद्यमान योजनाओं के विकास के लिये कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विद्यमान योजनाओं के लिये ६०·४९ लाख रुपये तथा नई योजनाओं के लिये ३२·३१ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है ।

प्रसूति तथा शिशुकल्याण योजना

*१२४५. **श्री दाभी :**
डा० रामा राव :
श्री एस० एन० दास
डा० राजसुभग सिंह :
श्री संगण्णा :
श्री एस० सी सामन्त :
श्री हेम राज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि सरकार ने सम्पूर्ण देश के ग्राम्य-क्षेत्रों में प्रसूति तथा शिशुकल्याण की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : केन्द्रीय सरकार की योजना, जिसमें वह राज्य सरकारों का सहयोग चाहती है, राज्य सरकारों में उनकी स्वीकृति के लिये परिचालित करवा दी गई है । योजना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

चीनी के लिये टेण्डर

*१२४६. **श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बम्बई में २७ जनवरी, १९५४ को चीनी क्रय करने के लिये टेण्डर जमा करने के लिये प्रादेशिक संचालक (खाद्य) के कार्यालय में व्यापारियों की अत्यधिक भीड़ थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि टेण्डर के फार्म नहीं दिये जा सके ;

(ख) क्या यह सच है कि टेण्डर स्वीकार करने की पहले की प्रणाली, "पहले आने वाले का काम पहले" इस सिद्धान्त पर आधारित थी ; तथा

(ग) क्या यह सच है कि २८ जनवरी, १९५४ को यह घोषित कर दिया गया था कि टेण्डर की स्वीकृति पहले की प्रणाली के अनुसार न की जाकर लाटरी के द्वारा तय की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता

है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२]।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

*१२४७. **श्री वी० पी० नायर :** संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय टेलीफोन उद्योगों में सेवा की शर्तें सरकार की सेवा के नियमों के समान ही हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): नहीं। चूंकि भारतीय टेलीफोन उद्योग एक लिमिटेड कम्पनी है, इस कारण इसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तें कम्पनी के स्थायी आदेशों द्वारा परिचालित होती हैं।

डाक जीवन बीमा कार्यालय, कलकत्ता

*१२४८. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक जीवन बीमा कार्यालय, जो इस समय कलकत्ता में कार्य कर रहा है, उसका विकेन्द्रीकरण किया जाने वाला है ; तथा

(ख) क्या ऐसे विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप उपर्युक्त कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा इस सम्बन्ध के किये गए अभ्यावेदन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): कुछ प्रकार के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने का प्रस्ताव जो इस समय डाक बीमा कार्यालय, कलकत्ता के संचालक के कार्यालय में किये जाते हैं, विचाराधीन हैं।

(ख) हां।

डाइक्रोमेट उद्योग

*१२४९. **श्री के० पी० त्रिपाठी:** श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या व्यवसाय-जन्य बीमारियों के आपात का पता लगाने की दृष्टि से डाइक्रोमेट उद्योग का पर्यवेक्षण किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो (१) चर्म सम्बन्धी, (२) नाक की हड्डी में सूराख तथा (३) नाक के अन्दर फुंसियों की बीमारियों का आपात क्या था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां।

(ख) चर्म रोग १३२ मजदूरों (२०·९%) में, नाक की हड्डी में सूराख १३२ मजदूरों (२०·९%) और नाक के अन्दर फूंसियां १३० मज़दूरों (२०·६%) में पाई गई थीं।

क्रिश्चियन मेडिकल कालेज लुधियाना को अनुदान

*१२५०. **श्री डी० सी० शर्मा :** स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य संस्थाओं को दिये गए अनुदान के सम्बन्ध में १७ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार इस विषय में अपने आपको किस प्रकार सन्तुष्ट करने का विचार रखती है कि क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना को दिये गये अनुदान का यथोचित उपयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस कालेज को अपने सम्पूर्ण विकास से सम्बन्धित परीक्षित लेखे इस बात के प्रमाण-पत्र सहित केन्द्रीय सरकार को सिवल सर्जन, लुधियाना के द्वारा प्रस्तुत करने पड़ते हैं कि वह राशि उसी कार्य पर व्यय की गई है जिस कार्य के लिये स्वीकृत की गई थी।

रेलवे स्टोरों का पाकिस्तान के साथ विनिमय

*१२५१. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान सरकारों के बीच रेलवे स्टोरों के विनिमय के सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वह करार किस प्रकार का है ; तथा

(ग) क्या करार कार्यान्वित हो चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, पिछले नवम्बर में इंजन तथा डिब्बों की कुछ चीज़ों के विनिमय के सम्बन्ध में एक करार किया गया था जो दोनों देशों के बीच अभी तक रुका हुआ था।

(ख) इंजन तथा डिब्बों की कुछ चीज़ों के सम्बन्ध में, जिनके विभाजन पर दोनों देश पहले से ही सहमत हैं किन्तु दूसरा देश उन्हें नहीं भेज रहा है, दोनों ओर से मंगाने भेजने के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम के आधार पर विचार किया गया था, अन्य चीज़ों के मंगाने-भेजने पर बाद को विचार किया जायगा।

(ग) निदेश ३०-१-५४ को जारी किये जायेंगे किन्तु उनको कार्यान्वित किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

समतल-पारणों (लैवल क्रॉसिंग) प्रस्तिथापन

* १२५२. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) समतल-पारणों के स्थान पर सड़क के ऊपर अथवा नीचे पुल बनवानें में सरकार की नीति ;

(ख) क्या यह सत्य है कि २८ जून, १९५३ को सलेम में सुरमंगलम पंचायत सलेम जंकशन के अध्यक्ष द्वारा स्टेशन पर समतल-पारण के स्थान पर ऊपरी पुल बनवाने के सम्बन्ध में रेलवे के उप मंत्री के पास एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था;

(ग) यदि ऐसा है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) समतल-पारणों के स्थान पर सड़क के ऊपर अथवा नीचे पुल बनवाने का कार्य तभी आरम्भ किया जायेगा यदि सम्बन्धित राज्य सरकारें लागत के अपने अंश का व्यय उठाने को तैयार हों जैसा कि भारत सरकार रेलवे के सामान्य संहिता में विद्यमान नियमों के अनुसार पैराग्राफ १११७-११२२ में दिया हुआ है, जिसकी एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) चूंकि सलेम जंकशन का समतल-पारण उन समतल-पारणों की सूची में नहीं सम्मिलित किया गया है जिस की सिफारिश मद्रास सरकार ने ऊपरी पुलों के द्वारा परिस्थापन करने के लिये की थी, इस कारण सुरमंगलम पंचायत, सलेम जंकशन के अध्यक्ष को यह राय दी गई है कि वह इसको सूची में सम्मिलित करवानें के लिये राज्य सरकार से परामर्श करे।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़

*१२५३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या संचार मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर के टैंक-वायरिंग विभाग के शाप-लोड में कुछ समय से कमी हो रही है;

(ख) यदि ऐसा है तो किस तिथि से ; तथा

(ग) ऐसा होने के कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग)। विदेशो से पुर्जों के विलम्ब से प्राप्त होनें के कारण इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ के वायरिंग विभाग के शाप-लोड में अगस्त से अक्तूबर १९५३ में कमी हो गई थी । अब विभाग को पूरा कार्य मिल गया है ।

बेबूर-मुकर्जी टाइम-टेस्ट

*२३२. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सत्य है कि बेबूर-मुकर्जी टायम टैस्ट में डाक के बदलने के लिए जो टाइम नियत किया गया है वह आर० एम० एस० सेक्शनों को बीच के स्टेशनों के लिए नहीं दिया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां । कुछ स्टेशनों पर जहां बदले जाने वाले थैलों की संख्या अधिक होती है कभी कभी निर्धारित रुकने के समय के अन्दर डाक की अदला बदली करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) यह प्रयत्न तो अभी से किए जा रहे हैं कि गाड़ियों के रुकने के समय में अधिकाधिक वृद्धि की जाय और बदले जान वाले थैलों की संख्या को कम से कम रखा जाय ।

वेलनकर सूत्र

*२३३. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० एम० एस० सुपरिटेंडेंट कार्यालयों के लिए कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्वीकार किए गए वेलनकर सूत्र के पुनरीक्षण के बारे में क्या कोई प्रस्थापना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): यह प्रश्न कि क्या उक्त सूत्र में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है पहले से ही विचाराधीन है ।

आर० एम० एस० डाक डिब्बे

२३४. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में आर० एम० एस० कार्य के सुचारु रूप में चालू रखने के लिए कितने डाक-डिब्बों की आवश्यकता है और इस समय इस कार्य के लिए कितने कार्य योग्य डाक डिब्बे उपलब्ध हैं ; तथा

(ख) यदि कोई कमी हो तो सरकार उसे किस प्रकार और कब पूरा करने का विचार रखती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) भिन्न वर्गों के ८४४ डिब्बों की आवश्यकता है जिन में २४४ रक्षित होंगे किन्तु ७३४ ही उपलब्ध है ।

(ख) यथाशीघ्र नए डिब्बों के निर्माण द्वारा ।

आर० एम० एस० कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*२३५. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार खड़गपुर, टाटानगर और आसंसोल में आर० एम० एस० कर्मचारियों के लिए रहने के क्वार्टर बनाने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि ऐसा है तो यह प्रस्थापना किस स्थिति में है ; तथा

(ग) यह निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो कर कब समाप्त हो जाएगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। खड़गपुर, टाटानगर तथा आसंसोल के आर० एम० एस० कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की प्रस्थापना के विषय में रेलवे के साथ पत्रव्यवहार रहा है। सम्बद्ध रेलवे प्रशासन से यह प्रार्थना की गई थी कि वह उक्त स्टेशनों पर किराए के आधार पर क्वाटर बनवा दें। रेलवे प्राधिकारी इस काम के लिए अभी तक धन की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं क्योंकि वे स्वयं रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए वाग्बद्ध हैं।

(ग) यह कहना कठिन होगा कि ये क्वार्टर कब तक बन कर तैयार हो जाएंगे क्योंकि यह सब रेलवे प्रशासन पर निर्भर है। उनके द्वारा क्वार्टरों को यथा-शीघ्र बनवाने के प्रयत्न किए जाएंगे।

रेलवे लेखा विभाग में क्लर्क

*२३६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त मन्त्रणा समिति द्वारा लेखा विभाग के लिये श्रेणी १ के क्लर्कों की जो २६ प्रतिशत संख्या निर्धारित की गई थी वह भूतपूर्व रियासती रेलों के सम्बन्ध में १ अप्रैल, १९५० से लागू की गई थी जब कि अन्य रेलों के सम्बन्ध में यह २८ सितम्बर, १९५० से लागू की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस भेदभाव का पूर्व रियासती रेलों के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, केवल भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के लेखा विभाग के कुछ क्लर्कों को छोड़कर जिन्हें कि व्यक्तिगत रियायत के रूप में अपनी चालू वेतन श्रेणी रखने के विकल्प की अनुमति दे दी गई थी।

भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे के कर्मचारी

२३७. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि भूत-पूर्व बीकानेर स्टट रेलवे के लेखा विभाग में अनुसचिवीय पदों पर नियुक्त, तथा उन पर पक्के हुए, कुछ व्यक्तियों का वेतन क्रम अखिल भारतीय रेलवेज़ के समनुकूल पदों के बराबर नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे प्रभावित व्यक्तियों पर पड़े प्रातिकूल असर को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केन्द्रीय रेलवे सेवा आयोग की सिफारिश पर, भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे में ८०-१६० रुपये के वेतन-क्रम में नियुक्त ६१ क्लर्कों में से २६ को श्रेणी १ के क्लर्कों के वेतन-क्रम में कर दिया गया जो बाद में ८०-१२० रु० निर्धारित किया गया, तथा शेष क्लर्कों को श्रेणी २ में ५५-१३० रु० पर रखा गया। परिणामस्वरूप, बीकानेर स्टेट रेलवे के ८०-१६० रुपये के वेतन-क्रम के ३५ क्लर्कों को ५५-१३० रु० के निर्धारित वेतन-क्रम में रखा गया, किन्तु उन्हें व्यक्तिगत रियायत के रूप में इस बात का विकल्प दिया गया कि यदि वे चाहें तो अपने चालू वेतन-क्रम को रख सकते हैं।

(ख) क्लर्कों को अपना ८०-१६० रु० का उच्चतर वेतन-क्रम बनाए रखने की अनुमति दे दी गई।

कलकत्ता तथा डायमंड हारबर के मध्य नहर

२३८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता तथा डायमंड हारबर के मध्य एक अलग नहर बनाने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ; और

(ग) इस के स्थान पर दूसरी क्या योजना प्रस्तावित की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) । केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र पूना में नदी के नमूनों पर इस बात के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा रहा है कि डायमंड हारबर से कलकत्ता तक के नदी के फैलाव को नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित कर के सुधारा जा सकता है या नहीं और उसके परिणाम प्राप्त होने तक उक्त प्रस्ताव को निलम्बित कर दिया गया है । अब तक किये गए प्रयोगों से प्रकट होता है कि नदी को नियंत्रित किया जा सकता है ।

रेलवे स्कूल

*२३९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री रेलवे के समस्त हाई, मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों के नाम दर्शाते हुए खदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंग ?

रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है [**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३**]

रेलों में सफाई सप्ताह

*२४०. **श्री एस० एन० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पिछले साल दिसम्बर में पूर्वोत्तर रेलवे में "सफाई सप्ताह" मनाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सप्ताह के कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या थीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सारे स्टेशन मास्टरों को विशेष आदेश जारी कर दिए गये थे कि स्टेशनों तथा आस-पास के स्थान को साफ-सुथरा रखने के लिए विशेष पग उठाए जाएं।

इसी सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार व्यवस्था भी की गयी थी। माल, पार्सल, बुकिंग, पूछताछ कम्पनियों तथा ज़िला और प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी में इश्तिहार लगाए गये जिनमें "सफाई सप्ताह" मनाने की महत्ता पर जोर दिया गया था।

समस्त स्टेशन अभिलेख तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुएं सुचारु रूप से व्यवस्थित की गयीं। लगेज, पारसल तथा गुड्स को भी अपने अपनें गोदामों में उचित रूप से लगाकर रक्खा गया।

स्टेशन को आने वाली सड़कें, पैदल के ऊपर के पुल, स्टेशन के चबूतरे तथा बाग आदि साफ-सुथरे रक्खे गये।

कर्मचारियों के साफ पोशाक में ड्यूटी पर आने की अपेक्षा की गयी।

कर्मचारियों के मकानों के इर्दगिर्द क्षेत्र को स्वच्छ रक्खा गया तथा इस बात के लिए कार्यवाही की गयी कि वहां घास-फूस न उग आए।

पश्चिम रेलवे पर चोरियां

२४१. **श्री दाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में पश्चिम रेलवे पर कितनी चोरियां हुईं ;

(ख) चोरी हुए सामान का कुल मूल्य; और

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १,३१२ ।

(ख) २,८६,४९० ।

(ग) ४१४ ।

रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामला

२४२. **श्री दाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५३ में विशेष पुलिस विभाग द्वारा मध्य तथा पश्चिम रेलवेज़ के १७ कर्मचारियों को पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो वे किन अपराधों के लिए पकड़े गये थे ;

(ग) पकड़े गये व्यक्तियों के पद;

(घ) क्या उन लोगों की चार्ज-शीट की गयी है; और

(ङ) उनके विरुद्ध मामले में कहां तक प्रगति हो चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) दो कर्मचारियों को लोगों से घूस लेने पर तथा पंद्रह को इस्तैमाल की हुई रेल की टिकटों को पुनः बेचने के संदेह पर ।

(ग) पंद्रह टिकट कलेक्टर, एक रेल में चलने वाला टिकट परीक्षक तथा एक कोचिंग क्लर्क ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) अभी प्रारम्भिक जांच तथा खोजबीन हो रही है ।

ऋतु विज्ञान विभाग की सेवायें

२४३. **श्री ए स० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड्डयन, सशस्त्र सेनाओं तथा नौवहन को प्रदान की जाने वाली ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं में सन् १९५३ में क्या सुधार हुआ है ;

(ख) इस सेवा में कितने नए यंत्र जोड़े गये हैं ;

(ग) शीघ्रगामी तथा कार्यक्षम सेवाओं के लिए कितने नए केन्द्र खोले गये हैं; और

(घ) इसी काल में कितने नवीन प्रशिक्षित व्यक्तियों को और रक्खा गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग) . गोहाटी में एक मौसम की घोषणा करने वाला कार्यालय, मंगलोर तथा श्रीगंगानगर में दो प्रचलित मौसम सम्बन्धी वेधशालाएं, जयपुर में एक पायलौट बैलून वेधशाला, सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र) में एक भूतल वेधशाला, नागपुर तथा बमरोली में एक-एक राडर वायु-मापक केन्द्र तथा शिलांग में एक रेडिओं सोंडे केन्द्र सन् १९५३ में स्थापित किए गये । इनके अतिरिक्त चुने हुए भारतीय जहाजों के

बेड़े में, उनकी यात्रा के दौरान में मौसम की सूचना देने के लिए २२ व्यापारिक पोत रक्खे गये। मुख्य ऋतुविज्ञान कार्यालयों में, विशेषकर प्रातः तड़के परिवालित होने वाली विमान सेवाओं की सहायता के लिए, इंडियन स्टेंडर्ड टाइम ०२·३० बजे के प्रेक्षण के आधार पर एक अतिरिक्त मौसम तालिका का प्रबन्ध किया गया। कलकत्ते से सुदूर पूर्व के तीन अंतर्राष्ट्रीय विमान मार्गों पर तथा कलकत्ता कराची मार्ग पर प्रत्येक उड़ान के लिए डमडम के ऋतुविज्ञान कार्यालय द्वारा ऋतु सम्बन्धी दशाओं पर निगरानी रखना प्रारम्भ किया गया।

(ख) ६ रेडिओ-थिग्रोडोलाइट्स, एक डीप फ्रीज़ कूलिंग यूनिट तथा टेलीप्रिंटर युक्ति से मुख्य ऋतुविसान कार्यालयों को एक साथ ऋतु सम्बन्धी सूचना भेजने का एक यंत्र।

(घ) ८४।

बिल्लूपुरम में चोरी

२४४. **श्री मुनिस्वामी:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर बिल्लूपुरम में गन्ने, जलाने की लकड़ी तथा रेलवे सम्पति की बहुत सी चोरियां हुई थीं;

(ख) ऐसी कितनी चोरियों की सूचना दी गई है;

(ग) पुलिस तथा देख भाल करने वालों ने कितने मामलों का पता लगाया है;

(घ) १९५३ में जनता को तथा रेलवे को इस कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार ऐसे क्या पग उठायेगी जिनसे भविष्य में ऐसी घटनायें कम हों!

रेलवे उपमंत्री तथा परिवहन (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). १९५३ में जिन चोरी की घटनाओं की सूचना दी गई थी उनकी संख्या निम्न है:

गन्ने की	१
जलाने की लकडी की	३८
रेलवे सम्पति की	६८

तथा कुछ अन्य छोटी छोटी घटनायें।

(ग) पुलिस ने १६ मामलों का तथा देख भाल कर्मचारियों ने १४ मामलों का पता लगाया।

(घ) जनता को अनुमानत: कितनी हानि हई, यह विदित नहीं है। रेलवे को लगभग ३९४ रु० की हानि हई। इसमें २२७ रु० की हानि स्टेशन के सामान (फिटिन्स) की हानि के कारण हुई तथा १६७ रु० की हानि इस कारण हुई कि गन्ने के एक डिब्बे के लिये क्षतिपूर्ति दी गई थी।

(ङ) सशस्त्र पुलिस गन्ने की विशष गाड़ियों की रक्षा करती है तथा देख भाल कर्मचारी बिल्लूपुरम में रेल-सड़क चौराहे के फाटक पर नियुक्त कर दिये गये हैं। अतिक्रम तथा चोरियों को रोकने के हेतु बिल्लूपुरम स्टेशन के आस पास ऊंची दिवारों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

डाक तथा तार विभाग में क्लर्क

२४५. **श्री धूसिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) उत्तर प्रदेश के डाक तथा तार विभाग में स्थायी क्लर्कों की संख्या क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के डाक तथा तार विभाग में अस्थायी क्लर्कों की संख्या क्या है; तथा

(ग) उनमें कितने अनुसूचित जातियों के तथा कितने अनुसूचित आदिमजातियों के हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर):

(क) ५९८६।

(ख) १५१४ ।

(ग)	स्थायी	अस्थायी
अनुसूचित जातिया	१४२	१५५
अनुसूचित आदिम-जातियां		

चावल-कृषि का जापानी ढंग

२४६. **श्री लक्ष्मय्या:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या रायलसीमा के किसी ज़िले में चावल-कृषि का जापानी-ढंग लागू किया गया है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो वे स्थान जहां यह लागू किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां।

(ख) अनन्तपुर, कुडुपा, कुरनूल तथा चित्तूर ज़िले।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन

२४७. **श्री गोपाल राव:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन ने अब तक कुल कितना पूंजीगत व्यय किया है;

(ख) ट्रैक्टरों तथा अतिरिक्त भागों का क्रय करने में कितना रुपया अलग अलग व्यय हुआ है;

(ग) अनुपयोगी सामान का अनुमानित मूल्य क्या है; तथा

(घ) यह क्रय किस प्रकार किये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) कुल पूंजीगत व्यय, जो ३१ मार्च १९५३ तक समायोजित किया गया है, ९,४८,५६,८८७ रु० ४ आने है।

(ख) ऊपर बताये गये धन में से, १,९२,८६,२७० रु० ट्रैक्टर लेने पर तथा २,११,७५,७५३ रु० अतिरिक्त भागों तथा उपयोग होने वाले सामान पर व्यय हुआ। ३१ मार्च १९५३ तक ८३,१७,७६६ रु० के मूल्य के अतिरिक्त भाग तथा उपभोग होने वाला सामान प्रयोग किया गया। १ अप्रैल १९५३ को १,२८,५७,९८७ रु० के मूल्य के अतिरिक्त भाग तथा पूरक सामान भण्डार में था।

(ग) ३१ मार्च १९५३ को सन्तुलन पत्र के अनुसार केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन के पास २,४९,०८० रु० के मूल्य के अनुपयोगी ट्रैक्टर थे तथा १,४४,२१४ रु० का अन्य अनुपयोगी पूंजीगत सामान था। ३१ मार्च १९५३ तक दिये गये अनुपयोगी अतिरिक्त भागों तथा काम में आने वाले अन्य सामान का मूल्य सन्तुलन-पत्र में नहीं दिया गया था क्योंकि अनुपयोगी सामान के वापस आने के समय उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(घ) साधारणतया समस्त क्रयपूर्ति तथा उत्सर्जन के महानिदेशक के द्वारा किया जाता है।

कुम्भ मेला

२४८. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) इलाहाबाद में कुम्भमेले के लिये कितने डाकघर तथा तारघर खोले गये;

(ख) इनमें कितने कर्मचारी काम करते थे;

(ग) इनके द्वारा कितनी चिट्ठियां, मनीआर्डर, बीमे और पार्सल भेजे गये तथा प्राप्त हुये;

(घ) व्यक्तियों का पता न चल सकने के कारण कितनी चिट्ठियां उन्हें नहीं पहुंचाई जा सकीं; और

(ङ) कितने तार आय और कितने भेज गये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कुम्भ मेला में खोले गये डाकघरों तथा तारघरों की एक सूची, जिसमें उनके खोले जाने तथा बंद होने की तारीखें भी दी हैं, निम्न हैं :—

डाक तथा तार घरों के नाम	खोले जाने की तारीख	बंद होने की तारीख
१. जमुना पट्टी	१-१२-५३	३-३-५४
२. केन्द्रीय डाक-घर	२८-१२-५३	२६-२-५४
३. अरेल	३१-१२-५३	२०-२-५४
४. दक्षिण झूसी	३१-१२-५३	२०-२-५४
५. उत्तर परेड	४-१-५४	२३-२-५४
६. साधू बेला	५-१-५४	१६-२-५४
७. उत्तर झूसी	७-१-५४	१७-२-५४
८. वी० आई० पी० (दक्षिण झूसी)	११-१-५४	२०-२-५४
९. प्रदर्शनी	२५-१-५४	२०-२-५४

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ग) वस्तुओं की श्रेणी वस्तुओं की संख्या

	आईं	गईं
१. अपंजीकृत वस्तुयें	३,१५,०००	३ २
२. पंजीकृत पत्र	३,७६९	२,४६५
३. मूल्य देय पत्र (वी० पी० लैटर)	१३०	२६
४. बीमाकृत पत्र	२००	१७
५. पंजीकृत पार्सल	८०९	२४७
६. मूल्य देय पार्सल	२०७	१
७. बीमाकृत पार्सल	३०४	५
८. मनीआर्डर्स	३,९९६	४,२४८

(घ) व्यक्तियों का पता न चल सकने के कारण निम्न वस्तुयें उन्हें नहीं पहुंचाई गई :

सामान्य पत्र	लगभग	५००
पंजीकृत पत्र		५०
बीमाकृत पत्र		१
पार्सल		३
तार		२३५
मनीआर्डर्स		८९

(ङ) बांटने के लिये प्राप्त हुये

तार	२५,१००
भेजे गये तार	११,८८७

अखिल भारतीय फसल स्पर्धा योजना

२४९. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भिन्न भिन्न उपजों के कृषि पंडितों की छांट करने के लिये १९५१, १९५२ तथा १९५३ में कितनी अखिल भारतीय फसल स्पर्धायें हुईं ; तथा

(ख) सब से बड़ा पारितोषिक कितने का दिया गया तथा यह किस रूप में दिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) निम्न अखिल भारतीय स्पर्धायें हुईं :

	वर्ष	स्पर्धाओं की संख्या
(१)	१९५०–५१	तीन—धान, गेहूं तथा आलू की फसलों में से प्रत्येक में एक एक ।
(२)	१९५१–५२	छः—धान, गेहूं, आलू, चना, ज्वार तथा बाजरा की फसलों में से प्रत्येक में एक एक ।
(३)	१९५२–५३	तीन—गेहूं, आलू तथा चने की फसलों में से प्रत्येक में एक एक।

(क) भारत सरकार ने निम्न पारितोषिक दिये :

वर्ष	पारितोषिक की राशि रूप	
१९५०–५१	१००० रु० प्रत्येक फसल के लिये	(नकद)
१९५१–५२	५००० रु०, प्रत्येक फसल के लिये	(नकद)
१९५२–५३	५००० रु०, प्रत्येक फसल के लिये	(नकद)

(अभी दिये जाने हैं)

बीड़ी के कारखाने

२५०. **श्री नाना दास:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में राज्यानुसार बीड़ी के कारखानों में कितने मजदूर काम करते थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): बिना लाइसेन्स के बीड़ी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । एक विवरण जिस में निर्माणशाला अधिनियम १९४८, के अन्तर्गत आने वाले बीड़ी-मजदूरों सम्बन्धी १९५३ के प्रथम-वर्षार्ध की सूचना दी है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]

जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने वाली कम्पनियां

२५१. **श्री वाघमारे:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों पर जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने वाली कम्पनियों की अलग अलग संख्या कितनी है; और

(ग) इन कम्पनियों को माल चढ़ाने उतारने के लिये उपरोक्त बन्दरगाहों पर अलग अलग प्रति टन क्या दिया जाता है और प्रति जहाज उन्हें कम से कम क्या मिलता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क)

कलकत्ता	३५
बम्बई	१८
मद्रास	१३

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । माल चढ़ाने उतारने वाली कम्पनियों तथा जहाज-मालिकों के बीच निजी ठेकों के अनुसार भाड़े निर्धारित होते हैं ।

अंक २ मंगलवार,
संख्या २८ २३ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

——:०:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग १८४९]

सदन पटल पर रखे गए पत्र

(१) खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास नियम

(२) अप्रैल १९५० से मार्च १९५३ तक की कालावधि के लिये दिल्ली परिवहन अधिकार का प्रतिवेदन

(३) चन्द्रनगर जांच आयोग प्रतिवेदन, दिसम्बर, १९५३ [पृष्ठ भाग १८४९—१८५०]

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा [पृष्ठ भाग १८५०—१८७७]

समाचार पत्रों में भाषणों का वृत्तांत [पृष्ठ भाग १८७७—१८७९]

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या २२—आदिमजाति क्षेत्र [पृष्ठ भाग १८७९—१९४०]

मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य [पृष्ठ भाग १८७९—१९४०]

मांग संख्या २४—चन्द्रनगर [पृष्ठ भाग १८७९—१९४०]

मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग १८७९—१९४०]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

48 PSD

लोक सभा

मंगलवार, २३ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

(देखिये भाग १)

२ बजे म० प०

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सदन को सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा १३ मार्च, १९५४ को पारित निष्क्रान्त निक्षेप हस्तांतरण विधेयक, १९५४ को राज्य-परिषद् ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास नियम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, १९५३ की धारा ५ के अन्तर्गत बनाये गए खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई, देखिये संख्या एस—८९।५४]**

अप्रैल १९५०से मार्च १९५३ तक की कालावधि के लिए दिल्ली परिवहन प्राधिकार का प्रतिवेदन

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम, १९५० की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई,। देखिये संख्या एस—९०।५४]**

चन्द्रनगर जांच आयोग प्रतिवेदन, दिसम्बर, १९५३

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : श्रीमान्, मैं चन्द्रनगर जांच आयोग प्रतिवेदन, दिसम्बर, १९५३ की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३]**

सामान्य आयव्ययक/सामान्य चर्चा—जारी

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, कल अपना भाषण समाप्त करते समय मैंने अपनी कर प्रस्थापनाओं में कुछ फेर बदल करने की घोषणा की थी, मैंने उस समय कहा था कि मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार हूं, तथा तदनुसार आदेश भी जारी किए गये हैं, अब मैं उन बातों की ओर निर्देश करूंगा जो कि मुझ से नहीं हो सकती हैं, पहले मैं सुपारी के विषय को लेता हूं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

भारत में ३१,००,००० मन सुपारी जो खर्च होती है उसमें से २१,००,००० मन तो भारत में ही पैदा होती है, तथा १०,००,००० मन आयात की जाती है। आयात की गई सुपारी की मात्रा, मूल्य तथा प्रति मन कीमत नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (मन)	मूल्य (रुपये)	प्रति मन कीमत (रुपये)
१९५१-५२	१३,००,०००	५.७ करोड़	४२
१९५२-५३	१०,००,०००	३.५ करोड़	३५
१९५३-५४	१०,००,०००	३.३ करोड़	३२—८—०

सुपारी की प्रति शीर्ष परचून खर्चा जिसमें कि स्थानीय उत्पादन भी शामिल है, लगभग एक रुपया है, तथा प्रस्थापित दर पर प्रति-शीर्ष कर भार लगभग साढ़े तीन आने है, १९५३ के उत्तरार्ध में आयात लाइसेंसों पर लाभ की मात्रा तथा प्रव्याजि (प्रीमियम) यह थी : "लागत बीमा तथा भाड़ा' सहित मूल्य में लाभ की मात्रा——बम्बई में ५०—१३० प्रतिशत, कलकत्ता में १००——१६० प्रतिशत, तथा मद्रास में ८०——१०० प्रतिशत, तथा बम्बई में इसके मूल्य की लाइसैंस पर प्रव्याजि १२५ प्रतिशत तक, और कलकत्ता में ८० प्रतिशत तक थी। मद्रास से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं।

गत वर्ष जबकि अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था तो इसी प्रकार की आलोचना की गई जिस प्रकार की अब की जा रही है अर्थात् यह कि उपभोक्ता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व का मूल्य जो कि ११५ रुपये प्रति मन था, प्रारम्भिक लाभ के बाद गिरने लगा तथा इस वर्ष बजट पेश करने से पूर्व यह ९३ रुपये प्रति मन था; तो इस तरह से शुल्क में १० रुपये प्रति मन की वृद्धि के बावजूद मूल्य में २२ रुपये प्रति मन की कमी हुई। अतिरिक्त प्रस्थापित शुल्क अब लगभग ३३ रुपये प्रति मन है, परन्तु बढ़ोतरी १८ रुपये प्रति मन से ज्यादा नहीं हुई है। इस तरह से मेरे विचार में इस अतिरिक्त शुल्क का, इस वृद्धि का, उपभोक्ता पर प्रभाव न पड़ कर बिचवई पर पड़ेगा। मेरी प्रस्थापना को यथावत् रखने का यही औचित्य है, बढ़ा हुआ अतिरिक्त कर भार यदि सम्पूर्ण जनसंख्या पर वितरित किया जायेगा तो यह लगभग डेढ़ आना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आ जायेगा।

अब सीमेंट को लीजिये। भारत में इस समय २४ सीमेंट फैक्टरियां हैं, इनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता ३८,००० टन से लेकर ३५०,००० टन तक की है। कुल उत्पादन क्षमता लगभग ४२,००,००० टन है। १९५२ में वास्तविक उत्पादन ३५,००,००० टन था। नये उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में सीमेंट उद्योग से कोई भी विरोध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों आदि के बारे में कुछ पूछ ताछ की गई है, ८५ रुपये प्रति टन के फैक्टरी मूल्य पर उत्पाद शुल्क का भार लगभग छै प्रतिशत है तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इससे दरम्यानी दर्जे अर्थात् १५,००० रुपये की लागत के मकानों के निर्माण परिव्यय में एक प्रतिशत वृद्धि होगी। १९५२—५३ में आयात तथा निर्यात क्रमशः ३५,००० टन तथा ५०,००० टन था, इसका एक दूसरा भी पहल है। हमारी

अपना अनुमान है कि सरकार देश में तैयार किये गए सीमेंट का ३० से ४० प्रतिशत तक का भाग उपयोग में लाती है, इसलिए इस भार का एक हिस्सा मुझे भी उठाना पड़ेगा .

एक माननीय सदस्य : राज्यों द्वारा भी ।

श्री सी० डी० देशमुख : तथा राज्यों द्वारा भी ।

फिर मैं सूती कपड़े आदि के विषय पर आता हूं। किसी ने मुझ से पूछा कि मोटे कपड़े पर क्यों कर लगाया जा रहा है जबकि गरीब लोग इसे आम तौर पर पहनते हैं । मेरा उन्हें यह उत्तर है कि गरीब लोग मोटा कपड़ा नहीं पहनते हैं.....:....

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : 'बिल्कुल नहीं' कहना एक ज्यादती होगी । मोटे कपड़े की कई किस्में हैं जैसे कि बिछाने की चादरें, पर्दों के लिए कपड़ा आदि । केवल दरम्यानी कपड़े में धोतियां तथा साड़ियां आ जाती हैं, धोतियों तथा साड़ियों का वार्षिक उत्पादन यहां लगभग १४० करोड़ गज़ है---अर्थात् कुल उत्पादन का लगभग २।७ भाग है तथा इसका तीन चौथाई भाग 'दरम्यानी' कपड़े की श्रेणी में आ जाता है । मोटी धोतियों का उत्पादन चालीस अथवा पचास हजार गांठों के मासिक उत्पादन में से केवल कुछेक सौ गांठें हैं ।

सूती कपड़े आदि पर यह उत्पाद शुल्क लगाने के सम्बध में और भी कुछेक बातें कही गईं । श्री सोमानी ने बताया कि १९५३–५४ में महीन कपड़े के उत्पादन में इसलिए कमी हुई क्योंकि गत वर्ष में इस पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया था । इस कथन के समर्थन में उन्होंने १९५१–५२ के उत्पादन आंकड़े हमारे सामने रखे, परन्तु उन्होंने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि बढ़िया तथा महीन कपड़े के उत्पादन में १९५२-५३ में ही कमी होनी शुरू हुई थी । १९५२-५३ में दो तरफा कार्यवाही हुई थी । एक यह कि महीन कपड़ा ज्यादा बनने लगा और दूसरी यह कि बढ़िया कपड़े की जगह दरम्यानी कपड़ा ज्यादा बनने लगा । यह दो तरफा कार्यवाही भीतरी तथा बाहरी बाज़ार की स्थिति के कारण ही उत्पन्न हुई होगी तथा उत्पाद शुल्क में फेर बदल करने से नहीं ।

और भी कई बातें हैं जिनका कि १९५३–५४ में बढ़िया कपड़े के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उनका यह कहना कि कर भार में शत प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक नहीं । इसमें अतिशयोक्ति है क्योंकि उन्होंने इसका औसत नहीं लिया है बल्कि कपड़े की सस्ती किस्मों में से शायद एक सबसे अधिक सस्ते कपड़े की किस्म को लिया है । आगामी वर्ष में कपास पर से आयात शुल्क हटाने का भी बढ़िया कपड़े के उत्पादन में कमी होने से कोई सम्बन्ध नहीं । यह शुल्क हटाने का कारण मेरे बजट सम्बन्धी भाषण के भाग ख के पैरा ४८ में दिया गया है, इसके अतिरिक्त कारण यह है कि मिलें कपास का उतना स्टाक अपने पास रख सकती हैं जितना कि उन्हें उचित प्रतीत हो, दूसरे भारतीय कपास के प्रदाय पर दबाव कम हो जायगा । तीसरे आयात शुल्क कम करके उत्पादन शुल्क में मामूली वृद्धि करने से विवर्तित उत्पादन के लिए प्रेरणा कम हो जायगी ।

मेरे विचार में माननीय सदस्य ने यह कहने में गलती की है कि १९५३-५४ में बढ़िया कपड़े पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के बावजूद राजस्व नहीं बढ़ा है । वास्तव में महीन कपड़े पर शुल्क लगाने से १९५२–५३ में ३.९ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ । जबकि १९५३-५४ में यह ५.२ करोड़ रुपये वसूल हुआ । अर्थात् ३३ १।३

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह भी एक कारण है कि कपड़े पर लगाए गए उत्पाद शुल्क में क्यों कोई फेर बदल नहीं किया जाना चाहिए।

कल मैं योजना के लिये साधनों आदि का संक्षिप्त रूप से ज़िक्र कर रहा था यह भी कह रहा था कि इस में क्या कुछ कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप इसकी कार्यान्विति में भी कुछ फर्क आया है, इसके कारणों पर और अधिक ध्यान देना अब आवश्यक है, योजना आयोग ने अपने हाल ही के एक प्रतिवेदन में कमी के जो आंकड़े दिए हैं, उनका एक विश्लेषण मेरे पास है। राज्यों के क्षेत्र में ११ करोड़ रुपये की कमी हुई है तथा केन्द्र के क्षेत्र में लगभग ४० करोड़ रुपये की कमी हुई है। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय को ही लीजिये। योजना आयोग की राय में कुल कमी ९ करोड़ रुपये की हुई है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय को प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनाओं के खर्चे में लगभग ३.५ करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसके अलग अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:— भाखड़ा नंगल १८ लाख, दामोदर घाटी निगम लगभग ३६ लाख, हिराकुड १.०७ करोड़ तथा हरिके १.८२ करोड़।

भाखड़ा नंगल तथा दामोदर घाटी निगम के व्यय में जो कमी हुई है वह तुलनात्मक रूप से कम है। भाखड़ा नंगल में खर्चा कम किये जाने का मेरे विचार में कारण यह था कि उन्हें विदेशों से विशेषज्ञों की सेवाएं समय पर प्राप्त नहीं हुईं। दामोदर घाटी के सम्बन्ध में बजट में कुछ अधिक रुपया रखा गया था। हरिके तथा हीराकुड में कमी का कारण कुछ तो यह है कि मशीनरी आदि समय पर प्राप्त नहीं की गई तथा कुछ यह कि बजट में अधिक रुपया रखा गया था।

अब हम उत्पादन मंत्रालय पर आते हैं। मेरे पास सविस्तार विवरण है, परन्तु मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सारांशतः स्थिति यह है कि उत्पादन मंत्रालय की स्कीमों पर जो कुछ खर्च किया जाना था उसमें से सात करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें से चार करोड़ रुपये से अधिक राशि का सम्बन्ध सिन्दरी से था तथा इसे उपयोग में न लाने से परियोजनाओं की कार्यप्रगति पर कोई प्रभाव न पड़ा। शेष दो करोड़ रुपये से अधिक राशि की जो कमी रह गई है वह परियोजनाओं की कार्य प्रगति में विलम्ब होने के कारण हुई है और धन समय पर मंजूर न होने के कारण नहीं हुई है।

अब शिक्षा मंत्रालय को लीजिये। यहां दो करोड़ रुपये की राशि को उपयोग में नहीं लाया गया। इसके कारण ये हैं:

३४.२ लाख रुपये विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान देने के लिए रखे गये थे विश्वविद्यालय इसे उपयोग में न ला सके क्योंकि उन्होंने कोई व्यापक परियोजनाएं नहीं बनाई तथा इस सम्बन्ध में कोई समझौता न हो सका कि सम्बन्धित राज्य सरकारें कितना खर्चा उठायेंगी तथा हम कितना खर्चा उठायेंगे।

इस के बाद बुनियादी और सामाजिक शिक्षा परियोजनाओं तथा अन्य विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये १ ३।४ करोड़ का उपबन्ध था। चूंकि शिक्षा मंत्रालय के पास राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी इसलिये उक्त निधि में से बहुत कम खर्च किया गया है और राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि वह रुपयों के अभाव में स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। उन का यह कारण बहुत महत्वपूर्ण है। 'प्रशिक्षण शिक्षा' शीर्षक के

अन्तर्गत उपबन्ध की गई १४ लाख रुपये की रकम आवश्यक उपकरणों के मिलने में कठिनाई होने से वापस लौटा दी गयी । सामुदायिक योजनाओं के अधीन ४ करोड़ रुपये की कमी रही । इस का पहला कारण तो यह था कि मई, १९५२ में इस योजना का उपबन्ध करते समय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा नहीं निर्धारित की गई तथा कार्यक्रम का उदघाटन अक्टूबर, १९५२ में किया गया और प्रत्येक योजना के प्रथम खण्ड में कुछ काम आरम्भ हुआ । दूसरा कारण राज्य सरकारों द्वारा बीजकों की तैयारी में देरी कर देने से उपकरण के आयात में देरी हो जाना और नमूने निर्धारित करने में प्रशिक्षण सहकारिता प्रशासन द्वारा आशा से अधिक समय लगा देना है । कहा गया है कि वित्त मंत्रालय की ओर से देरी कर देने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई । यद्यपि कोई दृढ़ प्राक्कलन उपलब्ध नहीं थे । वित्त मंत्रालय ने कार्यक्रम निश्चित होने तक प्रारम्भिक कार्य के लिये ५०,००० रुपये प्रति खण्ड खर्च किये । अनुमोदित कार्यक्रम की रचना में सुविधाएं देने तथा उसे शीघ्रतापूर्वक कराने की दृष्टि से सामुदायिक योजना प्रशासन और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिये हम ने राजस्व और व्यय विभाग का एक विशेष प्रतिनिधि भेजा था ।

फिर परिवहन मंत्रालय के अधीन २ करोड़ रुपये की कमी है । यथार्थ में यह ४ करोड़ है । योजना आयोग ने इसे २ करोड़ रुपये माना है लेकिन हमें मालूम हुआ कि वस्तुतः यह ४ करोड़ रुपये है । नौवहन समवायों द्वारा समुद्र पार के देशों से व्यापार करने के लिये ऋण के रूप में २ करोड़ रुपये की राशि अलग रख दी गई थी लेकिन उक्त समवायों द्वारा ऋण की इस रकम का उपयोग नहीं किया गया । कान्दला बन्दरगाह के सम्बन्ध में कम खर्च होने के कारण और २ करोड़ रुपये की रकम लौटा दी । ऐसा मुख्यतः डिज़ाइनों को अन्तिम रूप देने, काम के पूरा होने और कर्मचारियों की पूरी भरती न करने के कारण हुआ । सम्भरण उपलब्ध न होने से रेल मंत्रालय में १७ करोड़ रुपये कम खर्च हुए । मैं रेल मंत्रियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । इञ्जिन, डब्बे आदि नहीं मिल सके ।

इस के बाद पुनर्वास मंत्रालय में चार करोड़ रुपये की कमी का विषय है । राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास सम्बन्धी सही परियोजनाओं की अनुपस्थिति के कारण १ करोड़ रुपये की कमी की गई है । विस्थापित व्यक्तियों के लिये १९५२-५३ में गति के साथ मकान बनाने का काम न होने के कारण १ करोड़ १२ लाख रुपये कम खर्च हुए । यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कराना पड़ा और समझा जाता है कि इस काम के पूरा होने में विलम्ब हो गया । "५७--विविध" शीर्षक के अधीन विस्थापित व्यक्तियों की सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी होने से खर्च में २ करोड़ रुपये की कमी की गई । मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि अन्तिम आंकड़े मिल जाने पर इस गाथा की पुनरावृत्ति की जायेगी । जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है स्थानीय कार्यों के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की जिस राशि का आवंटन किया गया था वह लौटा दी गई है क्योंकि राज्य सरकारें किसी भी प्रकार की योजनाएं भेजने में असमर्थ रही हैं । इस के सिवाय उन्होंने १,२५,००,००० रुपये की अग्रिम राशि का हिसाब भी नहीं दिया है ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा मुझसे कहा गया है कि उन के द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई परियोजनाएं स्वीकार नहीं की गई हैं और इसलिये वह रुपया खर्च नहीं कर सके ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि इस का सम्बन्ध स्थानीय कार्यों से है तो यह गलत है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का निर्देश स्थानीय अथवा पुनर्वास कार्यों से है।

श्री मेघनाद साहा : इस का सम्बन्ध पुनर्वास कार्यों से है।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरी जानकारी है कि जो परियोजनाएं उन्होंने भेजी थीं वह उचित नहीं समझी गईं और १९५२-५३ का १ करोड़ रुपये का उन्होंने इस वर्ष उपयोग कर लिया है। इस तरह उन्होंने ३ करोड़ रुपये वापस लौटा दिये हैं।

श्रीमान्, अब मैं योजना पर उठाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। आपत्तियां बड़ी दिलचस्प हैं क्योंकि बार बार उन्हें उठाया गया है। पहली आपत्ति है कि यह एक बहुत ही सीमित प्रयत्न है। दूसरी आपत्ति यह है कि यह प्रबन्धक की योजना है जनता की योजना नहीं है और यह ऊपर से थोपी गई है उस का उदगम जनभावना नहीं है तथा उस के पीछे जन-जन की उत्साह भावना नहीं है। मैं इस का निदश कर रहा हूं यद्यपि श्री जेम्स बी० कोहेन ने दिनांक २८ फरवरी, १९५४ के "सर्चलाइट" में इस विषय पर समीचीन लेख लिखा है। उक्त अंक में प्रकट किये विचार सही हैं। जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है जनता एकदम लाभ चाहती है दूसरे शब्दों में वह योजना के जीवन काल में ही प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दुगुनी कर देना चाहती है। हमें इस भावना की उलझनों को समझना चाहिये। अब यह सामान्य रूप से मान लिया गया है कि पूंजी का निर्माण ही आर्थिक विकास की कुञ्जी है। हम ने कुल उत्पादन में वास्तविक पूंजी विनियोग पांच प्रतिशत लिया है जब कि यह अमरीका में १८ प्रतिशत, जापान में १६ प्रतिशत, कनाडा में २३ प्रतिशत और ब्रिटेन में १३ प्रतिशत है। हमारा राष्ट्रीय उत्पाद १०,००० करोड़ है। अतः भारत में पूंजी का निर्माण अत्यधिक निचले स्तर पर है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक भारत में राष्ट्रीय आय ११ से १२ प्रतिशत बढ़ जायेगी और पूंजी के निर्माण की दर ७ प्रतिशत तक पहुंच जायेगी। हम आशा करते हैं कि १९६०-६१ में पूंजी निर्माण की दर ११ प्रतिशत और १९६७-६८ में २० प्रतिशत बढ़ कर उस के बाद स्थायी हो जायेगी। श्रीमान् इन धारणाओं पर १९७७ में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जायेगी और उपभोग स्तर १९५०-५१ की तुलना में ७० प्रतिशत बढ़ जायेगा। मैं स्वयं इस पर विचार करता हूं कि क्या उन्नति की दर यथेष्ट नहीं है। शीघ्र विकास वाले अन्य देशों के अनुभव का क्या स्वरूप है ?

ब्रिटेन में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आय और पूंजी विनियोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह काल वहां के आर्थिक विकास में कदाचित सब से महत्वपूर्ण है। १८७०---१९१३ की अवधि में आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि पूंजी विनियोग की वास्तविक दर १० से १५ प्रतिशत के बीच झूम रही थी और उस के बाद राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति १०० प्रतिशत बढ़ गई। अमेरिका में १८६९ से १९१३ तक वास्तविक पूंजी विनियोग में १३ से १६ प्रतिशत वृद्धि हुई और ४४ वर्ष बाद राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति १३० प्रतिशत बढ़ गई। जापान में जहां कि जनसंख्या में भारत की वर्तमान दर के समान ही १ १।४ प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, १८७८ से १९१२ तक पूंजी निर्माण का औसत १२ से १३ प्रतिशत था और बताया जाता है कि ३४ वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो गई। अतः दूसरे देशों के सम्बन्ध में यह अवधि ३३ और ४४ वर्षों के बीच है। यदि उक्त दरें कुछ भी सही हैं तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के दुगनी होने में एक पीढ़ी

अर्थात ३५ वर्ष लग जाते हैं। पूंजी विनियोग की दर ५ से २० प्रतिशत होने में योजना आयोग की आशा के अनुसार प्रथम और उस के बाद की पञ्चवर्षीय योजनाएं हैं। श्रीमान, मेरा विचार है कि अर्थ-व्यवस्था के इतिहास-कारों द्वारा इसे महती सफलता का रूप दिया जायेगा।

जहां तक कार्य निष्पत्ति का सम्बन्ध है हमारे पास सोवियत पंचवर्षीय योजना की सांख्यकी है। सोवियत पंचवर्षीय योजना ने यथार्थ में जितना प्राप्त किया है उपभोक्ताओं को उस से कहीं अधिक का वायदा दिया गया था। यह किसी प्रकार की आलोचना नहीं है लेकिन यह उन सम्भावनाओं का प्रतीक है जहां संगठन शक्ति हमारी कल्पना से परे है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अनुसार कपास के उत्पादन का ध्येय ४६,७०० लाख मीटर था। १९३२ में वास्तविक उत्पादन २६,९४० लाख मीटर था। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अनुसार सूती कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य ४९,००० लाख मीटर था जब कि वास्तविक उत्पादन ३४,४८० लाख मीटर था। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अनुसार जूतों के उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य १४५० लाख जोड़े था। १९३२ में केवल ९४० लाख जोड़े बनाये गये। यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जूतों के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य की पूर्ति १९३७ में पूरी हो गई। गृह-व्यवस्था के विषय में १९३३-३७ में ६४० लाख वर्ग मीटर मकान बनने चाहिये थे लेकिन लगभग २७० लाख वर्ग मीटर वास्तविक रूप में प्रयुक्त किये जा सके। १९२८ के बाद नगरवासियों के लिये कभी भी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई।

श्री मेघनाद साहा: रूस में प्रथम पंच-वर्षीय योजना का यह उद्देश्य था कि पूंजी वस्तु उद्योग को सुधारा जाय, उपभोग वस्तु उद्योग को नहीं। उन्होंने बड़े उद्योगों पर ही ध्यान दिया था।

श्री सी० डी० देशमुख : अब मैं समझ गया। किन्तु यदि ऐसी बात थी भी, तो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि इतने अधिक लक्ष्य से काम प्रारम्भ किया जाय जो बाद में पूरा नहीं हो सके। यदि और किसी बात पर ज़ोर दिया जाने वाला था, तो उन्हें कम लक्ष्य से काम शुरू करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि जान बूझ कर लक्ष्य बनाने के बाद वहां इतनी अधिक बर्बादी हुई है, जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कभी भी नहीं होगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने किस आधार पर ये आंकड़े दिये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने इस प्रश्न की प्रत्याशा की है और स्रोत जानने में साव-धानी भी बरती है। इसका आधार 'रशियाज़ सोवियत इकानोमी' है जो हैरी श्वार्त्ज़ द्वारा १९५१ में लिखी गई थी। श्रीमान्, मुझे बताया जाता है कि उक्त लेखक बहुत ही विश्वसनीय है।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व) : यह पुस्तक कहां प्रकाशित की गई थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : १९५१ में। श्वार्त्ज़ का अर्थ है काला। अतः, जहां तक मैं जानता हूं, उक्त लेखक विश्वसनीय (ब्लैक ह्यर्स) है।

मैंने घाटे की अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश किया और अब मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इसी को इन सब रोगों का उपचार नहीं समझता। इसे हमें औषधि के रूप में बरतना है, अन्न के रूप में इसका उपभोग नहीं करना है। यह तो इस समय सीधे से गणित की बात है कि आगामी दो वर्षों में

[श्री सी० डी० देशमुख]

हमें ६०० करोड़ रुपये तक की राशि की अर्थ-व्यवस्था नोट आदि छाप कर करनी पड़े; किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारी ऐसी नीति है या हम इस घाटे की अर्थव्यवस्था की सिफ़ारिश कर रहे हैं। यह हो सकता है कि किसी कारण से योजना के व्यय में हमें कहीं न कहीं अनिवार्यतः घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़े। मैं राज्य-परिषद् में भी बतला चुका हूं कि यदि हमें यह दिखाई दे कि हमने ८५ प्रतिशत तक योजना को कार्यान्वित किया है तो हम बधाई के पात्र होंगे।

विगत वर्ष के अन्त पर जब इस बात का निश्चय किया गया था कि बेकारी कम करने के हेतु कई बातों में योजना का पुनः अभिनवीकरण किया जाना चाहिए, तो हम जानते थे कि १७५ करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त राशि बाद में अतिरिक्त नहीं होगी। हम जानते थे कि कई दिशाओं में हमें अनिवार्यतः इस घाटे का सामना करना पड़ेगा, चुनाचि ऐसा हुआ भी कि १९५२-५३ में लगभग ५१ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर भी, घाटे की इस व्यवस्था को अनिवार्य समझने का कोई अभिप्राय नहीं था। अब भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर पहलू में अपने लक्ष्यों को पूरा करें। यदि ८५ प्रतिशत तक ही यह योजना कार्यान्वित की जाय, फिर भी यह उससे अधिक होगी जो हमने भाग १ और भाग २ के रूप में पहले सोच रखी थी। मैं सदन को यह बतला दूं कि हमने भाग १ के रूप में १५०० करोड़ रुपये और भाग २ के रूप में ३०० करोड़ रुपये की राशियों को पहले ही सोच रखा था। इसके विपरीत, अब यह योजना अन्तिम रूप में २२४४ करोड़ रुपये की है। मैं यह भी बतला चुका कि पुनः रचना तथा विकास के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से वाह्य सहायता प्राप्त करने की भी मेरी आशा है। राष्ट्र संघ में हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो केवल मित्रता के उद्देश्य से इस मामले में इतनी ही दिलचस्पी लेने को तैयार हैं जितनी वे इस देश के आर्थिक सुधार में ले चुके हैं—इसीलिए उन पर विश्वास किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : यह एक भूल है।

श्री सी० डी० देशमुख : संसाधनों के सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूं। बीच बीच में कई आपत्तियां की गई हैं। उदाहरण के तौर पर श्री तुलसीदास की आलोचना को लीजिये। उन्होंने बताया कि दोषपूर्ण आयव्ययक आकलन के कारण इस समय और पहले भी करारोपण प्रस्ताव से निजी क्षेत्र से बचत की कोई भी राशि प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसी बात को अभिनव करारोपण के विरुद्ध एक दलील बनायी जाने लगी है। भूतकाल में हुए घाटे और भविष्य में होने वाले घाटों को देख कर यही कहा जा सकता है कि यह दलील बेकार है। कल ही मैंने आंकड़े बताए और जिस प्रकार करारोपण किया गया अथवा किया जाने वाला है उससे घाटा पूरा नहीं होगा। निजी क्षेत्र से धन खींचने का प्रश्न इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि वह बेकार है।

पाकिस्तान की ओर भी निर्देश हुआ था; इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि दोनों वित्त मंत्रियों के बीच क्या हुआ। मैं आपको १९५२ के दिनों की बात बता दूंगा। पहली बातचीत में हमने यही सोचा था कि इस दो तरह के झगड़े को सुलझाने का कोई उपाय है—यानी भारतीय बैंकों के नोट हस्तान्तरित करके पाकिस्तान ने हम पर जो एक दायित्व डाल दिया है, उसके दावे पर विचार होगा। कहने का यह तात्पर्य है कि हमारे पास पहले

से ही ५० करोड़ रुपये पड़े हैं। इसीलिए हमें किसी न किसी रूप में उन्हें इसके समान विनिमय चुकाना होगा या विभाजन के दिन रिज़र्व बैंक में उनकी जितनी भी संपत्ति थी, उसी के अनुपात से पैसा चुकाना होगा। वास्तव में, विवाद का यही कारण था कि किसी एक अवसर पर हमारा यह विचार रहा कि धन का संचार युद्धोत्तर संचार है, अतः रिज़र्व बैंक की परिसम्पत् के स्थानान्तरण द्वारा इसका समायोजन नहीं किया जा सकेगा। उस समय स्टर्लिंग, सोना, आदि का मूल्य अधिक था। हमने पाकिस्तान के साथ रुपये का करार किया था। किन्तु अब यह सब बदल गया है। हमें पाकिस्तान के साथ स्टर्लिंग में हर तरह का भुगतान करना है, हम चाहे उन्हें विनिमय दें अथवा रिज़र्व बैंक की परिसम्पत् का कुछ अनुपात दें—ये दोनों एक सी बातें हैं। हम बहुत कम राशि सोने के रूप में देंगे—यानी पौण्डों में हम उन्हें ४० प्रतिशत देंगे और शेष राशि भारतीय रुपये में प्रतिभूति के रूप में देंगे; और यदि हमें विनिमय के रूप में इस सारे को चुकाना पड़े तो हमें पौण्डों में ही सब कुछ देना होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने जो अपनी पसन्द की बात है वह कुछ सरल है। किन्तु हमें किसी न किसी ढंग से इसका निपटारा करना चाहिए क्योंकि हमें वह धन प्राप्त हुआ है और अब उस पर विचार करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। इसके विपरीत हमारा यही दावा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा लिये गये सरकारी ऋण की अदायगी में जब तक किसी क़िस्म के सम्बन्ध में निश्चय नहीं होता, तब तक हमें नकद धन देने में कठिनाई होगी। इस प्रयोजन से हम दोनों ने प्रयत्न किया और मैंने लगभग ९ करोड़ रुपये का उपबन्ध भी किया। उन्होंने जिस आंकड़े का उल्लेख किया है—यह आवश्यक नहीं कि यह हर बार आयव्ययक में शामिल हो—उससे यही लग रहा है कि यह किस्त भारतीय रुपये के हिसाब से ७·४ करोड़ होगी। यह दिखाई देता है कि लगभग ८ करोड़ रुपये की राशि मानी जाएगी, यद्यपि अभी इस सम्बन्ध में हमने कोई भी करार नहीं किया है। हो सकता है कि समायोजन की शेष राशि बहुत अधिक न हो। यह भी हो सकता है कि उधर या इधर ५० लाख से १ करोड़ रुपये तक का अन्तर पड़े जो सम्भवतः हमारे पक्ष में हो, किन्तु मैं ठीक से यह नहीं कह सकता कि क्या होगा क्योंकि पाकिस्तान स्थित लेखा पदाधिकारियों के पास अभी इसका हिसाब नहीं पहुंचा है।

इसके पश्चात्, इसी के साथ के अनेक विवाद हैं जैसे पूर्वी और पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच निपटारा; और यह सम्भव है कि हम इस बात पर सहमत हों कि केन्द्रीय लेन-देन द्वारा इन का निपटारा हो।

फिर कुछ ठेकेदारों के दावे आदि हैं जिसके लिये हमें थोड़ा धन देना पड़ सकता है; और अन्त में दो अन्य परस्पर विरोधी दावे हैं। एक तो उन सैनिक स्टोरों के सम्बन्ध में है जो हमने पाकिस्तान को दिये थे और जिसके विषय में समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित हुआ था और कुछ सप्ताह हुए हमारी तरफ़ से और उनकी तरफ़ से भी एक वक्तव्य दिया गया था। दूसरा मामला अवमूल्यन के समय पाकिस्तान के राज्य बैंक का जो रुपया रक्षित बैंक के पास था उसका हिसाब करने के सम्बन्ध में है। उनके दावे का आधार यह है कि चूंकि अवमूल्यन हमारे द्वारा किये गये एक समझौते के विपरीत बिना उनके परामर्श से अथवा बिना उनके निर्णय की प्रतीक्षा किये हुए किया गया था, अतः अवमूल्यन से उनके बक़ाया रुपयों की राशि में जो हानि हुई है, हमें उसे पूरा करना होगा। हम लोग उस दावे का उसी

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रकार विरोध करते रहे हैं जिस प्रकार वे सैनिक स्टोरों के भुगतानों सम्बन्धी हमारे दावे का विरोध करते रहे हैं। दोनों राशियां लगभग बराबर ही हैं और बहुत सम्भव है कि जब कुल ऋण जोड़ा जाय, तो पता लगे कि वह बहुत थोड़ा है और वह सब ५० लाख या एक करोड़ रुपये की समायोजन संख्या में प्रतिबिम्बित हो जायेगा। मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता हूं। बहुत सम्भव है कि उसे वार्षिक क़िस्त में जोड़ना पड़े।

इस प्रारम्भिक बातचीत के बाद, पाकिस्तान के वित्त मंत्री लगभग चार या पांच महीने के लिये बहुत बीमार पड़ गये और इससे उनको जो शारीरिक कष्ट हुआ उसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि, उनकी अनुपस्थिति में विदेशी विनिमय साधनों का प्रबन्ध उतने ध्यानपूर्वक नहीं हुआ, जितना कि वह करते रहे थे, और इसका यह परिणाम हुआ कि विदेशी विनिमय साधनों के सम्बन्ध में पाकिस्तान बहुत भारी कठिनाई में पड़ गया। इसी कारण वह भुगतान की वे किस्तें नहीं दे सका, जो कि समझौता हो जाने पर उसने दे दी होतीं। उसके बाद मेरी उनसे सिडनी में फिर बातचीत हुई और मुझे अब भी आशा है कि हमारे बीच कोई न कोई समझौता हो जायेगा। हो सकता है कि इन दो वर्षों की हानि को पूरा करना पाकिस्तान के लिये सम्भव न हो, क्योंकि जो साधन एक बार खो जाते हैं वे सदैव के लिये खो जाते हैं और सम्भव है कि वे यह प्रार्थना करें कि मैं इस सब की वसूली स्थगित कर दूं और अगले वर्ष से किस्तें आरम्भ करूं। जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही हम लोग आयव्ययक से छुट्टी पा जायेंगे, जो मई में किसी समय होगा, वैसे ही इस बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और इसीलिये दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों के खराब हो जाने पर भी मैं यह आशा कर रहा हूं कि आर्थिक मामलों में हम दोनों अपने आपसी दावे तय कर सकते हैं---एक तो नकदी का दावा है और दूसरा हमारे ऋण का क़िस्तों के रूप में भुगतान किये जाने का दावा है।

कदाचित श्री टामस द्वारा एक आलोचना यह की गई थी कि बचत संगठन के लिये किये गये उपाय पर्याप्त नहीं थे, और उन्होंने कहा कि गत युद्ध में इससे अधिक राशियां एकत्रित की गई थीं। यह सभी जानते हैं कि गत पांच या छै वर्षों में हम छोटी बचतों के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान देते रहे हैं, और मैं अपने आयव्ययक भाषण में उन उपायों का उल्लेख कर चुका हूं जो हाल ही में किये गये हैं।

युद्धकाल के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र के आंकड़े गलत हैं। वास्तव में विरोधी पक्ष के मेरे माननीय मित्रों के प्रयत्नों के बावजूद भी १९४४–४५ में समाप्त होने वाले छै वर्षों में थोड़ी बचत से केवल शुद्ध १८ करोड़ रुपये जमा हुए थे। प्रथम चार वर्षों में ४८ करोड़ रुपये निकाल लिये गये थे जो अगले दो वर्षों में बहुत कुछ पूरा हो गया था। वस्तुतः थोड़ी बचत में अत्यधिक वृद्धि तो युद्धोत्तर काल में हुई थी। १९४५–४६ तथा १९४६–४७ के दो वर्षों में कुल १०९ करोड़ रुपये इकट्ठे हुए थे। इन आंकड़ों पर विचार करते समय सदन को यह स्मरण रखना चाहिये कि युद्धकाल में युद्ध-प्रयोजनों के लिये बहुत बड़ी धन-राशि लगा दी गई थी और युद्ध काल में तथा उसके तुरन्त पश्चात् विनियोग तथा व्यय के साधन बहुत सीमित होने के कारण उसमें से कुछ का सरकार के पास लौट आना स्वाभाविक था। एक और कारण यह था कि युद्धकाल में निम्न तथा मध्यम

वर्ग के लोगों की धन की आय काफ़ी बढ़ गई थी और अब यद्यपि ये बचत करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अब ये इस बचत आन्दोलन का मुख्य आधार नहीं बन सकते हैं।

श्री टामस ने राज्य की ओर से लॉटरी जारी करने का सुझाव दिया था जैसा कि आयरलैण्ड तथा कुछ अन्य देशों में होता है। जहां तक मैं समझता हूं यह उतना सरल नहीं है जितना कि उन्हें प्रतीत होता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में कुछ बातों पर विचार किया है और सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया है। इसे खरीदने वाले अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो अपने बचाये हुए धन से इसके लिये पैसे नहीं दे सकते हैं। दूसरे लॉटरी जितना फ़ालतू धन बटोर लेगी वह राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के ऋण लेने के सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरे यह आशा नहीं की जा सकती कि लॉटरी से सदा बहुत अधिक धन प्राप्त होगा और इससे सरकार की आवश्यकताओं के बहुत थोड़े से अंश की पूर्ति होगी। चौथे ऐसे समय जबकि विविध रूपों में सट्टेबाजी को बन्द करने के लिये बहुत से उपाय किये जा रहे हैं लोगों को जुआ खेलने के लिये प्रेरित करना वांछनीय नहीं प्रतीत होता है।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित---आंग्ल-भारतीय) : यह तो मनुष्य के लिये आवश्यक है।

श्री सी० डी० देशमुख : अन्त में अपने अनुभव से मैं यह बता सकता हूं कि पुरस्कार बन्धकपत्रों की योजना को जिसे केन्द्रीय सरकार ने गत महायुद्ध के समय आरम्भ किया था और जिसके अन्तर्गत मूल धन मिल जाता था और उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज ही केवल बांटा जाता था, असफल हो जाने के कारण छोड़ देना पड़ा था क्योंकि दो वर्ष के अन्दर लगभग ५ करोड़ रुपये ही इकट्ठे हो सके थे।

अब मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण के जटिल प्रश्न को लेता हूं। माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि जब करारोपण जांच आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक प्रत्यक्ष करारोपण स्थगित कर दिया गया है तो अप्रत्यक्ष कर क्यों बढ़ाया जाये। इसका कारण यह नहीं है, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने गलती से समझा है कि वित्त मंत्री का धनिकों के प्रति विशेष प्रेम है। कुछ माननीय सदस्यों के लिये यह एक साधारण बात हो गई है, यद्यपि वे इस बात को नहीं समझते हैं कि इससे वस्तुतः वित्त मंत्री पर कुछ आक्षेप लगता है। यदि वे औरों के साथ अपने जैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं तो मेरे विचार में वे ऐसी बात नहीं कहेंगे। परन्तु मैं इस बात का बुरा नहीं मनाता हूं, क्योंकि अब यह आरोप बिल्कुल निरर्थक हो गया है। परन्तु यह कहना बड़ा अच्छा लगता है, "वित्त मंत्री का धनिकों के प्रति विशेष प्रेम है।"

प्रत्यक्ष करारोपण के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक हमारे यहां निजी क्षेत्र है उस के प्रोत्साहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; अर्थात् जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं प्रत्यक्ष करारोपण के बहुत से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेंगे और मेरी सम्मति में प्रत्यक्ष करारोपण करके या छूट देकर इस विषय में पहले से कुछ निर्णय करना बिल्कुल ग़लत होगा। यह विषय एक विशेषज्ञ निकाय के विचाराधीन है अतः मैंने कोई छूट नहीं दी है, इसलिये मेरा यह दावा है कि मैं इस विषय में निष्पक्ष रहा हूं।

अतः इस वर्ष प्रत्यक्ष करारोपण के सम्बन्ध में मेरी इस उदासीनता के कारण भविष्य के

[श्री सी० डी० देशमुख]

बारे में कोई परिणाम नहीं निकालना चाहिये। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि करारोपण जांच आयोग की पहले से ही आलोचना करना ठीक नहीं है जैसा कि श्री गाडगिल ने किया है। वे स्वयं एक दो समितियों के प्रधान रह चुके हैं और मैं समझता हूं कि यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि वह यह जानते हैं कि आयोग का प्रतिवेदन किस प्रकार का होगा। मुझे इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि वे जो कुछ भी प्रस्तुत करेगा वह बहुत सोच-विचार के पश्चात् और अच्छी प्रकार समझ बूझ कर प्रस्तुत किया जायेगा। निस्सन्देह कुछ माननीय सदस्यों के पास योजना के संसाधन जुटाने के लिये एक मात्र उत्तर यही है कि "धनिकों को दबोच लो।" परन्तु धनी लोग तो मुट्ठी भर हैं और यदि उनका सारा धन ले भी लिया जाये तो वह इस देश की दीर्घकालीन आर्थिक विकास को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि धन और आय की असमानता उचित है अथवा उसे सहन किया जायेगा और भूतकाल में जो कुछ किया गया है लोग उसे प्रायः भूल जाते हैं। हमने सम्पदा शुल्क विधेयक पारित करके असमानताओं को दूर करने की दिशा में जो थोड़ी सी प्रगति की है उन्होंने उसे भुला दिया है। जब उस विधेयक पर वाद विवाद हुआ था उस समय सभी विचारों के माननीय सदस्य उस में बड़े उत्साह से भाग ले रहे थे।

श्री **एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : हम ग़लती पर थे।

श्री **सी० डी० देशमुख**: परन्तु, आज वे उसे भूल गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री सी० डी० देशमुख : असमानता को दूर करने के लिये गत आयव्ययक की तिथि और इस वाद-विवाद के बीच के समय में केवल प्रत्यक्ष करारोपण का ही एक पग उठाया गया है। मैं माननीय सदस्यों को यही स्मरण कराना चाहता हूं। हम यह समझते हैं कि प्रत्यक्ष करारोपण में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश के विकास की कम से कम इस अवस्था में निजी क्षेत्र को भी अपना कार्य करना है। मेरे पास यहां कुछ आंकड़े हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि वास्तव में हमारे यहां कितने धनी व्यक्ति हैं। मैं धनी व्यक्ति की परिभाषा यह करता हूं कि जिसकी आय १,५०,००० रुपये से अधिक हो। (**अन्तर्बाधायें**)

यह तो एक बहुत सीधी सादी परिभाषा है। इन की कुल संख्या १२८६ है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : १२८७ नहीं?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं, मेरे लिये ५ और १ मिल कर ६ होते हैं। कुल ४३,३८,००,००० रुपये पर आय कर लिया जाता है। इससे.....

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरभंगा) : कर से बचने वालों का क्या हुआ?

श्री सी० डी० देशमुख: आय-कर और अधि-कर के रूप में कोष को २९ करोड़ रुपये मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य : बहुत थोड़े हैं। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं आहों और प्रसन्नतासूचक आवाज़ों दोनों को ही सुन रहा हूं। तो १४ करोड़ रुपये रह जाते हैं। १४ करोड रुपयों को १२८६ से भाग देने पर लगभग १·२५ अर्थात् १,२५,००० रुपये आते

हैं। दूसरे शब्दों म १,५०,००० रुपये से अधिक आय वाले इन धनी लोगों के पास कर दे देने के पश्चात् १,२५,००० रुपये की आय शेष रह जाती है जो कि निस्सन्देह सभी की सम्मति में बहुत अधिक है। और इसलिये यदि उनसे कोई और अधिक निकालने की सोचे और उनके पास बहुत थोड़ा रहने देना चाहे तो निजी पूंजी को प्रोत्साहन देने की बात तो रहने दीजिये नीति के रूप में नहीं किन्तु केवल अंकगणित के अनुमान के रूप में लगभग १० करोड़ रुपये उन से और उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें लगभग २० करोड़ रुपये कर के और जोड़ दें जो कि मेरे विचार में कर इकट्ठा करने वाले के फन्दे से छूट जाते हैं। हम लोगों को प्रशिक्षित करने और कर्मचारियों को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं, किन्तु ऐसे अच्छे आय-कर पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी समय लगता है जो बहुत से करदाताओं को विशेष रूप से उन लोगों को, जो विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, कोई कष्ट न पहुंचायें।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार पर प्रभाव है?

श्री सी० डी० देशमुख : अतः इस व्यवस्था से लगभग ३० करोड़ रुपये हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह धन हमें मिल ही नहीं सकता है, किन्तु मुझे आशा है कि कभी ये ३० करोड़ भी प्राप्त हो सकेंगे, जिससे कि हमें किसी पंचवर्षीय योजना को बढ़ाने के लिये १५० करोड़ रुपये और मिल सकेंगे जो कि उस १७५ करोड़ रुपये की वृद्धि से बहुत कम है जो हमने वर्तमान योजना में संसाधनों को बढ़ाने में उदासीनता होते हुए भी की है।

इसके बाद मैं इस प्रश्न को लेता हूं कि हमारे पास देश के विकास के लिये उपलब्ध वास्तविक संसाधन क्या हैं! विकास की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश के पास बचत बहुत कम है। बचत के बिना—यह बिल्कुल सत्य है—पूंजी निर्माण नहीं हो सकता है और पूंजी निर्माण विकास की कुंजी है। इन सब के लिये वास्तविक संसाधन कहां से प्राप्त होंगे? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, विरोधी पक्ष के मेरे मित्र कहते हैं 'धनिकों पर कर लगाओ।' वे यह समझते हैं कि उनके वर्तमान लाभ से या अतीत के संग्रह से बहुत अधिक सुरक्षित धन मिल सकता है। इसका कुछ उत्तर तो सभा-सचिव महोदय ने दे दिया था। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जहां ९९·९९ प्रतिशत लोग निर्धन हों वहां किसी विशाल विकास कार्य के लिये तब तक धन नहीं प्राप्त हो सकता जब तक उस समुदाय के सभी वर्ग त्याग न करें। तथापि मैं अपने व्यापारी तथा उद्योगपति मित्रों से यह कहूंगा कि यद्यपि निजी व्यक्तियों की बचत की भावना को प्रोत्साहन देते रहना और उसे सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है, किन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कितना सामाजिक मूल्य चुका कर हम निजी बचत और विनियोग के लाभों को प्राप्त कर रहे हैं। यह सत्य है कि यदि सोने के अण्डे प्राप्त करने हैं तो हंस को जीवित रहने ही देना चाहिये। परन्तु हम यह चाहते हैं कि यह अण्डे अवश्य दे। मेरा यह कथन है कि सामर्थ्ययुक्त संसाधनों से धन प्राप्त करना चाहिये और एक अविकसित अर्थव्यवस्था में ये संसाधन इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिये, और मेरे विचार में माननीय सदस्यों के लिये यह एक नई बात होगी, एक कम विकसित अर्थ व्यवस्था में बहुत अधिक बेरोज़गारी या कम काम होता है। बेरोज़गार व्यक्तियों को खाना और कपड़ा भी अपर्याप्त मिलता है। उत्पादन के बिना उनका उपभोग परिवार के अन्य सदस्यों पर एक बोझ बन जाता है। दूसरे शब्दों में परिवार के कमाऊ सदस्य

[श्री सी० डी० देशमुख]

उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं। उचित विकास करने के लिये इन बेरोज़गार लोगों से लाभ उठाना होगा। निर्वाह निधि, जो कि उत्पादकों की बचत से बनी है, और जिसकी कि उनके लिये आवश्यकता है, तो है ही। यदि उन व्यक्तियों को, जो अब तक अन्य लोगों को आर्थिक सहायता देते रहे हैं उन वास्तविक संसाधनों को सरकार को देने की प्रेरणा की जा सके जिनका कि अब तक बेरोज़गार लोग बिना उत्पादन के उपभोग करते रहे हैं---इस समय एक व्यक्ति धन बचाता है तभी तो बेरोज़गार व्यक्ति को भोजन मिलता है, नहीं तो वह जीवित न रह सके--- तो अति उत्तम हो। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि वे थोड़ी देर तक बचत को जारी रखें। (अन्तर्बाधा) जब बेरोज़गार व्यक्ति का बोझ उनके कंधों से हटा लिया जाये तो वे अपनी खपत को न बढ़ा दें। बेकार जनशक्ति को काम पर लगा कर अतिरिक्त पूंजी निर्माण के लिये वस्तुतः कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी इसकी गणना की जा सकती है। यह बिखरी हुई जनशक्ति की बचत को इकट्ठा करने की समस्या है---इसे अनिवार्य बचत कह सकते हैं। मुझे श्री एस० एन० अग्रवाल का यह सुझाव पसन्द आया कि यह बचत उन स्थानीय परियोजनाओं के लिये होनी चाहिये जिन्हें लोग अपनी आंखों के सामने बनते देख सकें। वर्तमान योजना में सामुदायिक परियोजनाओं तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय निर्माण कार्यों के द्वारा हम इस दिशा में थोड़ा सा श्रीगणेश पहले ही कर चुके हैं।

इसलिये यह कहना गलत है कि सामान्य व्यक्ति बलिदान नहीं कर सकता है। जो कुछ उत्पादन नहीं करते हैं ऐसे बेकार लोगों का पोषण करने के लिये आप की आय का कुछ भाग व्यय कर के सामान्य व्यक्ति अवश्य कुछ बलिदान करता है। हमें इन बेकार लोगों का उपयोग करने तथा बचत का उपयोग करने अर्थात् दोनों को मिला कर काम में लाने का मार्ग निकालना है। यह वित्त की समस्या नहीं, अपितु मुख्यतया संगठन की समस्या है। वित्त किसी मात्रा तक सहायता कर सकता है और कुछ उत्पादन शुल्कों को स्थान मिल सकता है। इसी प्रकार घाटे की अर्थ व्यवस्था भी उपयोगी हो सकती है। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि हम ठीक ढंग से अर्थ व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं तो हमें इन वास्तविक संसाधनों के आधार पर योजना बनानी होगी। मैं यह बात वर्तमान योजना को दृष्टि में रख कर नहीं कहता हूं। अपितु आगामी वर्ष की संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह बात कह रहा हूं।

कुछ और मामले भी हैं, जिन का मैं वर्णन नहीं कर सकूंगा, उदाहरणार्थ, इस प्रकार के प्रश्न कि किस प्रकार की अर्थ व्यवस्था का प्रयत्न किया जा रहा है, किस प्रकार वित्त नियंत्रण रखा जाता है तथा हम ने प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के कार्य का क्या अनुमान लगाया है तथा योजना के द्वारा कितने लोगों को नौकरी मिलेगी इत्यादि। मैं आशा रखता हूं कि मैं किसी समय इन सब मामलों पर बोलने का अवसर प्राप्त करूंगा।

उत्पादन के विषय में विरोधी दल के सदस्यों ने भी कई बातें कही हैं विशेषतया प्रो० मुकर्जी और श्री बसु ने। उन का यह कहना ठीक है कि हमें केवल उत्पादन वृद्धि का ही निर्देश नहीं करना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि संसार में सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है और जो एक अच्छा काम नहीं कर रहे, उन का खोज लगान

और यह पता करना कि वे क्यों ठीक काम नहीं कर रहे हमारा कर्त्तव्य है। इस बात में मैं उन से सहमत हूं।

श्री नम्बियार ने कहा है कि सरकार भूमिपतियों का पक्ष ले रही है और काश्तकारी विधान के लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने में कुछ देरी हो रही है। मुझे स्मरण है कि यह विधान फरवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तुत हुआ था और १८ मार्च को अनुमति दी गई थी। यदि इस तथ्य के आधार पर वह यह धारणा बनाना चाहते हैं, तो भले ही बना सकते हैं।

जैसा मैं ने कहा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, हम ने लोकतन्त्र और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की पद्धति को अपनाया है। विरोधी दल के सदस्यों के लिये, जिन्होंने मोटर बसों और बैंक के क्लर्कों की गिरती हुई अवस्था का संकेत किया है, मेरा यही उत्तर है। मुझे उस कविता का स्मरण आता है जिस में कहा गया है कि एक वन में दो मार्ग थे, और मैं ने उन में से वह मार्ग चुना जिस पर घास थी, और जिस पर पहले अधिक लोग नहीं चले थे। यही मार्ग लोकतंत्र का है।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गया है कि असैनिक रक्षा उपक्रमों के लिये, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : जब वित्त और गृह-कार्य मंत्रालयों पर विचार होगा, तब इस बात का उत्तर दिया जायेगा।

समाचार पत्रों में भाषणों का वृत्तान्त

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद–पश्चिम): मैं ने कल संसद् में जो भाषण दिया था, उसके सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में वह जिस प्रकार छपा है उस में ग़लतियां हैं। उस के अनुसार मैं ने यह कहा है कि ग्राम कल्याण के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। यह बिल्कुल असत्य कथन है। मैं ने यह कहा था कि मैं ने सदन के सम्मुख जो योजना रखी थी उस के अनुसार एक भी गांव उद्यान-गृह योजना के अधीन नहीं बनाया गया है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : उस सुझाव के सम्बन्ध में मैं सामुदायिक योजना प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री टंडन : दूसरी ग़लती यह है कि मैं ने शिक्षा मंत्री से पूर्णतया असम्बद्ध एक आयोग की स्थापना के लिये सुझाव दिया था। यह बात ठीक है। किन्तु यह जो बात कही गई है कि मैं ने कहा था कि शिक्षा मंत्री के स्थान पर हिन्दी का प्रचार करने वाला व्यक्ति शिक्षा मंत्री होना चाहिये, ठीक नहीं है। मैं ने कहा था कि यदि स्थायी आयोग नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो इन अगले ग्यारह वर्षों के लिये हिन्दी के लिये एक विशेष मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित भाषण का यह भाग हिन्दी पत्र 'हिन्दुस्तान' में ठीक छपा है।

अध्यक्ष महोदय : देश में अनेकों पत्र और पत्रकार हैं। इसलिये मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं कि सब पत्र ठीक ही समाचार दें। इस प्रकार की बातें सदस्यों के विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आती हैं। भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना हो, तो माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे मुझे उन की सूचना दें, ताकि मैं उन की सत्यता की जांच कर सकूं और यदि वास्तव में किसी पत्र ने जान बूझ कर गलत रिपोर्ट दी होगी, तो उस का प्रबन्ध किया जायेगा, किन्तु साधारण रूप से ग़लत वक्तव्य के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की जायेगी।

[अध्यक्ष महोदय]

माननीय सदस्यों को इस प्रकार की बातें सदन के सामने नहीं लानी चाहियें। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं दुहराई जायेंगी।

अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या २२,२३, २४ और २५ पर वाद विवाद होगा। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, वे कटौती प्रस्ताव सचिव को दे दें। जिन सदस्यों के नामों में ये कटौती प्रस्ताव हैं और वे सदस्य यहां सदन में उपस्थित हैं तो उन के प्रस्ताव यदि वे नियमानुसार हैं तो प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे।

१९५४-५५ के लिये अनुदानों की ये मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
२२	आदिम जाति क्षेत्र	४,००,५४,००० रुपये
२३	वैदेशिक कार्य	५,३६,९४,००० रुपये
२४	चन्द्र नगर	२०,१७,००० रुपये
२५	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२,५१,००० रुपये

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२२	श्री एच० एन० मुकर्जी	आदिम जाति के लोगों के कल्याणार्थ थोड़ा उपबन्ध	१०० रुपये
२२	श्री रिशांग किशिंग	उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र के प्रशासन सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
२३	श्री साधन गुप्त	राष्ट्र मण्डल को छोड़ने में असमर्थता	१०० रुपये
२३	श्री ए० के० गोपालन	भारत में विदेशी बस्तियों का समापन	१०० रुपये
२३	श्री ए० के० गोपालन	ब्रिटिश द्वारा गोरखाओं की भर्ती और भारत के रास्ते उन का मलाया में भेजा जाना रोकने में असमर्थता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	अमरीका-पाक सैनिक गठ-बन्धन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों की प्रति-क्रिया के लिए ठोस उपाय निकालने में असफलता	१०० रुपये
२३	श्री एच० एन० मुकर्जी	पाकिस्तान के साथ मित्रता एवं बन्धुत्व का भाव उत्पन्न करने के लिये ठोस उपाय निकालने की आवश्यकता	१०० रुपये
२३	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	राजदूतों की नियुक्ति	१०० रुपये
२३	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	सरकार द्वारा हिमालय संबंधी कोई निश्चित नीति बनाने में असमर्थता	१०० रुपये
२३	कुमारी एमी मस्करीन	अमरीका और पाकिस्तान के बीच हुए सैनिक गठबन्धन के परिणामस्वरूप किये जाने वाले उपाय	१०० रुपये
२३	सरदार हुक्म सिंह	विदेशों में हमारे राजदूता-वासों द्वारा प्रचार	१०० रुपये
२३	श्री पी० सुब्बा राव	विदेशी बस्तियों के भारतीय संघ में विलय के सम्बन्ध में पुर्तगाल तथा फ्रांस के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता	१०० रुपये
२४	श्री तुषार चटर्जी	चन्द्रनगर की भावी स्थिति को निश्चित करने के मामले में कोई निश्चित नीति अप-नाये जाने में असमर्थता	१०० रुपये
२४	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	चन्द्रनगर का पश्चिम बंगाल में विलय	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : अब ये कटौती प्रस्ताव सदन के सन्मुख प्रस्तुत हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अध्यक्ष महोदय, मांगों के इस वाद विवाद के अन्तर्गत, मैं नहीं समझता कि आया मुझे विदेश नीति सम्बन्धी विषद प्रश्नों पर चर्चा करने में सदन का समय लेना चाहिये, अथवा मुझे केवल भारत को प्रभावित करने वाली कुछ तात्कालिक समस्याओं तक ही सीमित रहना चाहिये, या फिर हमारी विदेश सेवा तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय की केवल रचना का ही विचार करना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बाद वाले विषयों पर विचार करते हुए अपव्यय के सम्बन्ध में, राजदूतों की नियुक्ति के सम्बन्ध में तथा इसी प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में इन कुछ कटौती प्रस्तावों में आलोचना की जाती है । अब मेरे लिये उस का उत्तर देना कठिन सा है । हो सकता है इधर उधर कुछ अपव्यय होता हो । हम इसे रोकने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु, इसे बढ़ाने चढ़ाने से, यदि माननीय सदस्य तुलना करें—और कभी कभी तुलना लाभदायक होती है—तथा अन्य देशों द्वारा किये जाने वाले खर्च के साथ हमारे द्वारा किये जाने वाले खर्च की तुलना करें—मैं बहुत बड़े और बहुत धनवान देशों का निर्देश नहीं करता हूं, किन्तु मेरा संकेत मध्यम स्थिति के देशों की ओर है—यदि हम दोनों की तुलना करें, तो हम देखेंगे कि उन के खर्च की अपेक्षा हमारा खर्च कहीं कम है । वास्तव में हम अपने राजदूतावासों को यथा सम्भव सादा और कम खर्च वाला रखने का प्रयत्न करते हैं, और निस्सन्देह हमें, कई बार वेतन और भत्तों के वर्तमान स्तर रखने के लिये बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विनिमय दरों में अन्तर होता है और हमारे कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है । सामान्यतः हमारे पास उन में से बहुतों की ओर से उन के भारत में वापिस बुलाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आते रहते हैं, क्योंकि जहां उन को भेजा जाता है, वे वहां गुजारा नहीं कर सकते हैं, मैं यह बात मिशनों के मुख्य अधिकारियों के विषय में नहीं, अपितु दूसरे कर्मचारियों के विषय में कह रहा हूं । किन्तु मैं यह नहीं कहता कि अपव्यय बिल्कुल नहीं होता है । इधर उधर कहीं हो भी सकता है, परन्तु हम उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं । अब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुछ समय पश्चात् नियमित रूप से किये गये निरीक्षण के द्वारा हम इसे रोकने की प्रस्थापना करते हैं ।

राजदूतों आदि की नियुक्ति के विषय में, मैं नहीं जानता कि मैं इस सदन को क्या बता सकता हूं । यदि यह सदन चाहता है कि राजदूत नियुक्त किये जाने चाहियें, जैसा कि संभवतः अमरीका में किया जाता है, तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस तथा कुछ दूसरे मामलों में अमरीका की प्रथा मुझे बिल्कुल गलत प्रतीत होती है, कम से कम जहां तक वह इस देश पर लागू होती है ।

अन्य देशों की नीतियों की आलोचना करना मेरा कार्य नहीं है । परन्तु ऐसी बातों में यह नीति ग्रहण करना मेरे समझ में अच्छी बात नहीं है । जब नियुक्तियां की जाती हैं—उन का करने वाला कोई व्यक्ति हो, दल हो, कैबिनेट हो या समिति हो—तो यह कार्य उन के विवेक तथा सुबुद्धि पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये । हो सकता है कभी कभी उन के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति अच्छे न साबित हों । यह खतरा तो उठाना ही पड़ता है । पांच छै वर्ष पूर्व जब हम ने विदेशी सेवा आरम्भ की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था । तब से ऐसा कुछ हुआ कि, न चाहते हुए भी, हम को अन्तर्राष्ट्रीय झंझटों में भाग लेना पड़ा । इस सम्बन्ध में हमें कुछ कार्य भी करना पड़ा । उस कार्य का कुछ न कुछ प्रभाव

भी हुआ है। इस प्रकार हमारे ऊपर यकायक एक भारी बोझ आ गया जिस का उत्तरदायित्व ग्रहण करने से हम इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि यह हमारे पुराने कार्यों का परिणाम था। इस उत्तरदायित्व को सफलता पूर्वक निभाने में हमारी विदेशी सेवा ने ही सारा कार्य किया है और यह कार्य उस ने बहुत अच्छी तरह से किया है। संसार की विदेशी सेवाओं में हमारे देश की विदेशी सेवा को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है।

चन्द्रनगर के सम्बन्ध में भी कुछ कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। चन्द्रनगर सम्बन्धी रिपोर्ट के सदन पटल पर रखने में जो विलम्ब हुआ है उस के लिये मैं सदन से क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरे साथी उपमंत्री बताते हैं कि उन्हों ने आज प्रातःकाल यह रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी है। चन्द्रनगर के सम्बंध में कुछ ऐसे निश्चय करने थे जिन को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ। हमारा इरादा यह है कि डा० अमरनाथ झा ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें की हैं उन सभी को स्वीकार कर लिया जाये। एक सिफ़ारिश तो यह की गई है कि चन्द्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया जाये। इस के अतिरिक्त और कोई उपाय है भी नहीं। और भी कई सिफ़ारिशें हैं।

सदन को याद होगा कि जब कभी हम ने भारत की फ्रांसीसी या पुर्तगाली बस्तियों का ज़िक्र किया है तो हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जनता की इच्छा के बिना उन क्षेत्रों के रीति रिवाज, भाषा, क़ानून तथा अन्य बातों में हम हस्तक्षेप करें। हम तो यहां तक चाहते हैं कि पांडीचेरी जैसी प्रमुख फ्रांसीसी बस्तियों की जनता यदि चाहती हो तो यह अच्छा होगा कि उसे भारत में फ्रांसीसी भाषा तथा संस्कृत का केन्द्र बना रहने दिया जाये। इसी प्रकार पांडीचेरी में भी जो सांस्कृतिक विकास हुए हैं उन की रक्षा के लिये हमारा सहायता देने का विचार है। चन्द्रनगर या किसी अन्य स्थान में, जब ऐसा परिवर्तन होता है, जहां सौ वर्ष से या उस से अधिक से, लोग भाषा के मामले में या किसी और मामले में, भिन्न परिस्थितियों में पले हैं, तो लोगों को कठिनाई होती है। हम यह नहीं चाहते हैं कि उन को कष्ट उठाना पड़े। परन्तु हम यह कह चुके हैं कि आवश्यक यही है कि उन को भारत संघ में मिला दिया जाये।

भारत की अन्य विदेशी बस्तियों का जहां तक सम्बन्ध है अभी कल ही एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने पांडीचेरी तथा उस के आस पास की वर्तमान परिस्थिति का हवाला दिया था। यह आन्दोलन नितान्त रूप से स्वप्रेरित है। इस में एक मंत्री, जो उपस्थित नहीं था, को छोड़ कर सभी मंत्री तथा नगरपालिकाओं के ८० प्रतिशत सभासद् भाग ले रहे हैं। उन्होंने एक स्वर से मांग की है कि शीघ्रातिशीघ्र, बिना किसी जनमतसंग्रह के, फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में मिला दिया जाये। इस सम्बन्ध में उन्हों ने पेरिस में रहने वाले फ्रांसीसी सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों को लिखा है। यही प्रस्ताव उन्होंने हमारे पास भी भेजे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार विलय विरोधियों के पास यदि कोई तर्क भी था तो अब उस का समाधान हो जाना चाहिये तथा अब उन टेकनिकल, कानूनी, तथा संविधानिक अड़चनों के लिये भी कोई स्थान शेष नहीं है जो फ्रांसीसी सरकार बताया करती थी। इस सम्बन्ध में कारखानों के मज़दूर भी उत्तेजित हैं, उन्हों ने कुछ ही समय पहले विलय समर्थक प्रदर्शन किया था तथा फ्रांसीसी अधिकारियों से उन की मुठभेड़ हुई थी। मैं आशा करता हूं कि फ्रांस की सरकार तथा हमारी सरकार परस्पर वार्ता द्वारा इस समस्या को हल कर लेंगीं तथा सत्ता का यथार्थ हस्तान्तरण हो

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जायेगा। विधि अनुसार हस्तान्तरण तो बाद में होगा ही। उस के लिये नियमितताओं को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। यही सुझाव मैं ने फ्रांसीसी सरकार के पास भेजा था। पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में मेरा विचार इतना आशा-जनक नहीं है यद्यपि यह निश्चय है कि यही सब कुछ वहां भी होगा।

आदिमजातीय मामलों पर भी कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। सदन को याद होगा कि तिब्बत की सीमा के निकट हमारी एक फ़ौजी टुकड़ी आसाम राईफिल्स, पर आक्रमण किया गया था जिस में कई आदमी मारे गये थे। ऐसी घटनायें तो उस समय हुआ करती थीं जब यहां अंग्रेजों का शासन था। उन के तरीक़े भी ऐसे थे जिस में जान व माल की बहुत हानि होती थी। यह स्थान भी ऐसा था जहां पहुंचना बहुत कठिन था। विमान द्वारा सेनायें भेजी गईं फिर भी इस स्थान पर पहुंचने में लगभग तीन सप्ताह तक सेनाओं को मार्च करना पड़ा। हम ने यह तै कर लिया था कि हम अंग्रेजों के तरीक़े नहीं अपनायेंगे, जहां तक हो सकेगा बरबादी नहीं होने देंगे तथा दृढ़ तथा मैत्रीपूर्ण तरीकों का ही प्रयोग करेंगे। इसी लिये यह सारा मामला बड़ी सावधानी से निपट गया। जो मर गये थ वह तो मर ही गये उन्हें लौटाया तो जा नहीं सकता था। जो लोग बन्धक के रूप में रख लिये गये थे उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाये बिना वापस कर दिया गया तथा उन्हें सरल हृदय आदिम जातीय लोगों को जिन्हों ने उत्तेजना में आ कर इतना सारा उपद्रव कर डाला था, यह विश्वास हो गया कि हम उन के शुभचिन्तक हैं। वे आये और उन्हों ने जो शस्त्र छीन लिये थे वे सब वापस कर दिये। इस के लिये मैं उन को बधाई देता हूं जिन के हाथ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी का प्रबन्ध है।

कुछ समय पूर्व मैं ने तटस्थ्य राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग तथा कोरिया भेजे गये अपने संरक्षक कटक के सम्बन्ध में बताया था। इस आयोग की मूल रिपोर्ट मैं ने सदन पटल पर रखने का वचन दिया था। परन्तु यह इतनी लम्बी हैं कि अभी प्रकाशित नहीं हो पाई हैं अतः अभी इस कार्य में एक सप्ताह या दस दिन का समय और लगेगा।

इस आयोग तथा संरक्षक कटक का मामला तो समाप्त हो गया है परन्तु कोरिया की समस्या अभी तक पूर्ववत बनी हुई है। इस के अतिरिक्त ८८ युद्धबन्दी भी हम अपने साथ ले आये हैं। इन में से लगभग ३० ने भारत में रहने की इच्छा प्रकट की है तथा अन्य लोग अन्य देशों को जाना चाहते हैं। अस्थायी रूप से हम उन्हें अपने देश में रहने की अनुमति दे देंगे परन्तु हम उन्हें भारत का नागरिक नहीं बना सकते हैं। इतना होने पर भी यदि उन के पास जाने के लिये कोई और स्थान नहीं है तो हम उन्हें बलात् ढकेल भी नहीं सकते हैं। हमारा विचार है कि हम उन्हें निवास करने का अधिकार देने के लिये आवश्यक पत्रादि दे देंगे जिन की समय, समय पर अवधि बढ़ाई जाती रहेगी। इस के पश्चात सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन को भविष्य में रखना चाहती है या नहीं। हम उन के लिये किसी धन्धे का प्रबन्ध करने का भी विचार कर रहे हैं।

दूसरा मामला जिसके सम्बन्ध में सदन को उत्सुकता है, तिब्बत के बारे में पीकिंग से चल रही बातचीत है। यह बातचीत हमारी कल्पना से अधिक समय के लिए खिंच गयी है, इसलिए नहीं कि हमारे सम्मुख प्रस्तुत समस्याओं में कोई आंतरिक कठिनाई है, वरन् केवल इसलिए कि इतने अधिक ब्यौरे की बातें हैं और प्रत्येक ब्यौरे में लम्बा

समय लगता है। मुझे आशा है कि कुछ दिनों में, हो सकता है एक पखवारे के अन्दर, यह बातचीत संतोषजनक रूप से समाप्त हो जाए।

तो जिन मामलों पर हमने अभी तक विचार किया वे अपेक्षाकृत अल्प महत्व की हैं। बड़ी विश्व समस्याएं न तो हमारे हाथ की बातें हैं और न ही हम उनकी आवृत्ति चाहते है, और उनमें हम दूर का भाग ही अदा करते हैं। फिर भी, जैसा कि सदन को विदित है, ये ही विश्व समस्यायें हैं जो कि व्यापक रूप से छायी हुई हैं, और लगभग एक मास के अन्दर जनेवा में एक सम्मेलन होने वाला है जिसमें कि योरुप और सुदूर पूर्व दोनों की बड़ी बड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में एक अग्रेतर और अच्छा कदम जो पहली बार उठाया गया है यह है कि कुछ अन्य बड़े राष्ट्रों के साथ चीन की लोक सरकार का भी प्रतिनिधित्व होगा। यह कहीं अच्छा है कि मध्यकों के द्वारा बातचीत करके अथवा एक-दूसरे की उपेक्षा करके, ये सरकारें परस्पर सामने बैठ कर इन मामलों पर विचार विमर्श कर लें।

गत दो तीन वर्षों में, चीन की लोक सरकार को कुछ बड़े राष्ट्रों द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता न देने के कारण एक ऐसी अवास्तविक स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस प्रश्न को सीधे व्यवहृत करना कठिन हो रहा है। जैसा मैंने बतलाया, यह किसी व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा किसी दूसरी सरकार को पसन्द करने या न करने का प्रश्न नहीं है, वरन् यह प्रश्न है तथ्यों को मानने का। किसी के लिए भी यह कहना बड़ी बेतुकी बात होगी (मुझे उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ गिला नहीं है जिसे इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधि माना जाता है, वह एक योग्य व्यक्ति है) कि वह चीन का प्रतिनिधित्व करता है; यह स्पष्ट ही बिल्कुल बेतुकी चीज़ है क्योंकि वह चीन का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता; अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि वह फारमोसा की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु यह कहना कि वह व्यक्ति चीन के महान् देश का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविकता से इतनी दूर की बात है कि इस चीज़ पर आधारित चर्चा का असफल होना अवश्यम्भावी है। और विश्व के मामलों में यह हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है कि वास्तविकताओं की महज़ इसलिए अवहेलना की गयी है कि उन्हें पसन्द नहीं किया गया।

मुझे नहीं मालूम कि जेनेवा में क्या होने जा रहा है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें जेनेवा के मंच पर उपस्थित होने की, सम्मेलन में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं। हम उसी दशा में कोई भार वहन करते हैं जब कि हम समझते हैं कि इससे कोई श्रेयस्कर परिणाम निकलेगा; शेष, हम इन भारों का परिहार ही करते हैं।

कुछ समय पूर्व इस सदन में मैंने हिन्द-चीन का ज़िक्र किया था। लगभग गत छः वर्षों से हिन्द-चीन एक प्रकार के गृह-युद्ध का स्थल रहा है जिसमें अन्य देशों ने सहायता की है।

हिन्द-चीन पर विचार करते समय हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए--कि वहां युद्ध का प्रारम्भ लगभग पांच छः वर्ष पूर्व हुआ था, चीन की क्रान्ति पूरी होने से पहले। मैं इसलिए इस पर ज़ोर दे रहा हूं कि हिन्द-चीन में जो कुछ हो रहा है लोग चीन के साथ उसका बहुत अधिक सम्बन्ध जोड़ते हैं। यह एकदम स्पष्ट है कि एक-दो वर्ष अथवा उससे अधिक हिन्द-चीन में जो कुछ हुआ उसका चीन से कोई सम्बन्ध नहीं था; इसकी शुरु-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आत हिन्द-चीन में ही हुई थी । वास्तव में, स्वयं चीन में ही एक संघर्ष, एक गृह-युद्ध चल रहा था जो वहां पर लोक सरकार की स्थापना के साथ अन्त हुआ । तब से हिन्द-चीन में लड़ाई चली आ रही है और पलड़ा कभी इधर और कभी उधर होता रहा है; किन्तु सब बातों को दृष्टि में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का गतिरोध है जबकि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को हरा या निकाल नहीं सकता । न्यूनाधिक यही परिणाम कोरियाई युद्ध का भी हुआ है । कोरिया और वहां लोगों का इतना रक्त-पात होने, उन पर इतनी मुसीबतें आने और वहां इतना भयानक ध्वंस होने के बाद भी कोई पक्ष यह नहीं कह सकता कि उसकी विजय हुई है । इससे हमें एक सबक मिलता है । वर्तमान युद्धों का अन्त गतिरोध में होता है—किसी की विजय नहीं होती । जब कि हिन्द-चीन और चीन के युद्धों में जो दोनों ज्यादा छोटे युद्ध नहीं थे—युद्ध का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा हो सकता है किन्तु उनके पीछे बड़े बड़े राष्ट्रों का हाथ था और बड़ी-बड़ी ताकतें सम्मिलित थीं—युद्ध इस प्रकार गतिरोध में अन्त होते हैं जैसा कि हम देख चुके हैं, तो उस दशा में क्या होगा जबकि विश्व के अनेक राष्ट्रों को आवृत करते हुए एक महायुद्ध छिड़ जाए ? इस दृष्टांत से यह सोचा जा सकता है कि महायुद्ध, अपने भयंकर ध्वंस के साथ अनिश्चित काल तक चला जाएगा और न इसका कोई अन्त करने वाला होगा और न इसका कोई अन्त होगा ।

अन्त, जहां तक हिन्द-चीन का सम्बन्ध है, मैंने वहां युद्ध-विराम की सम्भावना का ज़िक्र किया था । मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं । ऐसा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है । किन्तु मैं समझता हूं कि जब एक मास पश्चात जेनेवा में हिन्द-चीन के इस मामले पर चर्चा होने जा रही है तो यह वांछनीय है कि वहां हो रहे हत्याकाण्ड का अन्त कर दिया जाए और इस प्रश्न पर एक शान्तिमय वातावरण में विचार हो, वहां पर युद्ध-विराम की कठिनाइयों को मैं समझता हूं, परन्तु कभी न कभी, अब या जेनेवा में, इन कठिनाइयों पर विचार किया ही जाना है । इसलिए उन पर पहले से विचार करना क्यों न प्रारम्भ कर दिया जाए जिससे कि जेनेवा में बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन से पूर्व ही विचार करने का कुछ भाग पूरा हो सके ? यही मेरा सुझाव था, और यद्यपि इसका कोई अधिक परिणाम नहीं निकला है, मुझे विश्वास है कि इससे कुछ तो अच्छा निकला है क्योंकि इन समस्याओं और युद्ध-विराम की सम्भावनाओं पर काफी कुछ विचार हुआ है ।

एक समस्या जो इस सदन के सदस्यों तथा समस्त देश के लिए अत्यन्त रुचि का विषय है, और जिसका अनेक बार निर्देश हुआ है, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता और उसके परिणामों के सम्बन्ध में है । इस विषय पर हम अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट रूप स व्यक्त कर चुके हैं और इस देश में किसी भी अन्य मामले की अपेक्षा इस मामले के सम्बन्ध में पूर्ण एकमत है; इसलिए मुझे इस बारे में सदन के सम्मुख कोई तर्क पेश करने की आवश्यकता नहीं है । हम उसी बात पर अब भी कायम हैं । हम यह अनुभूति करते हैं कि विविध दृष्टिकोणों से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में एक अनिश्चितता, अरक्षितता और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है किन्तु महज़ यह तथ्य कि इस प्रश्न पर न केवल भारत में वरन पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी

एशिया के अनेक देशों में इसी दृष्टिकोण से विचार किया गया है यह सिद्ध करता है कि कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने कि अनिश्चितता की एक नई लहर पैदा कर दी है।

युद्ध और शान्ति के इस प्रश्न के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं। एक तो यह कि युद्ध लगभग अपरिहार्य है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा यह कि किसी भी मूल्य पर युद्ध का परिहार करना चाहिए। दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न हैं। युद्ध निश्चय ही कोई नहीं चाहता, अथवा कुछेक व्यक्ति ही चाहते हैं और फिर भी बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि "हम युद्ध नहीं चाहते, किन्तु क्या किया जा सकता है? युद्ध अनिवार्य है और इसलिए हमें यह और वह करना ही है।" यह वाजिब दृष्टिकोण है। किन्तु जब आप युद्ध पर इतना ज़ोर देते हैं कि युद्ध आ रहा है तो आप शान्ति की लड़ाई खो बैठते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क पर आने वाले युद्ध की भावना प्रेत-छाया की तरह छा जाती है। स्थिति का खतरा यही है: यह नहीं कि लोग युद्ध चाहते हैं, वरन् यह कि बहुत से लोगों के मस्तिष्कों में यह विचार भर गया है कि युद्ध अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से भी, पाकिस्तान को दी जाने वाली यह सैनिक सहायता इस मनोवृत्ति के फैलाने में सहायक है और शान्ति के इस क्षेत्र में युद्ध का वातावरण उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र में युद्ध का वातावरण आता है और बहुत सी बातों में उथल पुथल हो जाती है।

वित्त मंत्री के भाषण के दौरान में एक माननीय सदस्य ने कहा कि आयव्ययक में नागरिक सुरक्षा के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मैं ठीक नहीं समझा कि नागरिक सुरक्षा से उनका क्या तात्पर्य है। यदि मैं उन्हें ठीक से समझ सका हूं, तो मैं उन्हें बतला सकता हूं कि आय-व्ययक में हम नागरिक सुरक्षा का उपबन्ध करने नहीं जा रहे हैं। इस विषय पर मेरा पूर्णतया स्पष्ट मत है। तैयारी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें मैं सामान्य अर्थों में 'नागरिक सुरक्षा' नहीं समझता। इसमें सन्देह नहीं कि हमें नागरिक सुरक्षण के उन पहलुओं के विषय में पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। किन्तु जबकि नागरिक सुरक्षा की बातचीत की जाती है, तो सामान्यतः इसका अर्थ होता है अग्नि से बचाव की तैयारी, खाइयां खोदना जहां कि बम पड़ने की दशा में आप छुप सकें और इसी प्रकार की अन्य बातें। मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि इस प्रकार की बातें अब समयातीत हो चुकी हैं। वर्त्तमान युद्ध प्रणाली का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे इतना शोर होता है भय और शंका का वातावरण पैदा होता है—जैसा कि पाकिस्तान में कुछ वर्ष पूर्व लाहौर में खाइयां खोद कर तथा अग्नि नियंत्रण के उपाय करके पैदा किया गया था तथा लोग सायरन की आवाज सुन कर घरों में भागते थे। किन्तु जब आता है तो आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है। हम अपने यहां के लोगों को भय के वातावरण में नहीं रखना चाहते।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): तब सेना को ही क्यों नहीं विघटित कर देते?

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्योंकि नागरिक सुरक्षा के लिए खाइयां खोदने के अलावा सेना और बहुत कुछ करती है। वास्तव में मेरी समझ में नागरिक सुरक्षा की यह बात नहीं आती। यह गत युद्ध का एक अवशेष है जबकि इन कामों को करने में बहुत शक्ति व्यय की गयी थी। मुझे इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु इस प्रश्न पर मैं सर्वोच्च

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

टकनीकल दृष्टिकोण से किसी से भी तर्क करने को तैयार हूं। मैं इस प्रकार के चिन्तन को समाप्त करना चाहता हूं कि हम कुछ खतरे का अनुमान कर लें और फावड़े तथा कुदाली लिए जायें तथा लोगों को बतलायें कि बम पड़ने की दशा में क्या किया जाए। हमें खतरे से बचाने की वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं जानता हूं कि बम नहीं गिरेंगे। यदि बम गिरते हैं, तो प्रथम तथा अन्तिम बात यह है कि पूर्णतया शान्त रहा जाये तथा इधर उधर न दौड़ा जाये। असैनिक रक्षा की भावना, शान्त रहना नहीं अपितु इधर उधर दौड़ना है।

श्री यू० सी० पटनायक : श्रीमान्, क्या उस के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, किन्तु यह सत्य है कि हमें इस मामले पर विचार करना है तथा हम इसे सामयिक रूप में नहीं ले सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, अर्थात् किसी भी संभाव्य खतरे से देश की रक्षा का मामला है। जब हम असैनिक रक्षा की बात करते हैं तो हमें यह विचार आता है कि हम अपन देश की रक्षा कर रहे हैं जबकि हम इस की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तथा यह विचार आना भी अनिवार्य है कि हम यथा सम्भव सब कुछ कर रहे हैं जबकि क्रियात्मक रूप में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अतः हमें अधिक वास्तविक रूप में रक्षा के बारे में विचार करना पड़ता है। मुझे याद है कि १९३८ में, विश्व युद्ध के एक वर्ष पूर्व मैं लन्दन, पैरिस तथा जनेवा गया था। उस समय वहां युद्ध की बड़ी चर्चा थी। फ्रांसीसी सेना प्रचालित की गई। अंग्रेजी नौ सेना प्रचालित की गई। उस समय मैं लन्दन में थोड़े समय के लिये ही ठहरा था, परन्तु फिर भी मुझे इधर उधर जाने के लिये गैस-टोपी दी गई—एक भयानक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति गैस-टोपी पहने घूमता था—इसलिये कि ऐसा न हो कि अचानक ही आक्रमण हो जाये। गैस-टोपी बनाने, खाई खोदने तथा विमान आक्रमण सम्बन्धी एहतियात का अभ्यास करने में धन तथा समय लगा। मैंने अपनी गैस टोपी इलाहाबाद के अजायबघर में रख दी है और जो वहां जाये उसे देख सकता है। यह पूर्ण रूप से, केवल धन का ही बेकार व्यय होना न था, अपितु इस से भी अधिक बात यह थी कि इसने व्यक्तियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन ला दिया। वे समझते थे कि हम कुछ लाभदायक कार्य कर रहे हैं जब कि वह रक्षा की दृष्टि से कुछ भी लाभदायक कार्य नहीं कर रहे थे। अतः, इस दृष्टि से, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह महसूस करें कि इस का दिखावे के अतिरिक्त और कोई विशेष अर्थ नहीं है। दो या तीन वर्ष पूर्व पाकिस्तान में हमारे मित्रों ने लाहौर के चारों ओर खाइयां खोद कर तथा वास्तविक विमान-आक्रमण के खतरे की घंटी बजा कर दिखावा किया था और जनसाधारण अपने अपने घरों से बाहर निकल आये थे। देश की रक्षा का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा इस पर मनुष्य को शान्तिपूर्वक तथा ठंडे दिमाग़ से विचार करना चाहिये। अन्त में सर्वश्रेष्ठ रक्षा यह है कि देश में मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न किया जाये, देश में एकता की भावना उत्पन्न की जाये तथा भय को निर्मूल बनाया जाये। यह स्वाभाविक है कि मैं यह सुझाव नहीं रहा हूं, जैसा कि अभी डा० खरे ने सुझाव दिया था

कि हमें अपनी सेना या वायु सेना नहीं रखनी चाहिये ।

डा० एन० बी० खरे : मैंने इस का सुझाव नहीं दिया था परन्तु मैं ने तो इस पर प्रकाश डालने के लिये प्रश्न किया था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वास्तविकता यह है कि हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारी जैसी सेनायें, यद्यपि वे अत्यधिक लाभदायक कार्य करती हैं, आधुनिक युद्ध की दृष्टि से, जो कदाचित अधिकतर अणु बम या उद्जन बम से होगा, पुरानी हो गई है । हमारी स्थिति यह हो गई है कि ये सब गट-बन्धन तथा विभिन्न देशों के बीच अन्य बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं बशर्ते कि महायुद्ध अचानक आरम्भ हो जाता है तथा अणु बम सब जगह गिराये जाते हैं—तब क्या होगा कोई नहीं जानता है, सिवाये इस के कि अधिक नाश होगा । आप दिन प्रति दिन समाचारपत्रों में कोई नये प्रकार का बम बनाने में सफल मानवीय बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा बम जिस से अधिक मनुष्यों की मृत्यु होगी तथा पहिली किसी भी वस्तु की अपेक्षा अधिक क्षेत्र का नाश होगा । यह सच है कि आजकल देशों के पास अणु हथियार हैं, जिन से यदि सारा नहीं तो आधा संसार नष्ट हो सकता है । मेरे विचार में यह सच है कि हमें यह महसूस करना चाहिये कि युद्ध क्या है आधुनिक युद्ध छिड़ने पर यह छोटी छोटी बातें असैनिक रक्षा तथा अवशिष्ट बातें कहां आती हैं ? संसार में हम ऐसी स्थिति में पड़ गये हैं जब कि वास्तव में यह युद्ध तथा नाश के बीच छांटने का प्रश्न है—किसी दल की विजय का नहीं, अपितु युद्ध में दोनों दलों के नाश का, पूर्ण नाश का—या युद्ध की समाप्ति का । यह हमारे लिये नहीं, बड़े बड़े देशों के लिये छांट का प्रश्न है । हम कोई विश्व युद्ध आरम्भ नहीं करेंगे, परन्तु बड़े देशों के लिये जो इसे आरम्भ कर सकते हैं या इस में सम्मिलित हो सकते हैं, यह एक छांट है । फिर कदाचित् दुर्भाग्यवश, यह पर्याप्त रूप में महसूस नहीं किया जाता है कि यह क्या है ।

कल मैं एक प्रसिद्ध विचारक, 'बरट्रेन्ड रसेल', का एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने भारत से प्रार्थना की है कि भारत संसार को विशेषकर युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में बताये । उन्होंने यह क्यों कहा कि भारत यह काम करे ? इस का कारण यह है कि भारत तटस्थ देश होने के नाते, ऐसा कर सकता है । यदि दोनों शक्ति गुटों में से कोई ऐसा करने का प्रयत्न करे तो दूसरे उन पर सन्देह करते हैं । यह समझा जायेगा कि वे ऐसा कह कर स्वयं अपने ही व्यक्तियों को नैतिकता से गिरा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य अन्य देशों के अणु शक्ति आयोगों के, जिन में अमरीकी आयोग भी है, कुछ नवीन साहित्य का—हमारे आयोग के नहीं—अध्ययन करें, तो कदाचित उन्हें कुछ पता लग सकता है कि युद्ध कैसा होगा ।

यह प्रत्यक्ष है कि अधिकतर देश ऐसे युद्ध में भाग भी नहीं ले सकते हैं । उन के पास अणु बम नहीं हैं । आजकल यह निश्चय करने की वास्तविक शक्ति, कि युद्ध होगा अथवा शान्ति, अन्त में यदि आप चाहते हैं तो, दो बड़े देशों के पास है, अर्थात अमरीका तथा रूस । इस में सन्देह नहीं कि यह शक्ति अन्य देशों के पास भी है, परन्तु ये दोनों मुख्य हैं । क्योंकि वे अति अधिक शक्तिशाली हैं तथा उनके पास ये भयानक हथियार हैं । सम्भव है कि युद्ध न हो—मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सदन यह महसूस करे कि युद्ध देहरी पर है । मेरा विचार है कि, सम्पूर्ण रूप में, अब एक या दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा युद्ध की सम्भावना कम है । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं हो सकती है तथा निश्चित कारक इतने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हैं कि कहीं भी किसी भी गलती से क्रिया तथा प्रतिक्रिया आरम्भ हो सकती है तथा उन के फलस्वरूप युद्ध हो सकता है। हमें आशा है कि जनेवा सम्मेलन में—यह कहना बहुत बड़ी बात है कि कुछ निश्चय हो जायेगा—पश्चिम में योरोप में तथा सुदूर पूर्व व दक्षिण-पूर्व—हिन्दचीन में, तनाव को कम करने के लिये कुछ पग उठाये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में ही हम अपनी नीति का पालन कर रहे हैं। कुछ सीमा तक हमें वह अवसर प्राप्त है जो अन्य देशों को प्राप्त नहीं है, इस दृष्टि से यह एक अवसर है कि यह पर्याप्त रूप में अन्य देशों ने मान लिया है कि इन मामलों में हमारा एक स्वतन्त्र मत है और कोई भी मत हमारे ऊपर किसी बड़े देश द्वारा नहीं थोपा जाता है। अतः, हमारे मत में कुछ बल है—अधिक नहीं; मेरा विचार यह नहीं है कि सांसारिक मामलों में हमारा बहुत अधिक प्रभाव है—परन्तु कभी कभी हमारा कुछ असर रहा है। उदाहरणार्थ, कोरिया में, सारा युद्ध-विराम तथा विराम सन्धि, कुछ सीमा तक, भारत के प्रयत्नों से हुआ था, और उतनी हम सराहना प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह सराहना प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। वे कार्य जो हम कर रहे हैं वे इतने गंभीर हैं कि हमें उन पर दिखावा करने या सराहना प्राप्त करने की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये। हमारी जिम्मेवारियां बहुत अधिक हैं, परन्तु कोई भी देश, यदि यह स्पष्ट हो जाये कि उस का कुछ कर्त्तव्य है अपने कर्त्तव्य का पालन करने से बच नहीं सकता है। इसलिये, संसार के मामलों के इस विस्तृत प्रसंग में, हम शान्ति की ओर अपना जोर डालने का, चाहे यह कितना ही कम हो, प्रयत्न करते हैं।

इस सम्बन्ध में, यह केवल इन दो बड़े शक्तिशाली गटों के बीच झगड़े की बड़ी समस्या नहीं है अपितु और बातें भी हैं जो हमारे विचारानुसार शान्ति स्थापना में आती हैं, अर्थात् उपनिवेशवाद, जातिभेद तथा ऐसी ही बातें। ये दोनों ही बहुत से मामलों में विद्यमान रही हैं, परन्तु आजकल अफ़्रीका में ये दोनों बातें विशेष रूप से विद्यमान हैं।

हम ने देशों की निन्दा करनी छोड़ दी है, चाहे वे हमारे मतानुसार गलती पर ही हों। माननीय सदस्य जानते हैं कि कूटनीति आजकल इस स्थिति में पहुंच गई है कि प्रायः प्रख्यात कूटनीतिज्ञों द्वारा प्रयोग की गई भाषा बाजारू-स्थान के लिये भी लज्जाप्रद हो सकती है। वक्तव्यों की भाषा जो सम्मेलनों आदि में प्रयोग की जाती है, वह विरोधी पक्ष के प्रति अत्यधिक गाली प्रचुर होती है। स्वयं इस से ही तनाव का वातावरण, जिस में ये सम्मेलन अपना कार्य करते हैं, तथा जो विद्यमान है, प्रकट होता है। जब कि वे एक दूसरे पर इतना अविश्वास करते हैं तथा एक दूसरे से इतनी घृणा करते हैं, तो एक के द्वारा दूसरे को दी गई अच्छी सलाह का प्रभाव बुरा होता है। प्रत्येक बात पर सन्देह होता है, तथा गर्हणा का कोई प्रभाव नहीं होता है सिवा इस के कि दूसरी ओर से और अधिक गर्हणा होती है। इस प्रकार यह एक दूसरे के प्रति कठोर भाषा की स्पर्धा हो जाती है। अतः, हमारे गाली देने या गर्हणा करने से कोई लाभ नहीं होता है, यद्यपि हम यह विचार कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमारी ध्वनि में ज़ोर नहीं होता है। इस से अन्य दल सन्तुष्ट नहीं होता है। चाहे हम अपने हृदयों तथा मस्तिष्कों में कितने ही ज़ोरदार विचार करें, इस से लाभ नहीं होता है। अतः हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में देशों को केवल नीचा दिखाने का प्रयत्न करने से बचते हैं, चाहे वे किसी नीति में हमारे विरोधी ही क्यों न हों। स्वाभाविकतः, हमें कभी उस नीति

की आलोचना करनी पड़ती है या यथासम्भव ठीक तथा स्पष्ट विचार प्रकट करने पड़ते हैं। परन्तु इतने पर भी हम कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करते क्योंकि, दुर्भाग्यवश, इस का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब तक कि हम शान्ति का कुछ वातावरण उत्पन्न नहीं करते हैं, जिस में कि प्रश्नों पर विचार किया जा सके, कठोर भाषा से और अधिक तनाव ही फैलेगा।

सदन को वैदेशिक मामलों में गहरी रुचि है तथा प्रत्येक सत्र में हम उन पर विचार विमर्श करते हैं। हो सकता है कि इस सत्र में इस से पहिले कि हम सदन का कार्य समाप्त करें, सदन इन गम्भीर घटनाओं पर, जो चारों ओर हो रही हैं, विचार विमर्श करे। क्योंकि यह केवल इसलिये महत्वपूर्ण नहीं है कि संसद् को इन की जानकारी हो अपितु देश को इन की जानकारी होनी चाहिये। सरकार को इन बड़े नाटकों के सम्बन्ध में सदस्यों के विचारों का ज्ञान होना चाहिये, जो संसार भर में हो रहे हैं तथा जिन में, चाहे अनिच्छा से ही हो हमें कभी अभिनेता बनना पड़ता है। अतः, हमें यह करना चाहिये, क्योंकि कार्य रूप में हमारी गृह नीति भी बाहर की कुछ बड़ी घटनाओं पर बहुत हद तक आधारित है। हम इसे पृथक नहीं कर सकते हैं; यह उलट पलट हो सकती है। हमारी तत्कालीन चिन्ता गृह नीति है, परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से इस तरह सम्बद्ध है कि हम इस की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

जहां तक इन कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है, सापेक्षतः कुछ छोटी छोटी बातों के अतिरिक्त जिन पर, यदि आवश्यक हुआ तो, मैं और मेरे साथी सदस्यों के बोलने के पश्चात कुछ कहेंगे, विस्तृत रूप में यह प्रश्न वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार की साधारण नीति से सम्बद्ध है। यह नीति इस सदन द्वारा इतनी बार स्वीकार तथा अस्वीकार की गई है कि मुझे इस के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : दलों के नेताओं या प्रवक्ताओं को २०-२० मिनट तथा अन्य सदस्यों को १५-१५ मिनट दिए जाएंगे। किसी सदस्य द्वारा लिया गया समय उस दल के समय में से काट लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताये गये कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त अन्य कटौती प्रस्ताव मैं रख दूंगा। यदि नियमानुकूल हों तो मांग संख्या २३ पर लंका सुन्दरम्, श्री खर्डेकर और श्री फ्रैंक एन्थोनी के कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत माने जाएंगे।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

माननीय सदस्य	मांग संख्या	कटौती आधार	कटौती राशि
डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्)	२३ वैदेशिक-कार्य	पाक-अमरीकी तथा पाक-टर्की सैनिक संधियों द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए युद्ध न करने की संधियों द्वारा पड़ोसी राज्यों विशेषतः अफगानिस्तान, रूस, चीन और बर्मा से प्रभावी मैत्री की नीति का अभाव	१००)
श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा)	२३ वैदेशिक कार्य	वैदेशिक नीति के मूलभूत तत्व	१००)
श्री फ्रैंक एन्थोनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)	२३ वैदेशिक कार्य	साम्यवाद के प्रति अधिक सुनिश्चित रवैये की आवश्यकता	१००)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ये कटौती प्रस्ताव सदन में रखे गये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं सदन का ध्यान माननीय मंत्री के आज के वक्तव्य के साथ साथ उनके १ मार्च के वक्तव्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं और जैसा उन्होंने उस दिन कहा था कि यह दलगत प्रश्न नहीं बल्कि निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय प्रश्न है, मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे ठोस उपाय अपनाएं, जिससे उस राष्ट्रीय नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ सके। परन्तु सबसे पहले मैं ७ मार्च के न्यूयार्क टाइम्स में राबर्ट ट्रम्वेल के एक लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और चाहूंगा कि वह तुरंत इसका प्रतिवाद करे। उक्त लेख में कहा गया है कि उक्त नीति के विषय में मंत्रिमंडल में मतभेद है। इन्हीं सज्जन ने नवम्बर, १९५० में उक्त पत्र में कुछ गड़बड़ बातें लिखी थीं आशा है इन महोदय की गतिविधि का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान इसलिए और आकर्षित कर रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने आय व्ययक चर्चा के उत्तर में स्च्वार्ट्ज़ के ग्रंथ का उल्लेख किया था, जिनका पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रूस को बदनाम करने के लिए प्रसिद्ध है। मुझे माननीय वित्त मंत्री से आशा है कि वह कम से कम मौरिस, डौब, और सिडनी, और ब्रीट्राइस बेब जैसे निष्पक्ष लेखकों की पुस्तकों से उद्धरण दिया करेंगे, ऐसे पक्ष पातियों के ग्रथों से नहीं। अतः यदि ऐसा कुछ मतभेद न हो तो कृपया प्रधान मंत्री इसका निराकरण अवश्य कर दें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बात को यहीं समाप्त कर देने के हेतु, क्या मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने ऐसे किसी मतभेद की बात नहीं सुनी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में आज हम अपने अनुभव के सहारे बहुत कुछ सीख चुके हैं। कोरिया से लौटने वाले लोगों ने प्रधान मंत्री को भली भांति समझा दिया होगा कि ये अमरीका वाले किस प्रकार के व्यक्ति हैं और दुनियां में अमरीकी साम्राज्य खड़ा करने की उनकी योजनाएं किस प्रकार की हैं। बर्नहाम के "विश्व प्रजातन्त्र के लिए संघर्ष" के आधार पर "लाइफ" पत्रिका ने १९४७ में इन लक्ष्यों का विवरण देते हुए एक नकशा छापा था। उन्होंने यूरोप को अपने साथ ले ही लिया है और एशिया के गले में भी जंजीर जकड़ते जा रहे हैं। वे अपने इस प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अणु बम, उद्जन बम या और किसी भयंकर अस्त्र का प्रयोग करने से न चूकेंगे।

तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग या भारतीय संरक्षा कटक में भारतीयों द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु सत्य-सत्य वृत्तांत बताने वाले लोगों ने प्रधान मंत्री को बता दिया होगा कि चीन और उत्तर कोरिया वालों ने किस प्रकार का व्यवहार किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात् अमरीका और दक्षिण कोरिया वालों ने किस प्रकार का व्यवहार किया था और किस प्रकार स्पष्टीकरण आरम्भ होने के पहले ही हजारों आदमी छोड़ दिए गए थे और ताईवान के दासता-शिविरों में पहुंचा दिए गए थे। किस प्रकार हमारे ऊपर नाना प्रकार के दबाव डाले गए और हमें प्रत्यक्षतः दोषी हत्यारों तक को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। इन सब सच्चे विवरणों को सुन कर अब प्रधान मंत्री ने समझ लिया होगा कि ये लोग दुनियां के राजनीतिक वातावरण को किस प्रकार दूषित कर रहे हैं और हमें इसका उपाय खोजना होगा।

पाकिस्तान के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं राष्ट्र मंडल संसदीय संघ द्वारा जून-अगस्त, १९५३ में प्रकाशित अमरीकी संसद् (कांग्रेस) की कार्यवाही की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। पृष्ठ १५० पर जौन एम० वोरी के भाषण के अनुसार अमरीका ४९ लाख व्यक्तियों को सशस्त्र बनाना चाहता है। अमरीकी सैनिक को बंदूक चलाना सिखाने तक में ५५६६ डालर व्यय होते हैं, पर विदेशी सैनिक के लिए कुल १० डालर ही व्यय होते हैं और वह भी यदि एशियावासी हो, तो उससे भी कम।

मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या वह इस खतरे के प्रति सतर्क है ? काश्मीर स्थित अमरीकी प्रेक्षकों के विषय में प्रधान मंत्री की बात सुन कर मुझे हर्ष हुआ, परन्तु वह अभी चले नहीं गए हैं, और आशा है प्रधान मंत्री इसके लिए उचित पग उठाएंगे। परन्तु भारत-अमरीकी प्राविधिक सहयोग के अधीन अमेरिकन देश के कोने कोने में घूम रहे हैं और परिव्यय का आठवां हिस्सा देकर भी सारे व्यय के बारे में उनकी ही चलती है। प्रसिद्ध गांधीवादी श्री सुरेशराम भाई ने इसी कारण इस समझौते को दासता बंध बताया था।

अमरीका के सामरिक गुप्तचर विभाग के श्री शर्मन केन्ट ने अपनी एक पुस्तक में राज्य, रक्षा, वाणिज्य, कृषि, गृह, कोष आदि विभागों के सरकारी कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर बताया है। फिर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले अमरीकी प्रतिनिधियों, संसद् सदस्यों, लेखकों और फोर्ड रॉकफेलर जैसे प्रतिष्ठानों आदि के नाम दिए गए हैं। अभी हाल में येल विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय भूगोल सभा की ओर से एक वनस्पति शास्त्री डा० सिडनी रिपले नेपाल गए हैं, परन्तु वह १९४२–४४ में दक्षिण पूर्व एशिया में गुप्तचर विभाग के संचालक रह चुके हैं। इसके साथ ही अमरीकी संसदीय वृत्तांतों से भी पता चलता है कि बहुत सी बातें गुप्त रखी जाती हैं; उदाहरणत: २४ जुलाई १९५१ को उपराज्य सचिव मैक घी ने भारतीय परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कुछ परियोजनाएं गुप्त रूप में बताई थीं, जिनका अभिलेखों में वर्णन नहीं है। बोकारो के निर्माण के विषय में विश्व बैंक की टुकड़ी प्रति दूसरे मास रिपोर्ट भेजती है, जिसका भारत सरकार को कुछ ज्ञान नहीं हो पाता। आशा है, इस प्रकार की बातें रोकी जाएंगी।

मैं ७ मार्च के "न्यूयार्क टाइम्स" में श्री ट्रमबैल के लेख का उद्धरण दे चुका हूं। आगे उन्होंने लिखा है कि "साधारणत: भारतवासी अमरीकी आर्थिक सहायता की बात जानते हैं, किन्तु बहुत थोड़े ही व्यक्ति यह जानते हैं कि अमरीका भारत को सैन्य-सामग्री भी बेचता है। पाक-अमरीकी सैनिक सहायता को लेकर इतना ऊधम मचा है, परन्तु संयुक्त राष्ट्र सैनिक परामर्शदाता नियोजन कराची में नहीं बल्कि नई दिल्ली में काम कर रहा है। कोई नहीं कह सकता कि पंडित नेहरू के अज्ञात परन्तु अनिवार्य उत्तराधिकारी की विदेश नीति क्या होगी ? भारतीय वायु सेना के लिए खरीदे गए २६ विमानों में पहले दो के साथ ६ अमरीकी वायु सेना अधिकारी और दो असैनिक प्रविधिज्ञ आए हैं, पर इसे गुप्त रखा गया है। ये छः महीने तक भारतीयों को शिक्षा देंगे। अमरीका ये सब वस्तुएं "पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम" के अधीन अपने मित्र देशों को देता है। आज की परिस्थिति में ऐसी टिप्पणियां कितनी अपमानजनक हैं। मैं इस दिशा में सहयोग देने को तय्यार हूं, परन्तु दूसरा पक्ष चुप रहना पसन्द करता है।

गत रविवार के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक विदेशी सम्वाददाता ने प्रधान मंत्री

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

से अपनी भेंट का विवरण दिया है । उसने लिखा है कि "साम्यवादी बहुत प्रचार करके लोगों की निर्धनता से लाभ उठाते हैं । प्रधान मंत्री के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया से साम्यवाद को दूर रखने का आर्थिक सुधार ही एकमात्र इलाज है और भारत अपने विकास व्यय कम न करेगा ।" यदि माननीय प्रधान मंत्री इस प्रकार साम्यवाद-विरोधी भावनाएं रखते हैं, तो निश्चय ही वह अपनी विदेश नीति को दलदल में डाल रहे हैं । हम नहीं चाहते कि वह ऐसा करें ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे बाधा देते हुए खेद है । यह भाषा मेरी नहीं है, मैंने ये शब्द नहीं कहे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रधान मंत्री का भाषा पर जो अधिकार है, वह मुझे विदित है, परन्तु मैं हिन्दुस्तान टाइम्स के शब्द उद्धृत कर रहा हूं ।

मुझे एक बात और कहनी है । हम अपने प्रत्येक कार्य में परामर्श देने के लिए विदेशियों को बुलाते हैं । १९ जनवरी के हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार अभी हमने लोक प्रशासन के बारे में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ श्री पौल एच० एपलेबी को बुलाया है, जो केन्द्रीय प्रशासन के बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं और राज्यों के प्रशासन का अध्ययन करने के लिए दौरा कर रहे हैं । निश्चय ही इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती है कि हमें सदैव विदेशी तरीके ही पसन्द आते हैं और सदैव आवश्यकता पड़ती है कि एक विदेशी आकर प्रत्येक तुच्छ से तुच्छ बात में हमें परामश दे । उस दिन प्रधान मंत्री ने भारतीय व्यापार मंडल में कहा था कि प्रत्येक बात के लिए विदेशों पर निर्भर रहने वाला देश कभी प्रगति नहीं कर सकता । परन्तु अपनी योजना, सामुदायिक परियोजना, सशस्त्र सेना, औद्योगिक आवश्यकताओं, रेलवे भंडारों और सैंकड़ों अन्य बातों के लिए हम सदैव अमरीका-ब्रिटेन के मुखापेक्षी रहते हैं ।

मैं गोआ तथा अन्य विदेशी बस्तियों के बारे में कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं । पुर्तगीज विधान सभा ने १९५० में उपनिवेश अधिनियम में सुधार करके भारत स्थित बस्तियों को एक प्रांत के समान मान लिया है । संविधान में इस प्राविधिक परिवर्तन का प्रतिफल यह हुआ है कि अब भारत द्वारा इन बस्तियों में पुलिस-कार्यवाही होने पर पुर्तगाल उत्तर अटलांटिक संधि संगठन वाले देशों से सहायता मांग सकेगा । मैंने सालाजार के १९४९ के एक वक्तव्य का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन पुर्तगाल की विदेशी बस्तियों की रक्षा करने के लिए वचन बद्ध है ।

२८ नवम्बर १९५३ के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" के सम्पादकीय से अमरीका और पुर्तगाल के १९५१ के पारस्परिक समझौते का पता लगा है जिसमें ये उपबन्ध हैं कि पुर्तगाल को अमरीका से जो डालर और हथियार मिले हैं वे भारत में पुर्तगाली बस्तियों की रक्षा सम्बन्धी संकट का सामना करने के लिए हस्तांतरित किये जा सकते हैं । फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में भी यही बात है । वहां से एक हज़ार भारतीय नवयुवकों को हिन्द चीनी के युद्ध में भेजा गया था । उनमें से ११० सिपाही वापस आये हैं । प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि वे विदेशी बस्तियों को सहन नहीं कर सकते । हम जानना चाहते हैं कि वे इस के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

राष्ट्र मंडल से पत्रव्यवहार करना निरर्थक है । अमरीका-पाकिस्तान समझौते के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड का दृष्टिकोण स्पष्ट ही है । लाहौर के राष्ट्र मंडल के सम्मेलन में भी इंग्लैण्ड के प्रतिनिधि ने अमरीका-पाकि-

स्तान समझौते का समर्थन किया है। इससे पता चलता है कि हमारे राष्ट्र मंडल में होने के कारण स्थिति और बिगड़ रही है।

हमारे भूतपूर्व प्रधान सेनापति, जनरल आकिनलेक पाकिस्तान में जादुई पैंतरे बदल रहे हैं और सुना है कि वह वहां व्यापार भी कर रहे हैं। ऐसी बातें सर्वथा अवांछनीय हैं। श्री त्यागी ने बताया है कि हमारे रक्षा स्थापनाओं में बहुत से विदेशी हैं। "अमृत बाज़ार पत्रिका" ने लिखा है कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में रक्षा संस्थापनाओं में विदेशियों का होना सर्वथा अवांछनीय है। राष्ट्रमंडल की भावना केवल साम्राज्यवादियों का एक सहारा है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें धोखे से कदाचारियों के शिविर में धकेला जा रहा है। श्री राबर्ट ट्रम्बल ने बताया है कि संसद् के बहुत से सदस्य इस अमरीकन गोष्ठी के साथ हैं। भारतीय अभिमत की वर्तमान स्थिति के कारण वे अभी मौन हैं। परन्तु वह गोष्ठी हमें फांसना चाहती है।

प्रधान मंत्री ने अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में जिन भावों को व्यक्त किया है, उनका हम पूर्ण सहयोग करते हैं। परन्तु मुझे शंका है कि उनके शब्दों में अनिश्चित भाव सा है। उस अनिश्चितता को हटाना चाहिये, ताकि हमें अपनी स्थिति का पता लगे और हम अपने सामूहिक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ सकें। यदि वे जनता की शक्ति के भय को भुला दें जिसका प्रदर्शन प्रेस अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम और संविधि पुस्तिका के अन्य सैकड़ों विधानों में किया गया है, तो सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। तब सब लोग सहकारी समुदाय की भावना से कार्य में लग जायेंगे। यदि गृह नीति और विदेश नीति अच्छे भविष्य की आशा जगा दें तो लोगों में संघर्ष की वह मानसिक स्थिति उत्पन्न होगी जो प्रधान मंत्री खतरे के समय देश में उत्पन्न करना चाहते हैं।

एक श्लोक है जो सम्भवतः विश्वामित्र का है :—

"धिग् बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्।
एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥"

आज यह ब्रह्म बल लोगों के हृदयों में है। यह ब्रह्म बल कार्य, संवेदन और समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझने से ही पाया जा सकता है। हमारे विचार में यही एक अधिकतम महत्व का कार्य है जिसके लिए हम उन लोगों को भी सहयोग दे रहे हैं जो प्रायः हमें गालियां देते रहते हैं। इसलिये हमें आगे बढ़ कर ऐसा कार्य करना चाहिये जो हमारे देश के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाये।

इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं कि वास्तविक लोकतन्त्र, शान्ति और लोगों की वास्तविक भलाई के लिए लड़ने वाली शक्तियों की विजय होगी और निजी सम्पत्ति लाभ पर आधारित साम्राज्यवाद का स्तम्भ ढह जायेगा।

श्री रघुरामय्या (तेनालि): मेरे पूर्व वक्ता ने मंत्रिमंडल में फूट के सम्बन्ध में जो आतुरता प्रकट की है उस से प्रतीत होता है कि उनमें परिवर्तन आ गया है और उन्हें भी इस मंत्रिमंडल पर इतना ही विश्वास है जितना सारे देश को प्रधान मंत्री की विदेश नीति पर है।

भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में श्री माडलिंग के इन शब्दों में वास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति हुई है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपने कर्तव्यों के पालन में अग्रगण्य रहा है। इस कारण उसके अभिमतों की ओर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ता है।

यह मानी हुई बात है कि पिछले बारह मास से—पाकिस्तान को अमरीका की सहा-

[श्री रघुरामय्या]

यता के सम्बन्ध में मैं फिर कहूंगा—शान्ति का वातावरण बनाया जा रहा है। कोरिया और हिन्द चीनी की स्थितियों पर विचार के लिए एक सम्मेलन जेनेवा में हो रहा है। इंग्लैण्ड और चीन में एक व्यापारिक समझौता भी हो रहा है। अमरीका के प्रधान आइजनहावर ने भी यह स्वीकार किया है कि विश्व की स्थिति में तनाव कम हुआ है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने भी भरसक प्रयत्न किया है। निष्पक्षता की नीति अपना कर अपने अपने सिद्धान्तों के लिए कट्टर देशों को कुपित न करना अत्यन्त कठिन है। परन्तु हम ऐसा प्रयत्न करते रहे हैं।

जो देश सर्वथा गुटबन्दी में लगे हुय हैं वे हमारा दृष्टिकोण नहीं समझ सकते। श्री जे० जे० सिंह ने अमरीका के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिल कर यह निष्कर्ष निकाला है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निर्णय ५० प्रतिशत स्वतन्त्र विश्व में शक्ति निर्माण की इच्छा से और ५० प्रतिशत भारत विरोधी भावनाओं के आधार पर किया गया है। 'सब देशों के साथ बंधनपूर्ण सम्बन्ध के बिना शान्ति, वाणिज्य और सद्भावनापूर्ण मैत्री'—ये शब्द अमरीका के तीसरे प्रधान श्री जेफरसन ने प्रयोग किये थे। श्री वाशिंगटन ने भी राष्ट्र को स्थायी सम्बन्धों से मुक्त रहने का परामर्श दिया था। उस समय अमरीका दरिद्र था। भारत उससे भी दरिद्र है। आश्चर्य की बात है कि अमरीका के लोग इस मूल बात को नहीं समझ सकते।

अमरीकन इस बात पर जोर देते रहे हैं कि यह सहायता भारत के विरुद्ध नहीं वरन् रूस के सीमान्त से दक्षिण की ओर की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मध्य पूर्व की स्थिति को स्थिर करने के लिए दी गई है। मैं इस पर विश्वास करने के लिये तैयार हूं परन्तु क्या इस सामूहिक सुरक्षा का स्वप्न इस विशेष क्षेत्र में पूरा हो सकेगा ?

इस सहायता से तत्काल पहले के वातावरण की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में कितनी मैत्री थी। झगड़ों को युद्ध द्वारा निबटाने की भावना का अन्त हो चुका था और शान्तिपूर्ण ढंग अपनाने की इच्छा का उदय हो रहा था। अमरीका की सहायता मिलते ही पाकिस्तान के युद्ध प्रेमी व्यक्तियों में नई आशा का संचार हो गया है। श्री मुहम्मद अली भी बदल गये हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अमरीका की सहायता मिलने पर काश्मीर की समस्या भी सुगम हो जायेगी। यदि पाकिस्तान को अमरीका से सहायता मिलने के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान में शत्रुता की भावना बढ़ी है, तो अमरीकनों का यह उद्देश्य कि मध्यपूर्व की स्थिति को स्थिर किया जाये कहां तक सफल हुआ है।

इस सहायता के कारण इतने अधिक जनसमूह में विरोध की भावना उत्पन्न हुई है जितनी जनसंख्या उन सब देशों की है जो नेटो तथा रेयो समझौतों तथा यूनान तथा टर्की सम्बन्धी ट्रूमन सिद्धान्त के अन्तर्गत आते हैं। पाकिस्तान की भी सारी जनता इसकी समर्थक नहीं है। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत आलोचना हो रही है। पाकिस्तान की अवामी लीग के प्रधान ने इस समझौते के सम्बन्ध में कहा है कि इससे पाकिस्तान अमरीका के पास गिरवी रखा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि इससे पाकिस्तान अमरीका की एक बस्ती मात्र बन कर रह जायेगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिये ? मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सहायता का विरोध इस सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिये कि हम प्रत्येक अमरीकन के प्रति

विरोध और घृणा का प्रदर्शन करने लगें । इससे हमारी विदेश नीति का मूल आधार ही नष्ट होगा और इससे हम गुटबन्दी में धकेले जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त मैं देश की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अनुरोध करूंगा । निस्संदेह आज के हाईड्रोजन बम के युग में नागरिक रक्षा प्रबन्ध निरर्थक है । परन्तु जैसे जैसे हमारा पड़ौसी देश विदेशी सहायता से शक्तिशाली हो रहा है, हमें अपने देश के सीमान्त की रक्षा का ध्यान रखना चाहिये ।

भारत की सुरक्षा में सबसे बड़े छिद्र विदेशी बस्तियां हैं । पुर्तगाल के विदेश मंत्री का यह कहना बहुत आश्चर्यजनक है कि वे कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने देंगे । वे यह भूल गये हैं कि आज का विश्व पोप की आज्ञप्ति के अधीन नहीं है, जिसने पन्द्रहवीं शताब्दी में सारे ज्ञात विश्व का वितरण पुर्तगाल और स्पेन में किया था । पुर्तगालियों को ध्यान रखना चाहिये कि गोआ के लोग हमारे ही हैं और पुर्तगाली अधिक दिन वहां की स्थिति की अवहेलना नहीं कर सकते ।

पांडीचेरी के इतिहास के अनुसार वह नगर भिन्न भिन्न समय पर फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच लोगों के हाथों में आता रहा है और अन्त में १८१४ में यह फ्रांसीसियों को दे दिया गया था । अब मैं आशा करता हूं कि १९५४ में यह भारत को मिल जायेगा और इतिहास में लिखा जायेगा कि "यह लौटाया गया" और यह नहीं कि "इसको वापस लिया गया ।" पुर्तगाल और फ्रांस के सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि भारत साम्राज्यवादी शक्तियों के इन अवशेष चिह्नों को अब अधिक दिन नहीं सह सकेगा । श्रीमान्, मैं अनुदान की मांगों का सहर्ष समर्थन करता हूं ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : इससे पूर्व कि मैं अनुदानों की मांगों के बारे में बोलूं, मैं श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा उठाई गई कुछ बातों का निर्देश करना चाहता हूं । श्री मुकर्जी ने कहा कि बुकारो की रिपोर्टें विश्व बैंक को जो भेजी जाती हैं, उन्हें इसमें आपत्ति है । मुझे उनकी इस बात पर आश्चर्य होता है क्योंकि जब कोई देश दूसरे देश या बैंक से रुपया उधार लेता है तो वह इन रिपोर्टों के देने से किस तरह बच सकता है । इन रिपोर्टों को भेजने में किसी को कोई आपत्ति क्यों हो ? इसी प्रकार श्री मुकर्जी ने श्री एपलबी के लिये कहा कि वह हमारे देश का दौरा क्यों कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि हम किसी मित्र देश के नागरिक को अपने यहां बुलाते हैं और उसे अपने यहां के शासन के बारे में रिपोर्ट देने के लिये कहते हैं तो इसमें क्या बुराई है ? हमारे अमरीका से बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं और मुझे इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती ।

जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मैं प्रधान मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । किसी देश की वैदेशिक नीति उसकी आन्तरिक नीति का प्रतिबिंब है; अतः भारत की वैदेशिक नीति उस की अपनी नीति ही है, किसी अन्य देश की नहीं । वास्तव में, हमारी वैदेशिक नीति उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जो गत १५–२० वर्षों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपनाये थे । ये मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं : (१) कि भारत विश्व के उन सारे लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है जोकि दमन का शिकार बने हुए हैं । (२) भारत उपनिवेशवाद का घोर विरोध करता है । (३) भारत किसी भी राजनैतिक गुट में शामिल होना नहीं चाहता । (४) भारत का उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापित करना है । और (५) भारत जातीय भेदभाव के विरुद्ध हर दम लड़ता रहेगा । हमारी वैदेशिक नीति

[डा० सुरेश चन्द्र]

में इन सिद्धान्तों का कितना ध्यान रखा गया है, ये हमारे कार्यों से प्रकट है और इस बारे में बोलना मेरे लिये अनावश्यक है।

हमारे प्रधान मंत्री की नीति के कारण विश्व शान्ति बनाये रखने में बहुत कुछ सहायता मिली है और इसके लिये हमें उनका आभारी होना चाहिये। हमारी सरकार का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि जितने अधिक क्षेत्र में हो सके, शान्ति स्थापित की जाये। कोरिया में ही देख लीजिये, हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप दोनों पक्ष युद्ध-बन्दियों के प्रत्यावर्त्तन के लिये एक निश्चित प्रणाली पर सहमत हो सके थे। हमारे संरक्षक कटक ने जिस साहस और कुशलता के साथ इतना कठिन कार्य किया उसकी सारे विश्व में भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने विभिन्न समितियों में क्रियात्मक एवं प्रभावी रूप से अपना योग दिया है और एशिया अफ्रीकी गुट की स्थापना भारत के प्रयत्नों से ही हो सकी है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चला कि वह मंत्रालय एक ऐसी योजना बना रहा है जिसके अनुसार भारतीय विदेश सेवा के नवयुवक सदस्य भारत के विभिन्न ज़िलों में प्रशिक्षणार्थ भेजे जायेंगे ताकि उन्हें अपने देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके। मेरी राय में यह चीज़ बहुत पहले ही हो जानी चाहिये थी। मैं प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य उपमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे भारतीय विदेश सेवा में ऐसे व्यक्तियों का ही चुनाव करें जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से भली भांति परिचित हों और जिन्हें उन देशों का भी ज्ञान हो जहां वे भेजे जा रहे हैं।

मैं अब वैदेशिक प्रचार के बारे में कुछ कहूंगा। पिछली बार भी मैंने कहा था कि यदि हम वास्तव में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को रखना चाहते हैं तो यह नितांत आवश्यक है कि हम इन लेखों को पर्याप्त सुविधायें दें और उन्हें यह अनुभव न होने दें कि वे भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों से किसी प्रकार हीन हैं।

अन्त में मैं भारत की फ्रांसीसी बस्तियों का ज़िक्र करूंगा। गत समय जब मैं पैरिस गया था तो मैं वहां के कुछ संसद् सदस्यों और मंत्रियों से मिला था। मैंने देखा कि फ्रांसीसी लोग और संसद् के कई प्रभावपूर्ण दल फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में विलीन कर देने के पक्ष में हैं। मैं आशा करता हूं कि फ्रांस जैसा महान् देश उचित दृष्टिकोण अपनायेगा और फ्रांसीसी बस्तियों में रहने वाले लोगों की मांगों को पूरी करेगा।

५ म० प०

श्री फ्रैंक एन्थनी : अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सहायता के बारे में कुछ कहूंगा। मैं उन सब का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं जिन्होंने इस सहायता की निन्दा की है। यह सच है कि इस सहायता की सब लोगों ने निन्दा की है, परन्तु मैं इस सहायता की निन्दा करने के साथ-साथ अमरीकी सरकार के उद्देश्यों की निन्दा नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि अमरीकी सरकार की सुरक्षा के सम्बन्ध में अपनी कुछ नीति है जिसके अनुसार वह अपने मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहती है। शायद, अमरीकी दृष्टिकोण से ये उद्देश्य बहुत अच्छे हों परन्तु मैं अमरीकी सरकार की इसलिये निन्दा करता हूं क्योंकि इस सहायता के देने में उसने भारतीयों और पाकिस्तानियों की मनोवृत्ति की ओर ध्यान

नहीं दिया है । अमरीका ने भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों को समझने की कोशिश नहीं की है। भारत के लोगों में पाकिस्तानियों की धर्मान्धता के बारे में जो सन्देह है, जो पाकिस्तान के रवैये से स्पष्ट भी है, उन्हें अमरीका ने समझने का प्रयत्न नहीं किया है। यही अमरीका ने बड़ी भारी ग़लती की है । इस सहायता का परिणाम यही होगा कि एक ओर तो पाकिस्तान को आक्रमण करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी ओर भारत की शक्ति और संसाधन आक्रमण के इस भय को दूर रखने के लिये लगे रहेंगे। अमरीका सरकार इस सहायता के बारे में कुछ भी कहे, परन्तु यह निश्चित है कि पाकिस्तान ने यह सहायता किसी साम्यवादी शत्रु का सामना करने के लिये नहीं वरन्, इस देश के ख़िलाफ़ जिहाद की आवाज़ और ज़ोर से उठाने के लिये ली है ।

मैं अब भारत की वैदेशिक नीति के आधारभूत सिद्धान्तों पर अपने विचार प्रकट करूंगा । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत की वैदेशिक नीति पर निर्माण करने में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत में प्रजातन्त्र की रक्षा से ही, एशिया और मध्य एवं सुदूरपूर्व में प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकती है । मेरा अपना मत तो यह है कि हमारी वैदेशिक नीति अपरिवर्त्तनशील नहीं होनी चाहिये, उसमें कुछ ऐसा लचीलापन होना चाहिये जिससे हम अपने मूल सिद्धान्तों को छोड़े बिना दूसरों के दृष्टिकोण को भी अपनाने में समर्थ हों। मैं जानता हूं कि हमारे समस्त राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं और यह भी सच है कि किसी भी देश को बैरी बनाना हमारे राष्ट्र की महानता के प्रतिकूल होगा; परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि तटस्थता और मित्रता के इस आदर्श को पूरा करने में हमने अक्सर साम्यवादियों का समर्थक और सहायक होने का प्रमाण दिया है । प्रायः हम उन्हीं लोगों की आलोचना करते पाये गये हैं जिनके साथ हमारे राजनैतिक सिद्धान्त सबसे अधिक मेल खाते हैं । इसी कारण भारत को मित्र देशों तथा अन्य प्रजातन्त्रों द्वारा दिन पर दिन ज़्यादा ग़लत समझा जा रहा है । मैं यह नहीं कहता प्रजातन्त्रात्मक देशों की आलोचना करना अनुचित है, परन्तु केवल उन्हीं की आलोचना करना और हमेशा करते रहना ठीक नहीं दिखाई देता । मैं जानता हूं कि भारत ने यह नीति दो कारणों से अपनाई है; एक तो यह कि एशियाई देश होने के नाते भारत साथी एशियाई देशों की आलोचना करना नहीं चाहता और दूसरे यह कि यूरोपीय उपनिवेशवाद के अपने स्वयं के अनुभव से वह इस विशेष प्रकार के उपनिवेशवाद यानी अश्वेत राष्ट्रों पर यूरोपीयों द्वारा अधिकार जमाये रखने की नीति के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है । यही वजह है कि हम हिन्द-चीनी में फ्रांसीसी नीति की आलोचना करते हैं परन्तु साथ ही चीनियों द्वारा वियट-मिन्ह सेनाओं को अस्त्र शस्त्र देने के बारे में हम बुराई करने के लिये तैयार नहीं । बरमूडा में ब्रिटिश नीति का हम घोर विरोध करते हैं परन्तु तिब्बत के सम्बन्ध में चीनी रवैये पर, जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा बना रहता है, हम चुप रहते हैं । यह हमारी वैदेशिक नीति का एक पहलू है । दूसरा यह है कि साम्यवादियों के बारे में, चाहे वे हमारे देश के हों या बाहर के, हमारी नीति मे कोई स्थिरता नहीं है । मैं समझता हूं कि भारत सरकार भारत में साम्यवाद की सबसे बड़ी प्रचारक है । हम देखते हैं कि सरकार के मंत्री साम्यवादी देशों का थोड़ा सा दौरा करके वहां की प्रशंसा के गीत देश भर में गाते फिरते हैं । यदि वे वहां के बारे में ठीक ठीक बातें कहें तो भी उचित है परन्तु वे ऐसा न करके ग़लत और झूठी सच्ची बातों का बखान किया करते हैं । वे चीन और रूस

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

के बारे में हमें ठीक ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं कराते—मैं सरकार पर साम्यवाद का प्रचार करने का आरोप लगाता हूं। आप हमारे यहां उन देशों के कारनामे तो सुनाते हैं परन्तु आप यह नहीं बताते कि वहां के लोगों के साथ कितना अमानवीय और नीचतापूर्ण व्यवहार हुआ है। इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार साम्यवादियों की ही प्रचारक है; भले ही वह जान बूझ कर ऐसा न कर रही हो परन्तु उसकी नीति और उसके कार्य लोगों में साम्यवाद का ही प्रचार कर रहे हैं। एक ओर तो हम बराबर साम्यवाद के गुण गाते रहते हैं और चीनी सरकार की प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरी ओर प्रजातान्त्रिक देशों की हमेशा निन्दा करते हैं। मैं मानता हूं कि आप प्रजातान्त्रिक देशों की निन्दा कर सकते हैं किन्तु दूसरी ओर आप साम्यवादी देशों की बराबर प्रशंसा क्यों करते हैं? मेरे विचार में हमारी सरकार न केवल साम्यवाद का प्रचार कर रही है बल्कि हवाई क़िले भी बनाती है। सरकार की राय में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कोई खतरा नहीं हो सकता है। यह धारणा बिल्कुल ग़लत है। सरकार यह समझती है कि चीन का साम्यवाद उस देश की ही देन है और उस पर किसी अन्य देश का दबाव नहीं है। किन्तु यह भूल है। चीन ने कभी भी स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं किया। वह हमेशा रूस के कदमों पर चलता रहा है। वास्तव में, वह रूस का पिछलग्गू है और उसी के कहने पर कार्य करता है। मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद कभी भी सीधा हमला नहीं करता है। वह अपने शिकार की ताक में बैठा रहता है और हो सकता है कि वह इस ताक में दस वर्ष तक बैठा रहे। परन्तु वह और तरीकों से काम लेता रहता है। चीन और हिन्द-चीन के उदाहरण हमारे सामने हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादियों ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी हथियार आदि से वे हमेशा इन लोगों की मदद करते रहे हैं। हो सकता है साम्यवादी यही तरीका भारत के सम्बन्ध में भी अपनायें। वे ताक में तो बैठे ही हुए हैं। हो सकता है उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने में पांच से दस वर्ष तक लग जायें किन्तु वे अपनी चालों से बाज नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कुछ समय में न केवल नैपाल बल्कि स्वयं त्रावणकोर-कोचीन और बंगाल भी रूसी साम्राज्य के भाग हो जायें। इसी प्रकार धीरे धीरे वे भारत को भी हड़प सकते हैं।

दुर्भाग्यवश, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के कारण परिस्थिति कुछ विषम सी हो गई है। किन्तु मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से ख़तरा किसी प्रकार कम नहीं है। यदि पाकिस्तान ने जोश में आकर हमला कर भी दिया तो हम न केवल उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे बल्कि भविष्य के लिये भी उन्हें पाठ पढ़ा देंगे। परन्तु यदि चीन हमला करता है तो क्या हम ऐसा कर सकेंगे?

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी श्री एन्थनी साहब ने.....

कुछ माननीय सदस्य : अंगरेजी में बोलिये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अंगरेजी में तो बहुत से सदस्यों ने भाषण किया और हमारे इस सदन में ऐसे भी बहुत से सदस्य हैं जो केवल हिन्दी ही समझते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी परराष्ट्र नीति या विदेशी नीति जो कि भारत सरकार ने अपनाई है, उस पर हिन्दी में ही अपने विचार प्रकट करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस नीति को हमारी भारत सरकार ने अपनाया है, उससे संसार में

हमारे देश का केवल मान ही नहीं बढ़ गया, बल्कि जिस प्रकार से हमारे देश ने पररराष्ट्र नीति के सम्बन्ध में दूर देशों में काम करने की प्रथा चलाई है, वह एक अचम्भे में डालने वाली चीज है । इससे हमारी पररराष्ट्रीय नीति और रीति का एक नमूना संसार के सामने उपस्थित हो गया है । अभी साम्यवादी लोगों ने आप के सामने तरह तरह के भाषण किये और टीका टिप्पणी की । मैंने उन को बड़े गौर से सुना । मैंने देखा कि श्री हीरेन्द्र मुकर्जी और दूसरे सज्जनों ने एक प्रथा सी बना ली है कि जब भी कोई बात इस सदन के सामने आती है तो वह उसका विरोध करने के लिये खड़े हो जाते हैं । वह उस दूर देश की प्रथा का अनुकरण यहां करने लगते हैं जो कि रूस कहलाता है । रूस के मुल्क में अगर जमीन अधिक है और अन्न की कमी है, अगर वहां पर फैमिली प्लैनिंग या संतति निरोध के लिये प्रयत्न किया जाता है तो वह यहां पर भी, जबकि हमारे यहां जमीन की कमी है और आबादी ज्यादा है, वहां की बातों का समर्थन करते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह रूस की तमाम नीति को लेकर उसका प्रतिपादन यहां करते हैं, जबकि भारत की समस्यायें सब की सब वहां के विपरीत हैं । हमारी पररराष्ट्र नीति के सम्बन्ध में यह मुख्य सिद्धान्त स्मरण रखने योग्य है कि महात्मा जी ने हम भारतवासियों को एक सबक सिखाया था और वह सबक था शान्ति और अहिंसा का । हम अहिंसात्मक उपायों से किसी देश पर कब्जा करने की ओर ध्यान नहीं रखते । हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहते । लेकिन साथ ही साथ यह भी स्मरण रखने की बात है कि जिस तरीके से हमने अंगरेज जैसी विलक्षण जाति को यहां से शान्ति और अहिंसा के द्वारा हटा कर संसार के सामने उदाहरण रक्खा, उसी तरह से हम पररराष्ट्र नीति में भी इस सिद्धान्त को अपनाकर दूसरे देशों के सामने आदर्श रख रहे हैं । आप देखते हैं कि जहां एटम बम और हाइड्रोजन बम की बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं वहां हमारा देश विश्व शान्ति के लिये दृढ़ प्रयास कर रहा है । हमारे प्रधान मंत्री ने अभी बतलाया कि बड़ी शक्तियों द्वारा एक महान् विध्वंस खड़ा हो जायेगा, अगर संसार में फिर से युद्ध उठ खड़ा हो गया और जितने भारी और विध्वंसक शक्ति के साधन इस समय संसार में मौजूद हैं, वे यदि सब के सब लगा दिये जायं, तो आधे से अधिक संसार बिल्कुल बरबाद हो जायेगा... अगर कोई भी देश इस समस्या को सोचे और समझे तो क्या वह पसन्द करेगा कि संसार में विध्वंसक शक्तियों को बढ़ाया जाय जबकि लड़ाई का कोई अन्त नहीं है ?

[**श्रीमती खोगमेन** पीठासीन हुईं]

अभी हमारे प्रधान मंत्री ने बतलाया कि कोरिया में लड़ाई छिड़ी, लेकिन उस का अच्छा अन्त नहीं निकला, इण्डोचाइना में भी लड़ाई छिड़ी, लेकिन उस का भी कोई अन्त अभी तक नजर नहीं आया है । दोनों शक्तियां लड़ती हैं लेकिन एक दूसरे को पीछे नहीं कर पाती हैं । अगर फिर युद्ध हुआ तो उसमें कितना विध्वंस हो जायेगा इसका अनुमान नहीं किया जा सकता । इसलिए इस तरह से हमारे देश के जो नेता हैं, वे यह विचार करते हैं कि संसार के लड़ाकू देशों के सामने उस उदाहरण को रखना चाहिये जो कि पूज्य बापू जी ने हमारे सामने रक्खा था और जिसकी सफलता के चमत्कार हम देख चुके हैं । उनका उपदेश है कि संसार को यह बतलाया जाय कि लड़ने से ही नहीं, विध्वंस से ही नहीं, बल्कि मनोबल से भी, आत्म शक्ति से भी हम दूसरे देशों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि हमने इस देश में स्वराज्य की प्राप्ति की । आज संसार की शक्तियां

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

भारत की ओर देख रही हैं। हिन्देशिया और गाइना के लोग और दूसरे देशों के मंत्री और बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल यहां आये और उन्होंन भारतीय नीति की बड़ी तारीफ की। क्यों ? इसलिए कि आज के संसार में जहां विध्वंस का आडम्बर चल रहा है, जहां बड़े बड़े एटम और हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारियां हो रही हैं वहां शान्ति का सन्देश देने वाला कोई देश नज़र नहीं आ रहा था। अब भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संसार के सामने एक नयी नीति रखी है और मुझे विश्वास है कि यदि हमारे प्रधान मंत्री और हमारे देश के नेता इसी नीति पर चलते रहेंगे तो सारा संसार इस नीति को मानेगा। इसका कारण यही है कि कोरिया में और हिन्द-चीन में और संसार के दूसरे भागों में जो लड़ाई की आग की लहर चल रही है उससे मानव का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तभी हो सकता है जबकि हम महात्मा गांधी के सिद्धान्त के अनुसार संसार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी नीति पर दृढ़ रहें, और हम दूसरों के दबाव में न आयें।

पाकिस्तान को जो अमरीकी फौजी सहायता मिल रही है उस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि असल बात क्या है। पाकिस्तान में आन्तरिक कमजोरी इतनी बढ़ गयी है कि वह अपने नागरिकों को ही नहीं सम्भाल सकता। वहां के नागरिकों के पास हथियार हैं। पाकिस्तान की फौज इतनी कमजोर है कि वह नागरिकों से जो डर है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले दिनों जब अहमदिया आन्दोलन चला था तो वहां पर फौज को बुलाना पड़ा था। वहां पर फौज के लोगों में और सिविल सर्विस के लोगों मे शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्विता चल रही है। सिविल सर्विस के लोग यह चाहते हैं कि इस देश की बागडोर हम अपने हाथ में रखें। वहां के वर्तमान प्रधान मंत्री महोदय भी सिविल सर्विस के व्यक्ति हैं। फौज चाहती है कि हमारी सत्ता रहे। साथ ही साथ वहां पर जो पांच सूबे भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हैं उन सब पर उर्दू लादी जा रही है। वहां पर सिन्ध में सिन्धी, फ्रंटियर में पश्तो, पंजाब में पंजाबी और बंगाल में बंगला बोली जाती है। लेकिन इन सबके ऊपर एक नयी भाषा थोप दी गयी है। यू० पी० के मुसलमानों ने जो वहां पर गये हैं उर्दूभाषा उन पर थोप दी है। इसलिए इन कारणों से कट्टर साम्प्रदायिकता के कारण पाकिस्तान में वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक बड़ी भारी आग सुलग रही है। वहां पर सरकार के सामने यह एक समस्या थी कि वह इस अशान्ति को किस प्रकार शान्त करें। इसके लिये उपाय ढूंढते ढूंढते उनको एक यही उपाय सूझा कि अमरीका से या किसी दूसरे देश से सहायता लें। अमरीका के सामने यह प्रश्न था कि दक्षिण एशिया में कम्युनिस्टों के प्रसार को कैसे रोका जाय। भारतवर्ष एक प्रजातान्त्रिक देश है, इसलिए यहां कम्युनिज्म की प्रगति का इतना डर नहीं है। यहां कम्युनिस्ट लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन कोई जड़ नहीं जमा सके हैं। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में उनका जमाव बढ़े। इसलिए पाकिस्तान को अमरीका ने सहायता देना शुरू किया। तो पाकिस्तान के सामने अपनी निजी समस्या है जिसके कारण वह अमरीकी सहायता चाहता है। लेकिन है यह बहुत गलत बात। कोई भी देश जो विदेशी सहायता लेगा वह कमजोर हो जायगा और खुद उस विदेशी सहायता का शिकार हो जायगा। जो देश अपने ऊपर निर्भर रहता है और अपनी जनता के बल पर निर्भर रहता है वही बलवान हो सकता है। दूसरों से सहायता लेने में शक्ति न सिविल

सरविस वालों के हाथ में रहेगी और न फौज के हाथों में रहेगी बल्कि दूसरों के हाथों में जा सकती है। आजकल शक्ति सच्चे प्रजातन्त्र के द्वारा ही स्थिर रह सकती है। इसीलिए भारत ने इस प्रथा को अपनाया है। अगर पाकिस्तान ने भी अपने यहां प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को सच्चाई से लागू किया होता तो वह भी कामयाब होता।

भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना बरताव करना चाहा और उसको आश्वासन दिया कि हम हमला नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के मस्तिष्क में यह बात नहीं आयी। इसमें भारतवर्ष का कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो नीति हमारे प्रधान मंत्री ने अपनाई है वही संसार को शान्ति की ओर ले जा सकती है। युद्ध से संसार का विध्वंस ही हो सकता है कल्याण नहीं। वह दिन जल्द आयेगा जब कि यह विध्वंसक तरीका हट जायगा। संसार को शान्ति का उपासक बनने पर ही यह मालूम होगा कि वह तटस्थ नीति का अनुसरण करके ही और मिलकर समझौता करके ही और सम्मेलनों के ज़रिये शान्तिपूर्ण तरीकों से ही अपना कल्याण कर सकता है। उसी समय संसार को मालूम होगा कि युद्ध से उसका लाभ नहीं हो सकता। हमारे प्रधान मंत्री ने जो नीति साउथ अफ्रीका में, या लंका में, या दूसरे देशों में उन के अपने वहां के प्रश्नों को सुलझाने के लिये अपनायी है उससे उन देशों के लोग प्रसन्न हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तमाम आसपास के देश एक दो को छोड़ कर हमारी नीति की प्रशंसा करते हैं। पाकिस्तान और एक आध और देश इसका अपवाद है, अन्यथा जितने समीपवर्ती देश हैं सब भारत की नीति का समर्थन करते हैं। वह नीति किसी खास सिद्धान्त के विरोध में या पक्ष में नहीं है। जहां चीन की जनता की सरकार को हमारी सरकार ने मान्यता दी है क्योंकि उस सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है वहां वह चीन की उस सरकार को स्वीकार नहीं करती जो कि च्यांगकाईशेक की मातहती में है। इस समय जो हमारे देश की नीति है वह हमारे लिए अनुकूल है और हमारे सिद्धान्त के अनुसार है। इसलिए मैं इस नीति का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता हूं।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : इसके पहले कि मैं कुछ कहना आरम्भ करूं मैं श्री फ्रैंक एन्थनी द्वारा कही गई कुछ बातों का उत्तर दे देना चाहता हूं क्योंकि उनकी बातों का लोगों पर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कोई भय नहीं है। मेरे विचार में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि हमें चीनी विस्तार से कोई भय नहीं होना चाहिये। यदि आप १९४९–५० में कोमिनटांग सैनिकों के खदेड़े जाने की कहानी पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो आप को मालूम हो जायेगा कि चीनी साम्यवादी अपने राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते हैं। यद्यपि वे कोमिनटांग सैनिकों को बर्मा की सीमा तक खदेड़ लाये थे फिर भी उन्होंने बर्मा में प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने बर्मा की सीमाओं का आदर किया था। इससे पता लगता है कि उनके बढ़ने से हमें खतरा नहीं हो सकता है। अतः प्रधान मन्त्री का यह कहना ठीक है कि चीनी साम्यवादियों से हमें कोई भय नहीं हो सकता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने तिब्बत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा था कि जब चीनियों ने पहले पहल तिब्बत पर आक्रमण किया था तो हमने बहुत कुछ शोर मचाया था किन्तु बाद में हम ढीले पड़ गये थे। इस प्रकार हमने चीनी साम्यवादियों के विस्तार को

[श्री वेंकटारमन]

स्वीकार कर लिया । परन्तु बात कुछ और ही है । यह बात तो अमरीका ने भी मान रखी है कि चीनी सरकार का तिब्बत पर अधिराज्य है । किन्तु वह चांगकाईशेक की सरकार को यह विशेषाधिकार देने के लिये तैयार है न कि चीनी साम्यवादियों की सरकार को । मैं पूछता हूं यह भेदभाव क्यों ? जब वहां के लोग चीनी साम्यवादियों की सरकार में विश्वास करते हैं तो आप को क्या आपत्ति हो सकती है ? जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसने इस सारे मामले के बारे में चीनी सरकार से बातचीत भी आरम्भ कर दी है और आशा है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में समझौता हो जायेगा ।

अब मैं प्रजातांत्रिक देशों को लेता हूं जिनकी श्री फ्रैंक एंथनी ने इतनी बड़ाई की है । इनमें एक देश वह भी है जो कुछ वर्षों पूर्व तक हमारे ऊपर शासन करता था और जिसने अपना काम चलाने के लिये १९४२ के आन्दोलन के दिनों में कांग्रेस वालों को जेलों में ठूंस कर साम्यवादियों से गठबन्धन किया था । इस प्रकार देखा जाये तो पश्चिमी प्रजातांत्रिक देश अपना स्वार्थ साधने के हेतु साम्यवादियों से भी मित्रता करने में संकोच नहीं करते । भारत दूसरे देशों की नकल नहीं करता । वह तो स्वयं अपनी नीति निर्धारण करता है ।

श्री फ्रैंक एंथनी ने यह भी कहा था कि भारत ने अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रजातांत्रिक देशों के विरुद्ध मतदान किया था । मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि उसने ऐसा किसी सिद्धान्त को ही लेकर किया था । भारत चाहता है कि उपनिवेशवाद बिल्कुल खत्म हो जाये । वह प्रत्येक देश के लिये स्वायत्त शासन चाहता है । यही कारण है कि उसने प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया है जिससे उपनिवेशवाद की जड़ मज़बूत होने की सम्भावना थी । ऐसा उसने साम्यवादियों या और किसी को खुश करने के लिये नहीं किया ।

श्री एंथनी ने यह भी बात उठाई कि जब हम देश में साम्यवाद का विरोध करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के शामिल कर लिये जाने पर क्यों ज़ोर देते हैं ? यह तो मानी हुई बात है कि प्रभावी सरकार को मान्यता प्रदान की जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी यही कहता है । अतः चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान करके भारत ने कोई ग़लती नहीं की है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि फ्रांसीसी भारत में अर्थात्, पांडीचेरी, कारीकल तथा अन्य स्थानों पर स्वतन्त्र होने के लिये जो आन्दोलन चल रहा है हम उसके बारे में चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं । उनका भारत में विलय होने का आन्दोलन करना पूर्णतः ठीक है । हम उनके आन्दोलन की प्रशंसा करते हैं तथा उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रगट करते हैं । मेरे विचार में इस सम्बन्ध में सदन भी मेरे साथ है । जहां तक लंका में रहने वाले भारतीयों का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने हाल ही में लंका सरकार से जो समझौता किया है उसमें निहित भावना का पालन किया जाना चाहिये । लंका सरकार आजकल जो रवैया अपना रही है वह समझौते के विरुद्ध है । अतः मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार लंका में रहने वाले ऐसे सभी भारतीयों के हितों की रक्षा करे जिन्हें भारत पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकता से वंचित रखा जा रहा है ।

कुमारी एनी मस्करीन : भारत गणराज्य के छः वर्ष हो चुके हैं और सातवां वर्ष आरम्भ होते ही हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता भी प्राप्त की है । इस थोड़ी सी कालावधि में विदेशी मामलों में हम बहुत आगे बढ़े हैं और हमने विश्व भर में एक शांतिप्रेमी देश का आदर्श खड़ा किया है । दुःख रूपी सागर में लहरें ऊंची उठती रही थीं, निनाद करती थीं और हमने मित्रता तथा निष्पक्षता की शांतिमय किरणों से इन अन्धकारमय लहरों पर प्रकाश डाला और इन को रोकने का प्रयत्न किया । कोरिया में शांति स्थापित करने के लिये जो प्रयत्न हमने किया उस पर सारे संसार में चर्चा होती रही । यद्यपि हम अपना उद्देश्य पूरा न कर सके फिर भी हमारे सेनापतियों तथा सैनिकों द्वारा किया गया काम किसी भी महान राष्ट्र के लिये गर्व की बात है । कोरिया में हुए अनुभव से बिल्कुल भी हतोत्साह न होकर हम अब हिन्दचीन में शान्ति का सन्देश पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं । हमें आशा करनी चाहिये कि शायद हमारे प्रयत्न सफल रहेंगे ।

हमारे देश के मुकाबिले में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो हमारे से बहुत ही अधिक धनवान हैं और जिनकी हमारे प्रति बहुत ही सैनिक शक्ति है । परन्तु हमारा नैतिक स्तर तो कहीं ऊंचा है । इस वर्ष के आरम्भ में ही एक खतरनाक समाचार सुना गया, वह था पाकिस्तान और अमरीका के बीच सैनिक गठबन्धन । इस गठबन्धन से भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता के विद्यमान सम्बन्ध खत्म हो गये, पूर्व तथा मध्य पूर्व में शीत युद्ध का तनाव बढ़ गया, एशियायी देशों में लोक तंत्र के स्थिर होने में बाधा पड़ी और सहायता प्राप्त करने वाले देशों में बूचड़खाने का सा वातावरण छा रहा है तथा नैतिक-स्तर का अधःपतन हो रहा है । संधि हो गई है और ११ अमरीकन पाकिस्तान में सर्वेक्षण कर रहे ह—सर्वेक्षण क्या, घरेलू शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दुश्मनी की आग भड़का रहे हैं । अब हमें यह भी पता है कि हमारे चारों ओर नवीनतम प्रकार के भयानक युद्धास्त्र बनाये जा रहे हैं और यह वही लोग बना रहे हैं जो अपने क सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण तथा विश्व शान्ति के ठेकेदार कहते हैं । अब हम उस जाल से भली भांति परिचित हैं जो हमारे इर्द गिर्द बिछाया जा रहा है ताकि हमारी स्थिति असुरक्षित हो जाय । अब हम बड़ी शक्तियों की उन चालबाजियों को समझ गये हैं जो वह हमारे और पाकिस्तान के बीच तथा पाकिस्तान और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बीच मित्रता के सम्बन्ध तोड़ने के लिये चला रहे हैं । मैं अपनी सरकार की धारणा की प्रशंसा करती हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने सैनिक सहायता लेने से इनकार किया जो उन्हें प्रदान की गई थी । मैं उन को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वह अपने पथ पर डटे रहे यद्यपि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति बनाई गई थी कि जिसके धोखे में आ कर हम सैनिक सहायता लेना स्वीकार करें ।

परन्तु साथ ही मैं सरकार को एक और बात याद दिलाना चाहती हूं । इस पक्ष के हम सब सदस्य आर्थिक सहायता स्वीकार करना भी अच्छा नहीं समझते । आर्थिक तथा सैनिक सहायता का इतिहास बहुत ही स्पष्ट है । अमरीकनों ने १९१७ में रूस को आर्थिक तथा सैनिक सहायता दी । उसके बाद ही उन्होंने वहां के घरेलू प्रशासन में हस्तक्षेप किया, वहां अन्तर्युद्ध छिड़वाया और लाखों को मरवा डाला । अन्त में रूस की जनता स्थिति को समझ गई, उन्होंने लाल सेना (रेड आरमी) बनाई और अपना काम स्वयं संभाला और वे अपनी अर्थव्यवस्था के स्वामी बन गये । चीन को भी इसी प्रकार आर्थिक सहायता दी गई । चीन में जो कुछ हुआ वह पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के लिये एक चेतावनी है क्योंकि

[कुमारी एनी मस्करीन]

वह भी अपने देश को उसी भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। चीन में भी अमरीकनों ने प्रतिक्रियावादी कूमितांग सरकार की सहायता की और जनता को दबाया। परन्तु अन्त में वहां के साम्यवादियों की विजय हुई। और आज भी अमरीकन सब संधियों तथा करारों का उल्लंघन करते हुए, चीन की जनता का विरोध करते हुए, फारमोसा में अड़े हुए हैं। कोरिया का क्या कहा जाय, वहां जो सैनिक सहायता दी गई उसके फलस्वरूप जो कुछ हुआ उसका भयानक चित्र तो सारे संसार के लिये एक चेतावनी है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के टुकड़े हुए, अन्तर्युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गये और आज भी वे तबाही की हालत में हैं। हिन्द-चीन को भी वह आर्थिक तथा सैनिक सहायता देते रहे हैं और वहां वाइट-मिन्ह लोग अभी रण-क्षेत्र में लड़ रहे हैं और हमारी शुभ इच्छायें उन के साथ हैं। मध्यपूर्व में भी उन्होंने यहूदियों तथा अरबों के बीच फलस्तीन के टुकड़े कर दिये हैं और अभी वह कहानी खत्म नहीं हुई है। उस क्षेत्र पर अभी उनका कब्जा है ताकि वह वहां शोषण कर सकें।

अब यह लोग पाकिस्तान में आये हैं और उसे सैनिक सहायता दे रहे हैं और इस प्रकार भारत के सीमान्त को असुरक्षित बना रहे हैं। अब हमें यह बात विचारनी चाहिये कि अमरीकी आर्थिक सहायता क्या कुछ कर रही है? टेकनिकल सहयोग प्रशासन भारत में अमरीकनों को घुसाने का काम करता है और यह लोग यहां के घरेलू प्रशासन में अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि हमने अपनी स्वतंत्रता बहुत बलिदान के पश्चात् प्राप्त की है और हमें अपने देश को पुनः उपनिवेशवाद के फन्दे में नहीं पड़ने देना चाहिये। इस सैनिक सहायता का पहिला परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह धमकी दी कि अब काश्मीर समस्या के हल होने में सुलभता होगी। शीघ्र ही उन्होंने इस बात को गलत भी बताया। पर इससे अधिक महत्व की बात यह है कि वहां काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों में बहुत से अमरीकन हैं। यह ज्यादा खतरनाक बात है और प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि उन के होते हुए एक निष्पक्ष निर्णय होना संभव नहीं। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि समस्या के निबटारे में कोई बाधा नहीं होती क्योंकि यह प्रेक्षक निष्पक्ष हैं, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र के हैं। परन्तु १४ नवम्बर १९४७ को कोरिया के एकीकरण सम्बन्धी आयोग नियुक्त करने में अमरीका को इस आयोग का प्रतिनिधि नहीं बनने दिया गया क्योंकि वह और रूस कोरिया को सैनिक सहायता देते थे। इसी प्रकार बर्लिन के घेरे के प्रश्न के सम्बन्ध में १९४८ के अक्टूबर मास में एक आयोग नियुक्त किया गया परन्तु इस आयोग में अमरीका को अपना प्रतिनिधि नहीं भेजने दिया गया। इन दो मामलों के दृष्टिगोचर, मैं संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री से पूछना चाहती हूं कि वह किस आधार पर काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या करते हैं।

जान फॉस्टर डलेस ने अपनी पुस्तक "युद्ध अथवा शान्ति" के ४१ वें पृष्ठ पर लिखा है कि संयुक्त राज्य की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र एक मूल स्तम्भ होगा। अब हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमारे प्रतिनिधि को चाहिये कि उस महान् सभा में यह प्रश्न उठाये और भारत की ओर से इसका विरोध करे।

एशिया के प्रश्न के बारे में मैं गत दो सत्रों में यही कहती रही हूं कि भारत को एक एशियाई लीग बनाने में नेतृत्व करना

चाहिये । यह एक प्रादेशिक सम्बन्ध होगा । इसी प्रादेशिक सम्बन्ध की सम्भावना को देखते हुए अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर और तुर्की के साथ उसकी संधि करा कर यह लीग बनाने के प्रयासों को असफल करने की बात चली है ।

मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । मैं केवल यह आश्वासन देना चाहती हूं कि विदेश नीति के बारे में भारत के सब लोग, सब राजनैतिक दल पूर्ण रूप से प्रधान मंत्री तथा सरकार के साथ हैं । भारत तथा सारे विश्व की सुरक्षा बनाये रखने के लिये सारा राष्ट्र एक होकर प्रधान मंत्री के साथ है ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : सभानेत्री जी, मैं समझता हूं कि हमारे सदन में न तो साम्यवाद और न तथाकथित अमेरिकन प्रजातन्त्र के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार होना चाहिए । हमें अपनी विदेश नीति का निरीक्षण केवल अपने देश की स्वतन्त्रता बनाए रखने के दृष्टिकोण से ही करना चाहिए । गत छः वर्षों में जो कार्य हमने किए हैं वे बहुत कुछ सन्तोषजनक हैं अतः हमें इस बात की कुछ चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि अमरीकी अथवा रूसी इस विषय में क्या धारणा रखते हैं । हमें अभी अभी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है और एक ऐसे काल में जो कि विश्व भर के लिए संकटमय काल है हम अपने राष्ट्र और उसके संसाधनों का विकास करने में प्रयत्नशील हैं । आज अमेरिका प्रजातन्त्र की बात कर रहा है किन्तु ज़रा गत इतिहास की याद दिलाते हुए कोई उनसे इतना तो पूछे कि उस देश के आदिवासियों का क्या हुआ । उनका उत्तर सम्भवतः यही हो सकता है कि सभ्यता की प्रगति के फलस्वरूप निकृष्ट जातियां नष्ट हो गई हैं । हम इन सब लोगों से न तो मित्रता चाहते हैं और न शत्रुता ।

श्री एन्थनी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह साम्यवाद का पक्ष ले रही है । कहा गया है कि हम उनके तथा उनकी नीति के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करते । किन्तु हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है ? साम्यवाद को बुरा कहने से क्या होगा ? क्या दूसरा पक्ष बहुत अच्छा है ? अभी अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निश्चय करके कौनसा अच्छा काम किया है ?

जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है इस समय संसार में दो महान् शक्तियां काम कर रही हैं । दोनों के पास हाइड्रोजन बम तथा अन्य इसी प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं । हो सकता है कि किसी समय इनकी मुठभेड़ हो जाय और उसके फलस्वरूप आधा संसार नष्ट हो जाय । क्या ऐसी अवस्था में किसी एक पक्ष के साथ मिल जाना हमारे लिए उचित होगा ? हम संसार के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं और यह कहना सत्य नहीं होगा कि हम केवल तटस्थ ही हैं । हमारी नीति एक स्पष्ट प्रकार की नीति है, अर्थात् संसार में शान्ति को बनाए रखना तथा युद्ध को रोकना । हमारी विदेश नीति की जांच केवल इसी आधार पर होनी चाहिए ।

पूछा गया है कि हम हिन्द चीन के बारे में क्या कर रहे हैं । हम उस देश के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । यदि एक ओर चीन वहां एक पक्ष की सहायता कर रहा है तो दूसरी ओर दूसरे पक्ष को अमेरिका द्वारा न केवल शस्त्रादि की सहायता ही दी जा रही है वरन् धन भी दिया जा रहा है जिससे फ्रेंच इस युद्ध को जारी रख सकें । इन परिस्थितियों में हमारा एकमात्र कर्तव्य यही है कि हम

[श्री पाटस्कर]

यथासम्भव इस क्षेत्र में शान्ति स्थापना का प्रयत्न करें।

इन दो बड़े गुटों में किसी समय भी एका-एक युद्ध छिड़ सकता है जो अणु बमों के प्रयोग के कारण लम्बा युद्ध नहीं होगा। यह एक बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान भी इस झमेले में अपनी टांग अड़ा रहा है। किन्तु हम उस देश के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका का उद्देश्य एशिया में एक सस्ती सी सेना खड़ी करना है।

अतः वास्तविक प्रश्न यह है कि भारत के हित में क्या है। मैं सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि हमें केवल अपने हितों को ध्यान में रखना चाहिये और जहां तक देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है चाहे हम किसी दल से सम्बन्ध रखते हों, हमें सब मतभेद भुला कर एक हो जाना चाहिए। इस समय आवश्यकता इसी बात की है और मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से हमारी विदेश नीति सही है।

श्री सारंगधर दास : मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि हमारे प्रधान मंत्री की विदेश नीति बहुत सफल रही है और इस नीति का अनुसरण करने से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यदि यह सफल सिद्ध हुई होती, तो अमेरिका भारत और पाकिस्तान और अन्य मध्यपूर्व के देशों के बीच, जो कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता का विरोध कर रहे हैं, झगड़ा पैदा करने का प्रयत्न न करता। इस सैनिक सहायता के बारे में हम आत्म-संतुष्ट नहीं रह सकते। इस समय अमेरिका एशिया को रक्षा का पहला मोर्चा बनाना चाहता है। मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता। हम अमेरिका या किसी अन्य देश की रक्षा के लिए अपनी जानें नहीं देना चाहते। हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और हम ऐसा करने में समर्थ हैं। हमें बाहर से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तीन वर्ष पहले यह बात कही थी कि हमारे लिए बाहर से सहायता लेना उचित नहीं है। किन्तु अमेरिकन सरकार हमारी सरकार को बहुत सी सहायता दे चुकी है और वह यह आशा करती है कि कुछ वर्ष तक और यह सहायता लेने के पश्चात् भारत एटलांटिक शक्ति गुट के साथ मिल जायेगा। मेरे विचार में बाहरी सहायता लेने से पहले भारत सरकार को इस मामले पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। बाहरी सहायता चाहे यह वित्तीय हो या सैनिक स्वीकार करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अपने कितने संसाधन हैं और हमारी अपनी जन-शक्ति कितनी है। यदि इन का पूरा उपयोग किया जाये, तो हमें बाहर के किसी देश से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम साम्यवाद या विश्व साम्य-वाद को रोकने के लिए अमेरिकी सहायता नहीं लेना चाहते। किन्तु भारत के लोगों की स्वतन्त्रता को एक संकट और भी है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस खतरे की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। क्या सरकार मुझे यह आश्वासन दे सकती है कि वह काश्मीर की सरकार साम्यवादियों की सहायता से नहीं चला रही है। क्या सरकार मुझे डा० अशरफ और उसकी पत्नी के बारे में बतलायेगी, जोकि काश्मीर के शिक्षा विभाग के मंत्रणा-दाता हैं ?

डा० अशरफ विभाजन से पूर्व एक ब्रिटिश नागरिक था, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान से लन्दन चला गया था और वहां पांच साल तक रहा। उसके बाद यह यहां आया और अब भारतीय वीज़ा पर एक वर्ष से काश्मीर में हैं। क्या वह

और उसकी पत्नी विश्वविद्यालय के कार्यों में भाग नहीं ले रहे हैं ? यह साम्यवादियों को प्रोत्साहन दिये जाने का एक उदाहरण है । एक ओर तो इन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है किन्तु दूसरी ओर साम्यवादियों को विरुद्ध करने के लिए यहां विधान बनाये जाते हैं। इस खतरे का उल्लेख करते हुए मैं भारतीय साम्यवादी दल की आलोचना नहीं करना चाहता किन्तु मैं यह कहूंगा कि इस का रूस से अवश्य सम्बन्ध है पिछले वर्ष या इससे पहले वर्ष साम्यवादी दल के नेता, श्री गोपालन ने मास्को में कहा था कि वे स्टालिन को अपना नेता मानेंगे और रूसी साम्यवादी दल को सब प्रकार की सहायता देंगे। मैं अमेरिका या रूस के आन्तरिक मामलों में नहीं जाना चाहता। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि हमें अपनी स्वतन्त्रता को अमेरिका से बचाना है तो इसी तरह और देशों से भी बचाना है। यदि भारत में इस प्रकार का कोई तरीका प्रयोग किया जाये, तो हमें इसका मुकाबला करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार को इस खतरे की ओर से भी सावधान रहना चाहिए।

अब मैं श्री जयपालसिंह की कुछ बातों का उत्तर देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने कल कही थीं। उन्होंने अमेरिका-पाकिस्तान सन्धि का स्वागत किया था और यह भी कहा था कि हमें पाकिस्तान को दी गई सहायता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब प्रकार के संकटों के मुकाबले के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री और मेरे मित्र श्री जयपालसिंह जैसे कुछ व्यक्ति सब संकटों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, किन्तु एक प्रधान मंत्री या एक संसद् सदस्य इस देश की रक्षा नहीं कर सकता। हमें इस देश के लोगों, ३६ करोड़ लोगों को तैयार करना है। यह अच्छी बात है कि रक्षा विभाग कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रादेशिक सेना में भर्ती अनिवार्य करना चाहता है। इसके बाद मंत्रियों और संसद् सदस्यों की बारी आनी चाहिए किन्तु मेरे विचार में यह काफ़ी नहीं है। हमें कम से कम खर्च से सब लोगों में सैनिक जीवन के समान अनुशासन, सक्रियता और सतर्कता पैदा करनी चाहिये। अपने आप को सशस्त्र करने और पाकिस्तान से लड़ने की बातें करने से भी कोई लाभ नहीं है। ऐसी बातों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। परिणाम लोगों को अनुशासनबद्ध करने से और उन्हें कैम्प जीवन के लिए अभ्यस्थ बनाने से निकलेगा जिससे आत्मिक जीवन शक्ति बढ़ेगी। और वे बिना शस्त्रों के भी दृढ़ संकल्प से अपनी रक्षा कर सकेंगे। इस प्रकार का अनुशासन पैदा करने के मामले पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यदि सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को प्रादेशिक सेना के दस्तों का कमांडर नियुक्त किया जाये, तो यह काम बहुत कम खर्च से किया जाता है। प्रादेशिक सेना ग्रामों में जा कर लोगों को सब प्रकार के संकटों का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकती है।

श्री बासप्पा (टुमकुर) : मैंने माननीय प्रधान मंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। मेरे विचार में उनके भाषण में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिससे किसी को मतभेद हो।

श्री फ्रैंक एंथनी ने कहा है कि हम साम्यवादियों के हथकंडों का शिकार बन रहे हैं। मेरी राय में यह बिल्कुल गलत बात है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति निस्संदेह बहुत गम्भीर है। किन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमारी क्रियाशील तटस्थता की नीति बहुत हद तक सफल रही है। चूंकि यह एक स्वतन्त्र नीति है इसलिए बहुत से लोग यह आपत्ति उठाते हैं हम दो में से किसी गुट के पक्ष में नहीं हैं। हम इस लिए किसी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहते कि इनके सिद्धान्त हमारे सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न हैं और हमारे लिये

[श्री बासप्पा]

किसी गुट में सम्मिलित होना बहुत खतरनाक है । विदेशी बस्तियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । हमें बहुत सावधान रहना है । इस सम्बन्ध में हमारी नीति बिल्कुल ठीक है । हमें यह धारणा दूर करनी है कि भारत इन को हथिया लेना चाहता है । सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बस्तियों के लोग स्वयं भारत में विलीन होना चाहते हैं । यह पांडीचेरी और गोआ की हाल की घटनाओं से स्पष्ट है । इसलिए हमने जो रवैया अपनाया है, वह ठीक है और इसके परिणाम बहुत शीघ्र स्पष्ट हो जायेंगे ।

७ म० प०

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कितना समय लेंगे ?

श्री बासप्पा : लगभग १० मिनट ।

सभापति महोदय : तो आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार २४ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।